हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 नवम्बर, 1976

खण्ड 3, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

15 नवम्बर, 1976

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)1
तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(1)21
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)23
अध्यक्ष महोदय द्वारा घोशणाएं:–	
1. श्री राम कि ान आजाद के स्वर्गवास के सम्बन्ध में	(1)41
2. सभापति तालिका के बारे में	(1)41
3. याचिका समिति के बारे मैं	(1)42
अनुपस्थिति की अनुमति	(1)42
सचिव द्वारा घोशणाएं	(1)43
भाोक प्रस्ताव	(1)45
मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(1)50
मेज पर पुनः रखे गए कागज–पत्र	(1)51

वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी कि त) पे ा करना	(1)52
वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी कि त) पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पे ा करना	(1)52
भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन प्रस्तावः–	
हरियाणा उत्तर प्रदे ा सीमा परिवर्तन विधेयक, 1976 के सम्बन्ध में	(1)53
सरकारी संकल्पः–	
संसद के दोनों सदनों द्वारा परित रूप में संविधान (चवालीसवां सं ाोधन) विधेयक 1976 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में।	(1)65

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1 चण्डीगढ मे 14.00 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Sh. Ram Lal.

तारांकित प्र न संख्या 1693

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Percentage of literacy in Haryana

***1706. Sh. Gulab Singh Jain:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) the percentage of literacy, male as well as female, in the State vis-a-vis the National percentage of literacy; and

(b) in case the literacy is less than 100% the effective steps Government proposes to take to achieve the target of 100%, literacy within the coming decade?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) 1971 की जनगणना पर आधारित साक्षरता की स्थिति निम्न प्रकार है:–

	भारत	हरियाणा
पुरूश	39.4 प्रति ात	37.29 प्रति ात
स्त्री	18.7 प्रति ात	14.99 प्रति ात
सब मिलाकर	29.4 प्रति ात	26.89 प्रति ात

(ख) राज्य सरकार ने भिन्न–भिन्न प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक ि ाक्षा के कार्यक्रम चलाए हुए हैं जिससे साक्षरता की प्रति ातता को बढ़ाया जा सके।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि औरतों की अनपढ़ता दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, अनौपचारिक ि ाक्षा मे; प्रौढ़ ि ाक्षा भी और दूसरी जनरल ि ाक्षा से भी लड़कियों को लाभ होता है। हरिजन महिलाओं ने थोड़ी बहुत पढ़ाई करके छोड़ रखी है उकने लिए हमने पांचवी तथा आठवीं क्लास के लिए सैन्टर कायम किये हैं और उनके लिए ऐजन्ट मुकरर्र किये हैं। जिन लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिये थे और आगे ि ाक्षा का मौका नहीं मिला था उनके लिए प्रौढ़ ि ाक्षा का भी प्रबन्ध किया गया है। सरकार 6 वर्श से लेकर 11 वर्श तक की आयु के बच्चों को

स्कूल भेजने के लिए बड़ा ज्यादा जोर दे रही है। इस साल एक लाख से अधिक बच्चों ने दाखिला लिया है। अगले साल 6 वर्श से 11 वर्श तक के 90 प्रति ात बच्चे दाखिला ले सकेंगे। इस हिसाब से दस साल तक लड़कियों की ि ाक्षा में काफी बढ़ौतरी हो जायेगी।

Local Bus Service

***1710. Ch. Phul Singh Kataria:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the names of the cities in the State where local buses are plying together with the mileages covered everyday by these buses and daily average return of every bus in terms of money; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the local bus service in Jhajjar and Dighal in District Rohtak?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) कथन सदन की मेज पर रखा जाता है।

(ख) नहीं।

स्थानीय बसों द्वारा प्रतिदिन की गई माईलेज तथा औसत आय प्रति बस का ब्यौरा।

क्रमांक	डिपो का नाम	भाहर का	प्रतिदिन तय	प्रत्येक बस

		नाम	की गई माईलेज	की दैनिक औसतन आय (रू0 पैसे)
1	हरियाणा रोडवेज गुड़गावां	गुड़गावां (लोकल)	80 कि0मी0	180.50
2	हरियाणा रोडवेज गुड़गावां	बल्लबगढ़ फरीदाबाद (बार्डर)	1092 कि0मी0	400.70
3	हरियाणा रोडवेज अम्बाला	अम्बाला	3044 कि0मी0	361.11
4	हरियाणा रोडवेज रोहतक	रोहतक	900 कि0मी0	489.60
5	हरियाणा रोडवेज हिसार	हिसार	776 कि0मी0	281.30
6	हरियाणा रोडवेज कैथल	कुरूक्षेत्र	384 कि0मी0	277.00

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदया बताने का कश्ट करेंगी कि झज्जर जो कि रोहतक की तहसील है वहां पर लोकल बसें चलायी जायेंगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः अभी तक तो रोहतक भाहर में जरूरत है, इसलिए वहां पर पांच लोकल बसें चल रही हैं बाकी किसी भाहर में जरूरत महसूस नहीं हुई है और न ही किसी भाहर से जनता की मांग आयी है कि लोकल बस चलायी जाये। यदि किसी भाहर से लोकल बस चलाने की मांग होगी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः स्पीकर साहब, झज्जर बस स्टैन्ड भाहर से काफी दूर है और नेहरू कालेज, पोलिटेक्निक कालेज आदि एक साइड पर पड़ते हैं। तो क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि वहां के लिए लोकल बस चलायी जायेंगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः अभी मैंने कहा है कि किसी और जगह से जनता की मांग नहीं आयी है। अगर आनरेबल मैम्बर कहते हैं कि वहां पर जरूरत है तो वहां से रिपोर्ट मंगवा लेंगे।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की आबादी को और वहां के कालेज में पढ़ने वाले बच्चों की तकलीफ को देखते हुए वहां और लोकल बसें चलायीं जायेंगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में सात लोकल बसें चलती है। वे सारे भाहर तथा बोर्डर एरिया को कवर कर लेती है। अभी तक वहां ज्यादा बसों की जरूरत महसूस नहीं हुई है। अगर मांग आयी तो बढ़ा दी जायेगी।

चौधरी बृज लालः स्पीकर साहब, मेरा सवाल इस सवाल से डिफरैन्ट है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी दरखास्त दी थी और मंत्री जी को भी दी थी कि चुटाला इतना बड़ा कसबा है और वहां से दो–तीन मील के फासले पर बस पड़ती है। वहां तक बस क्यों नहीं चलायी जाती है ?

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज।

चौधरी बृज लालः मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है मैं यह सवाल तो बड़ा दुखी होकर पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप जब कोई स्पीच करें उस टाईम पर इस बारे में बोल लेना। This is not a supplementary to this question.

चौधरी बृज लालः स्पीकर साहब, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि हमारे गांव में बस क्यों नहीं जाती है ?

Mr. Speaker: It is a question about the cities in the State where local buses are plying.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि जब और भाहरों में लोकल बसें चल रही है तो करनाल में लोकल बसें क्यों नहीं चल रही हैं ? क्या वहां पर भी चलाने का विचार है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इस सवाल में तीन–चार सिटीज के बारे में पूछा गया था। अगर आनरेबल मैम्बर साहब करनाल के बारे में नोथ्टस देंगे तो वहां के बारे में भी बतला दिया जायेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: हरियाणा में सब भाहरों के बारे में यह सवाल है।

Mr. Speaker: The first part of the question relates to all the cities in the State where local buses are plying.

श्रीमती प्रसन्नी देवी: करनाल में लोकल बस चलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई नहीं हुई है क्योंकि करनाल भाहर की सिचुए ान इस ढंग की है कि वहां बिना लोकल बस के काम चल सकता है।

श्री के0एन0 गुलाटी: मंत्री महोदया ने अभी अभी कहा है कि जनता की मांग आयेगी तो हम बसें बढ़ायेंगे। अगर डी0सी0 साहब और सब–डिविजन लैवल पर मीटिंग में फैसला हुआ हो कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में तीन–चार बसें लोकल चलायी जाये तो क्या सरकार उस फैसले को पूरा करने के लिए तैयार है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, मैं हाउस के नोटिस में यह बात लाना चाहती हूं कि हमारे पास बसों की कोई कमी नहीं है। अगर बिल्कुल ही कहीं पर बस घाटे में चल रही हो और सवारियां ही बैठने को नहीं मिले तो दूसरी बात है। नहीं तो जहां भी बसों की कमी महसूस होगी वहां पर बसें चलायेंग। इसलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आनरेबल मैम्बर कहते हैं तो मैं इस बारे में पता भी करवा लूंगी कि वहां जरूरत है या नहीं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हांसी से 300–400 स्टूडैन्टस पढ़ने के लिए हिसार जाते हैं। वहां पर लोकल बस का प्रबन्ध नहीं है क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि वहां पर लोकल बस का प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः हांसी और हिसार के बीच में लोकल बस की कोई आव यकता नहीं है क्योंकि छोटे रूटस की बहुत सी बसें चलती हैं। उनके चलने से हिसार जाने की कोई दिक्कत नहीं होती है।

चौधरी ि ावराम वर्माः मंत्री महोदया ने कहा है कि करनाल की सिचुए ान ऐसी है कि वहां लोकल बस की जरूरत नहीं है तो क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि कैसे सिचुए ान होने पर बस चलायी जाती है ?

परिवहन मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल): जब बस चलेगी तो सिचुए ान पूरी हो जायेगी।

Roads Damaged by Floods in Hansi Tehsil

***1724. Ch. Ishar Singh Saini:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of the roads which have been damaged in Tehsil Hansi of District Hissar due to recent floods together with the preventive measures being taken by the Government to ensure that such large scale damage does not recur to roads in future?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): The following roads were damaged due to recent floods in Tehsil Hansi of Hissar District:-

I. Hansi Jind Road.

II. Hansi Jind Road to Village Pali.

III. Bass Bhatol Road.

IV. Narnaund Khandkheri Road.

V. Shekhupura Jamawari Khumba Khurana Road.

VI. Hansi Barwala Road.

VII. Moth Lohari Road.

VIII. Moth Karnail to Moth Rangan.

IX. Hansi Sisai Road.

(2) Preventive measures such as strengthening, raising, provision of adequate cross drainage are being/will be taken to avoid recurrence of such damages to roads, as far as practicable.

श्री अमर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया है कि काफी सड़कों पर फल्ड की वजह से नुक्सान हुआ है कि उन रोडज को जो डैमेज्ड हैं, ठीक करने के लिए कोई यत्न किये गये हैं, अगर नहीं किये गये हैं तो आमदोरफत में जो दिक्कत आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए उनको कब तक ठीक करवा देंगे ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, जो 9 रोडज के मैंने नाम बताए हैं they all are open to traffic and necessary repairs are being carried out.

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हांसी तहसील मे अलावा, जिस के बारे में तो आपने बता दिया है, रोहतक जिले में और सोनीपत जिले में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि वहां पर जहां पर बस एक घन्टे के अन्दर पहुंचनी होती है, वहां पर वह बस दो तीन घंटे में पहुंचती है, क्या यह बात उनकी जानकारी में है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः इन फलडज की वजह से तीन–चार डिस्ट्रिक्टस में रोडज डैमेज हुई हैं लेकिन उनके लिए स्पै ाल रिपेयर्ज कैरी आउट की जा रही है। जहां पर स्ट्रैंथनिंग

की जरूरत है, वहां स्ट्रैंथनिंग की जा रही है, जहां पर रेजिंग की जरूरत है, वहां पर रेजिंग की जा रही है और जहां पर कल्वर्टस बनाने की जरूरत है वहां पर कल्वर्टस बनाये जा रहे हैं। लेकिन अब तमाम की तमाम रोडज जो हैं they are open to traffic and necessary repairs are being carried.

श्री अमर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हांसी जीन्द, रोड कितने किलोमीटर डैमेज्ड है और कितने किलोमीटर अब तक रिपेयर हो चुकी है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः हांसी जीन्द रोड में किलोमीटर 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23 और 24 डैमेज्ड हैं। सात दिन तक यह सड़क बन्द रही लेकिन अब यह ओपन टू ट्रैफिक है। इस पर तकरीबन 2 लाख रूपये खर्च आयेंगे इनमें से किलोमीटर्ज 11, 12, 13, 20, 21 और 24 रेजिंग करनी है।

Minimum price fixed for Paddy, Maize and Millet

***1726. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state:-

(a) the minimum price, if any, fixed for paddy, maize and millet for the forthcoming kharif season 1976;

(b) the quantity of food grains as referred to in part (a) above proposed to be purchased by the Government; and

(c) the date from which the Government will start purchasing the said food grains?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) (i) Paddy

Coarse	Rs. 74 Per Quintal
Begmi/I.R. 8	Rs. 76 Per Quintal
Permal/Ratna/RP-5-3	Rs. 80 Per Quintal
Basmati	Rs. 85 Per Quintal
(ii) Maize	Rs. 74 Per Quintal
(iii) Millat (Jowar/Bajra)	Rs. 74 Per Quintal

(b) The State Government do not propose to purchase these food grains. However F.C.I. will make purchase of these food grains by way of price support.

(c) Food Corporation of India has already started purchases of paddy and maize as a measure of price support.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब, पिछले दिनों अखबारों मे भी यह आया था कि सरकार बासमती धान 130 रूपये के भाव से खरीदेगी क्योंकि बाहर भेजने के लिए सरकार को इसकी आव यकता है, लेकिन अब इन्होंने 85 रूपये का भाव बताया है। क्या मंत्री महोदय यह बातयेंगे कि इसका क्या कारण है ?

Sh. Shyam Chand: Sir, there was no commitment on the part of the Haryana Government to purchase Basmati paddy @Rs. 130/- per quintal.

तारांकित प्र न संख्या 1730

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Factories in the Jails

***1694. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the names of Jails in the State where the factories stand installed for getting work from the prisoners; and

(b) the name of goods together with the quantity of each good, prepared in the Jails as referred to in part(a) above, during the years 1969 to 1976 (to-date), year wise, separately?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) हरियाणा राज्य में निम्नलिखित जेलों में बन्दियों से लेबर लेने के लिए कारखाने हैं:—

1. केन्द्रीय जेल, अम्बाला।

2. जिला जेल, हिसार।

3. जिला जेल, रोहतक।

4. जिला जेल, करनाल।

5. जिला जेल, गुड़गांव।

6. बोस्टल जेल, हिसार।

(ख) इस सम्बन्ध में जो सूचना मांगी गई हतै उसे एकत्रित करने पर जो समय ताथा परिश्रम लगेगा उससे वि ो ा लाभ नहीं होगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, यह जो परिश्रम का नाम लेकर इन्होंने जवाब देने से बचने का ढंग अपनाया है, यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर ये सारी जानकारी देते तो सब को पता लगता कि आज तक वहां पर क्या–क्या काम हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल): पहले आप पढ़ें तो सही, आपने पूछा कितना लम्बा चौड़ा है ?

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेंगी कि डिस्ट्रिक्ट जेल हिसार और केन्द्रीय जेल, अम्बाला में किस–किस चीज के कारखाने हैं जहां पर बन्दियों से काम लेते हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः केन्द्रीय जेल अम्बाला में कपड़ा बुनने का काम, चमड़के का काम, बढ़ईगिरी, स्टील का फर्नीचर बनाना, दर्जी का काम, दरियें बुनना, लोहारा कार्य, टेप तथा निवार

का कार्य, रंगाई का कार्य, फर्नीचर की पालि ा करने का काम, कुर्सियां बुनना, बांस का कार्य, बान बनाना, कनक पीसना, मुर्गीखाना, टैंट बनाना और जिला जेल हिसार में बढ़ई गिरी, स्टील का फर्नीचर बनाना, दरियें बुनना, रंगाई का काम, कुर्सियां बुनना, बांस का कार्य, चाक बनाना, मूंज तथा हैंप का बान बनाना, कनक पीसना, तेल निकालना, टैन्ट बनाना, निवार तथा टेप का काम करवाया जाता है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि किस–किस जेल में पिछले सालों में कितना–कितना उत्पादन हुआ है ?

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, इसके लिए तो मैम्बर साहब सैपरेट नोटिस दें लेकिन अगर ये इंडस्ट्री का ऐज ए होल पूछना चाहूं तो मैं बता सकता हूं। वह ऐसे हैं कि हमें 35 लाख रूपये की टोटल आमदनी होती है, उसमें से सारे खर्चे निकालकर हमें 12 लाख रूपये का प्रौफिट होता है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो चीजें जेलों में बनाते हैं, उनको फरोख्त करने का क्या तरीका है ?

श्री के0एल0 पोसवालः जरा रिपीट कर दें।

चौधरी दल सिंहः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो चीजें आपके यहां जेलों में बनती हैं, उनको बेचने का क्या तरीका है ?

श्री के0एल0 पोसवालः कुछ तो हमारे पास आर्डर आ जाते हैं और कुछ के लिए हम यह देखते हैं कि मार्किट में क्या वैल्यू चल रही है, उसके हिसाब से उसे सेल करते हैं।

Pass percentage in the Matriculation and Higher Secondary Examinations

***1707. Sh. Gulab Singh Jain:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) the pass percentage in Matriculation and Higher Secondary Examinations during the last five years of Government Schools situated in rural area and urban area separately;

(b) whether it is a fact that pass percentage in rural schools is much lower than the general pass percentage; and

(c) if so, the reasons therefore and the remedial steps taken or proposed to be taken by the Government to remove this imbalance?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा, वह इससे होने वाले सम्भावित लाभ से कहीं अधिक होगा।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इसमें तो सिर्फ पास परसैंटेज पूछी गई है और यह चीज इनका दफ्तर बता सकता है। इसमें परिश्रम करने की क्या बात थी जो इन्होंने यह कह दिया कि सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा, वह इससे होने वाले सम्भावित लाभ से कहीं अधिक होगा ?

चौधरी ि ाव राम वर्माः उस परिश्रम करने में कौन से पसीने आयेंगे ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक)ः सारे रिजल्ट तो गजट में छपे हुए हैं, मेरे लायक दोस्त वहां से देखकर परसैंटेज निकाल सकते हैं।

राव बंसी सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि इन रिजल्टस को ठीक स्तर पर लाने के लिए कौन–कौन से कदम उठाये गए हैं ताकि लोगों को यह ि ाकायत न रहें ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिए हमने जो निरीक्षण है, वह और ज्यादा तेज कर दिया है। टीचर्ज की हाजरी और टीचर्ज के पढ़ाने पर खास तौर पर हमारे जिला ि ाक्षा अधिकारी ही पहले चैक रख सकते थे लेकिन अब हमने उपायुक्त और सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी निरीक्षण करने के अख्तियार दे दिये हैं।

चौधरी दल सिंहः क्या यह सच है कि अध्यापकों के अन्दर असंतोश है जिसकी वजह से नतीजा खराब निकलता है या कोई और ही वजह है ?

श्री माडू सिंह मलिकः यह बिल्कुल गलत है। अध्यापकों के अन्दर बिल्कुल भी असन्तोश नहीं है।

Sikanderpur Minor

***1711. Ch. Phul Singh Kataria:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make Sikanderpur Minor in Tehsil Jhajjar a perennial one and to stop the use of Lift System?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Sikanderpur Minor is already a perennial channel but it is a lift channel. Lift channels irrigate high areas and there is no proposal under consideration of the Government to stop use of the Lift System on this channel.

Floods in Tehsil Hansi District Hissar

***1725. Ch. Ishar Singh Saini:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the total number of villages affected by floods in Tehsil Hansi of District Hissar and the details of the steps taken by the Government to save them from floods in future; and

(b) the details of the relief provided to the flood affected villages as referred jto in part(a) above together with the details of the steps being tkaen by the Government to provide relief to those persons whose houses have collapsed on account of recent floods?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): (a) and (b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Eighty-two villages of Hansi Tahsil were affected by recent floods. Surveys are being carried out for framing schemes to safeguard the position as much as possible against future flooding.

(b) The following relief was provided to the flood affected villages of Hansi Tehsil:-

(i) Most of the flooded area has since been cleared of flood water by providing relief cuts into the canals and by pumping water into the canals. Twelve diesel pumps and three electric pumps are being used to drain out flood water.

(ii) Free food for one week with effect from 19-8-76 was distributed to Harijans whose foodgrains had been washed away.

(iii) The State Government sanctioned a sume of Rs. 3,50,000/- for being given as loan for purchase of fodder, cattle and seed to the flood affected people of Hissar District and the entire amount has been distributed in Hansi Tahsil.

(iv) The State Government sanctioned a sume of Rs. 40,000/- as subsidy to those persons whose houses had collapsed in Hissar District and the entire amount has been spent in Hansi Tahsil.

(v) The Chief Minister sanctioned a sum of Rs. one lakh for the flood affected people of Hissar District and the entire amount has been disbursed in Hansi Tahsil.

(vi) 3000 Sirkies were provided for shelter to the people who were rendered houseless.

(vii) The State Government sanctioned a sum of Rs. 60,000/- to give taccavi loans in rural area of Hissar District for house repairs and the entire amount has been spent in Hansi Tahsil.

(viii) Health Posts have been set up in most of the flood affected villages which provided preventive and curative medical facilites.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक और सोनीपत जिले में लोगों का जितना नुक्सान हुआ है, उसको कम्पनसेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है और अब तक क्या किया है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि यह सवाल हांसी तहसील के बारे में है इसलिए दूसरी जगहों के बारे में सप्लीमेन्टरी का जवाब देने का क्व चन पैदा नहीं होता। जहां तक जमींदारों को नुक्सान कम्पन्सेट करने

का सवाल है हमारी स्टेट के अन्दर कोई 35 करोड़ 35 अलाख रूपए का नुक्सान है। They cannot be compensated as such गवर्नमैंट उनको रिलीफ देती है, सबसिडी के रूप में कुछ ग्रान्ट देती है, कुछ लोन्ज रिपेयर आफ हाउसिज के लिए देती है, फौडर और सीड की परचेज के लिए तकावी देती है। पूरा कम्पन्से ान देना सरकार के लिए हियुमनली इम्पासीबल है कि 35 करोड़ का नुक्सान गवर्नमैंट पूरा करें।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं उकी मदद करने का क्राइटेरिया क्या है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मकानों का नुक्सान काफी हुआ है और जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको किसी को सौ रूपया, किसी को दो सौ रूपया और किसी को तीन सौ रूपया दिया है। इस प्रकार रिपेयरक करने के लिए दस लाख रूपया दिया है और पन्द्रह लाख रूपया एज लोन्ज दिया है।

चौधरी रिजक राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने मकानों को नुक्सान हुआ है और हर मकान वाले को कितना रूपया आप देना चाहते हैं।

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, 76795 मकानात को नुक्सान हुआ है। कहीं पर सौ रूपया, कहीं पर दो सौ रूपया और कहीं पर तीन सौ रूपया रिपेयर के दिए हैं। जहां

पर मकान कम्पलीटली गिरे हैं उनको रिबिल्ट करने के लिए माकूल रकम देना चाहते हैं।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, 35 करोड़ रूपए का नुक्सान इस साल फ्लडज की वजह से हुआ है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आगे ऐसा न हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे रैनी सीजन भाुरू होने से पहले फ्ल्डज की रोकथाम हो सके ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, जहां भी इस दफा फ्ल्डज आए हैं सरकार सारी सिचुऐं ान पर गौर कर रही है। जैसे ड्रेन नम्बर आठ के लिए निर्णय लिया है कि उसके लैफ्ट बैंक को स्ट्रैंग्थन किया जाए। जहां कहीं ड्रेन को ऐक्सकावेट करने की जरूरत हो वहां पर उसको ऐंक्सकावे ान किया जाए। Directions have been issued to the Chief Engineer (Drainage) by the Chief Minister, who is also the Minister incharge for Irrigation and Power that आगे के लिए फ्लडज की रि–करैंस को रोकने के लिए हर मुमकिन कोि ा ा की जाए।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, फ्लड कन्ट्रोल के बारे में सरकार ने पहले भी अनेक प्रकार के प्रभाव ााली कदम उठाए हैं और प्रबन्ध भी किए हैं। परन्तु इस वर्श हरियाणा के अन्दर अनप्रिसिडेंन्टिड बारि ा हुई। झज्जर जैसे एरिया में जहां सारे साल की औसत बारि ा 12 इंच होती थी वहां इस बार तीन सप्ताह के अन्दर 36 इंच बारि ा हो गई।

इस प्रकार एकदम वर्शा का पानी आ गया और काफी नुक्सान हुआ लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं। झज्जर के पास जो भिंडावास लेक है उसमें काफी पानी आत है। उसके पानी को प्रयोग में लाने के लिए हम कई उपायों पर विचार कर रहें है। मैंने इंजीनियर्ज के साथ बातचीत की है कि अगर उसके पानी को जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डाल दिया जाए तो इस पानी का उपयोग हो सकता है और जमीन भी खाली हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जिला कुरूक्षेत्र बीबीपुर लेक के पैटर्न पर भिंडावास लेक की बात सोच रहें हैं अगर किसान सहमत हो जाएं तो। इसके अलावा जहां लिंक ड्रेन बनाने की बात हैं वहां हम लिंक ड्रेन बनाएंगे, जहां पानी को सिकी नहर में डालकर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन हमारे सामने एक–दो कठिनाइयां इंटरस्टेट डिस्प्यूटस की हैं। बहादुरगढ़ के पास कुछ एरिया ऐसा है जिसका झगड़ा दिल्ली के साथ है। सारे गुड़गावां जिले के पानी का निकास का झगड़ा है वह उत्तर प्रदे ा और राजस्थान के साथ है। तो इन सब बातों को हल करने के लिए हम कुछ कदम उठार रहे है। पिछले दिनों गुड़गावां जिले में जब गम्भीर स्थिति पैदा हुई तो तीनों प्रदे ाों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक भारत के सिंचाई मंत्री बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता में हुई। हमारे सामने दिक्कत यह है कि गुड़गावां जिले के अन्दर जो लन्डोहा नाला है उसमें राजस्थान का और कुछ हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है। तकरीबन एक लाख क्युसिक फीट उस पानी को जमा करने के लिए उजीना,

कटोला और रावली बांध बनाए। लेकिन इस बार ज्यादा पानी आया और वह पानी बहकर वापिस राजस्थान की ओर जायेगा। परन्तु खलूका रेगूलेटर एकमात्र रेगुलेटर है जिस रास्ते से वह पानी राजस्थान को जा सकता है। खलूका रेगूलेटर पर कन्ट्रोल राजस्थान का है। जब राजस्थान में स्थिति खराब होती है तो उस का बंद कर देते हैं, उसमें से पानी नहीं निकलने देते। हालांकि हमारा उनके साथ फैसला है कि आठ सौ क्युसिक पानी जरूर निकलेगा लेकिन इस बार स्थिति ऐसी हुई कि एक क्युसिक पानी भी नहीं निकलने दिया। मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो स्थिति है वह बता रहा हूं। हमने यह मामला केन्द्र के साथ उठाया तो राजस्थान ने कहा कि हम क्या करें हमारा पानी आगें जाकर गोरधन ड्रेन में चला जाता है परन्तु उत्तर प्रदे ा वालों ने उसका रास्ता बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम पहले ही डूबे पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ कुछ ऐसा भी हुआ कि पिछले दिनों तीन स्टेट्स के साथ जो ऐग्रीमेन्ट हुआ उसमें गोरधन ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फैसला हुआ और उसमें हमने तकरीबन 70 या 80 लाख रूपया देना मन्जूर किया क्योंकि हमारा पानी भी उस ड्रेन से निकलता था और कोई 70 लाख रूपया अदा भी कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी पानी हमारी उससे नहीं निकलने दिया जाता। इस पर केन्द्रीय सरकार के सामने हमने यह बात कही कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि रूपया भी

हम खर्च करें और उसका फायदा भी हमें न पहुंचे। हम तो अपनी इंडिपेन्डेन्ट ड्रेन बनाएंगे जिससे गुड़गावां जिले का पानी सीधा यमुना में डाल सके। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं। पांच करोड़ रूपए की लागत का यह मामला है। हमारी यह कोि ा ा है कि केन्द्रीय सरकार का वाटर एंड पावर कमी ान इजाजत दे तो हम उस ड्रेन को बनाकर गुड़गांवा जिले कें पानी को निकाल सकें। हम पूरी तरह से इन बातों पर विचार कर रहें हैं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जवाब के पार्ट 'ए' में बताया गया है कि 82 गांव में फ्लड आया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन 82 गांवों में कितने हाउसिज डैमेज हुए और कितना लोन दिया गया ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, सवाल में पूछा गया है कि हांसी तहसील में कितने गांवों पर फ्लड का असर हुआ हैं और जिन गांवों में फ्लड का असर हुआ है उनको रिलीफ देने के लिए क्या स्टैप्स उठाए गए हैं, ये डिटेल्ज बताई जाए। कितने मकान गिरे हैं यह सवाल में पूछा नहीं गया है।

Mr. Speaker: Part(a) of the question is about the total number of villages affected by floods in Tehsil Hansi of District Hissar.

Pandit Chiranji Lal Sharma: I have given this information in the statement which has been laid on the Table

of the House. But regarding the number of houses damages in the villages, the question has not been asked. जो रिलीफ दी जा रही है उसके बारे में बता देता हूं। स्टेट गवर्नमैंट ने तीन लाख पचास हजार रूपया कैटल और भूसा वगैरह खरीदने के लिए सारा का सारा हांसी तहसील में दिया है। 40 हजार रूपया जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको सबसिडी के तौर पर हांसी तहसील में दिए ह। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लाख रूपए की ग्रान्ट जो हिसार जिले के लिए थी वह सारा का सारा पैसा हांसी तहसील को दिया है। तीन हजार सिरकी जो भौल्टर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं उनको दिया है। इसके अलावा 60 हजार रूपया तकावी लोन जो रूरल एरिया में रिपेयर्ज के लिए है वह सारा रूपया हांसी तहसील को दिया गया है।

राव बंसी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्र न फ्लड से सम्बन्धित है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि रिवाड़ी जिले में एक साहबी नदी है और उसके पानी से बहुत से गांवों को हर साल नुक्सान होता है और अगर उसके पानी को डिवाइड करके जवाहर लाल नेहरू कैनाल में डाल दिया जाए तो इस से लोगों को काफी लाभ पहुंच सकता है। क्या सरकार का ऐसा करने का कोई इरादा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी फूल सिंह कटारियाः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन इलाकों में पिछले

दो सालों से पानी भरा पड़ा है और वहां पर कोई रबी वगैरा की फसल नहीं हो पाई है, उन इलाकों के लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत दी जाएगी ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इस बार जब मैं फ्लड का इलाका देखने के लिए गया तो मैंने वहां एक ऐलान किया कि जिन इलाकों में फ्लड का पानी इकट्ठा हुआ है वहां से पानी निकलवा कर रबी की सोईग करवाएंगे और उनका भूमि कर पोस्टपोन कर देंगे और जिन स्थानों पर रबी की सोईग न हो पाए उनका मालिया माफ कर देगें।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, गोहाना से रोहतक और सोनीपत से रोहतक का मीलों का इलाका ऐसा है जोकि पानी से भरा पड़ा है और वहां पर खरीफ की फसल भी मारी गई है। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां से पानी निकलवा कर जमीन को रबी की फसल बोने के योग्य बनाया जाएगा और आगे के लिए सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेंगी जिससे इन इलाकों में पानी न भर पाए और लोग स्थाई राहत अनुभव कर सकें ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, ऐसा हैं कि हमने फ्लड का पानी निकलवाने का पूरा–पूरा प्रयास किया है और जिन दिनों बाढत्र की गम्भर स्थिति थी, उन दिनों मैं सारे बाढ़गस्त इलाकों को देखने के लिए गया तो वहां पर एक बात

की घोशणा की गई थी। तमाम जमींदारों ने एक ही बात कही थी कि हमारी जमीन खाली करवा कर उसे रबी की सोईंग के काबिल बनाया जाए तो उस वक्त हमने यह वायदा किया था कि हम कम से कम 85 प्रति ात जमीन खाली करवा देंगे। अब स्थिति यह है कि केवल 12 प्रति ात भूमि अन्डर वाटर है 88 परसैन्ट जमीन से हमने पनानी निकलवा दिया हैं जिसमें रबी की फसल की बीजाई हो रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्ज इन्हें चाहिये तो मैं बता देता हूं। रोहतक में 125788 एकड़ भूमि में पानी था जिसमें से 111083 एकड़ भूमि में से पानी निकलवा दिया गया है और 14705 एकड़ भूमि में अभी पानी है। सोनीपत में 157431 एकड़ भूमि पानी के नीचे थी उसमें से 135000 एकड़ भूमि में से पानी निकलवा दिया गया और 22431 एकड़ भूमि में अभी पानी है। यह बात दस महीने पहले की है उसके बाद एक महीने में और भी पानी निकला होगा जिसकी फिगर्ज अभी मेरे पास नहीं है। करनाल जिला में 1469 एकड़ भूमि में पानी था, वहां से सारा पानी निकलवा दिया गया है। कुरूक्षेत्र में 13500 एकड़ भूमि में पानी था वहां से 11800 एकड़ भूमि में से पानी निकलवा दिया गया है और वहां पर 1500 एकड़ भूमि अभी अन्डर वाटर है। जींद में 9340 एकड़ भूमि अन्डर वाटर थी वहां से 9000 एकड़ भूमि में से पानी निकलवा दिया गया है केवल 340 एकड़ भूमि ऐसी रह गई है जहां पर अभी पानी है। हिसार में 55380 एकड़ भूमि अन्डर वाटर थी जिसमें से 54880 एकड़ भूमि में से पानी निकलवा दिया है केवल 500 एकड़ भूमि से पानी निकाल दिया गया है और

18500 एकड़ भूमि में अभी पानी है। इस तरह टोटल स्टेंट में 482703 एकड़ भूमि अन्डर वाटर थी जिसमें से 424732 एकड़ भूमि में से पानी निकला दिया गया हैं, केवल 57971 एकड़ भूमि में पानी है जोकि 12 परसेन्ट बनता है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी–अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया है कि उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और यह भी कहा है कि जिन इलाकों में रबी की फसल की का त नहीं होगी वहां का मालिया माफ कर दिया जाएगा। तो मैं इस सिलेसिले में यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके रूल्ज के अन्दर कोइ ऐसी प्रोविजन है कि जिसकी फसल बिल्कुल तबाह हो जाए उसको मालिया में रिमि ान दिया जाएगा ? चाहे अगली फसल हो या न हो इस बारे में सरकार कोई रूल्ज में अमैंडमैंट करना चाहेगी कि जिससे 50 परसैन्ट मालिया से छूट मिल सकें ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अगर उस समय रूल्ज में अमैंडमैंट करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। अगर फसल में 50 परसैन्ट खराबी हो तो मालिया मुलतवी किया जा सकता है और अगर मालिया माफ करने की कोई प्रोविजन नहीं होगी तो जो जरूरी अमैंडमैंट होगी वह हम करेंगे।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, अभी–अभी मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि जींद जिला में 9340 एकड़ भूमि में पानी था और उसमें से 9000 एकड़ भूमि में

से पानी निकाला जा चुका है। भोश जो 340 एकड़ भूमि अन्डर वाटर बताई है। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि यह भूमि किस गांव में है जहां पर यह पानी रह रहा है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः इन गांवों की हमारे पास अभी लिस्ट नहीं है।

चौधरी दल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह जो पानी निकलवाया गया है, यह खुद ही निकला गया है या कि सरकार की ओर से निकलवाया गया है और वे कौन–कौन से जराया थे जिनके द्वारा सरकार ने इसको निकालने का प्रयास किया है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः पम्प आउट किया है।

चौधरी मनफूल सिंहः अध्यक्ष महोदय, ड्रेन नम्बर आठ की कैपेसिटी 550 क्युसिक फीट डेली की है लेकिन दिल्ली की तरफ से जो पानी उसमें आता है उससे उसकी कैपेसिटी 26 हजार क्युसिक फीट हो जाएगी। जिसके कारण फ्लड आएंगे और लोगों को नुक्सान होगा। क्या सरकार ने इस मामले में दिल्ली प्र ाासन से इसकी रोकथाम के लिए कोई बातचीत की हैं ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम दिलली प्र ाासन वालों से बातचीत कर रहें हैं।

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि वे यू0पी0 सरकार से और दूसरी

सरकारों से इस बारे में बातचीत कर रहें हैं। मैं उनसे आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि जिन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है उन इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने कोई प्लान बनाया है और अगर बनाया है तो कितना रूपया उस प्लान पर लगाने का अन्दाजा है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने अपने इंजीनियर्ज को आदे ा दे दिये हैं और वे तमाम ऐस्टीमेट्स तैयार कर रहें हैं।

चौधरी अब्दुर रजाक खांः स्पीकर साहब, जिस तरह सरकार उन लोगों को मुआवजा देने लग रही है जिनकी जमीन अन्डर वाटर है तो क्या जिन लोगों के मकान फ्लड के कारण बिल्कुल नश्ट हो गये हैं या कि फ्लड में घिरे हुये हैं ऐसे लोगों को भी रिलीफ देने का सरकार का कोई विचार है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमैंअ दे दी है कि जिन लोगों की जमीन अन्डर वाटर है और वहां रबी की सोईंग नहीं हो सकेगी, उनको रिलीफ दे दिया जाएगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की भूमि पानी में डूबी पड़ी है और रबी की सोईंग भी नहीं होने वाली है उन लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

केवल मालिया माफ करने से ही तो उन लोगों को राहत नहीं मिल जाएगी। क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाने जा रही है कि जिससे इन लोगों को राहत मिल सकें और वे अपने पांव पर खड़े हो सकें ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, इस बारे में स्टेट गवर्नमैंट ने 75 लाख रूपया दिया है। 10 लाख रूपया ग्रांट फार हाउसिज और 15 लाख रूपया लोन फार हाउसिज दिया गया है।

चौधरी रामजी लाल डागरः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि गुड़गांवा जिला के लिए कितना पैसा दिया गया है और कितना देना अभी बाकी है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः अध्यक्ष महोदय, 2 लाख 70 हजार रूपया मकानों की ग्रान्ट के लिए और 4 लाख 10 हजार रूपया 1833 के ऐक्ट के तहत लोन दिया गया है। 9 लाख 50000 रूपया तकावी और सीड के लिए दिया गया। इसमें से कितना रूपया तकसीम कर दिया गया है इस बारे में डिस्ट्रिक्ट से फिगर्ज इकट्ठी करनी पड़ेगी।

चौधरी दल सिंहः अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि वे सौ रूपये से लेकर तीन सौ रूपये तक उन लोगो को सहायता देते हैं जिनके मकान खराब हो गए हैं। आजकल हरियाणा में ईटों का भाव 150 रूपये प्रति हजार है तो इससे तो केवल दो

हजार ईंट ही आ पाएंगी। तो क्या सरकार इस रकम को ज्यादा बढ़ाने का विचार रखती है ताकि उनको पूरी मदद मिल सके ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, फ्लड की यह नेचुरल कलैमिटी साल के साल होती रहती है और मकानात गिरते रहते हैं इसलिए इसके लिए सरकार उनको कम्पलीटली तो कम्पनसेट कर नहीं सकती लेकिन एक चीज सरकार के अन्डर कन्सीडरे ान है कि अगर किसी हरिजन या पिछड़ी हुई जाति के सिी गरीब आदमी का मकान बिल्कुल तबाह हो जाता है तो सरकार उसका मकान बनवाने के लिए उसे बैंक से लोन दिलवाएगी। लेकिन जिसका मकान गिर जाता है हर बार उसको कम्पन्से ान देना पासिबल नहीं है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: जैसे कि मंत्री महोदय ने अभी बताया कि वे उनकी पूरी तरह से सहायता नहीं कर सकते जिनके मकान गिर गए हैं परन्तु जितना पैसा सरकार ने दिया है या दे रही है क्या सरकार उसको काफी समझती है कि उससे किसान अपने पांवों पर खड़े हो जाएंगें ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: मैंने ऐसे तो नहीं कहा था लेकिन अपने अपने सोचने का ढंग होता है। सरकार जो भी पासिबल हैल्प दे सकती है वह देगी।

Supply of Electricity

***1727. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of hours for which electrictiy was supplied daily to the Agricultural tube wells in the State during the month of September, 1976; and

(b) the number of hours for which electricity is likely to be supplied daily to the tube wells as referred to in part(a) above during the months of October, and November, 1976?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) From 1-9-76 to 18-9-76 22 to 24 hours per day.

From 19-9-76 to 30-9-76 10 to 16 hours per day.

(b) During the month of October, 76, power to Agricultural tbue wells was given for 22 to 24 hours per day except a few days during which it was given 10 to 16 hours per day. During November, 76, the power supply to agricultural tube wells is likely to be given for 22 to 24 hours per day.

चौधरी ि िव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उन्होंने इस चीज की जांच की है कि वाकई 16 घण्टे रोज बिजली मिलती है। अक्तूबर के महीने में रोज 10—12 घण्टे बिजली मिली है और मैं समझता हूं कि 16 घण्टे वाली फिग्गर गलत है। पता नहीं इनके पास यह सूचना कैसे आई हैं ? अब भी मंत्री महोदय ने

कहा है 22–24 घण्टे बिजली देते हैं लेकिन इस दौरान में इतनी बार बिजली का इन्ट्र ान होता है कि बिजली की सप्लाई को 16 घण्टे से अधिक नहीं गिना जा सकता ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः जहां तक इनका कहना है कि मु कल से 16 घण्टे गिना जा सकता है उसका कारण यह हो सकता है कि कहीं पर लाइन खराब हो सकती है लेकिन इस वक्त हरियाणा में बिजली की दिक्कत नहीं है। यह वर्मा साहब भी जानते हैं कि उनका ट्यबवैल आज कल बन्द है और हफ्ते में केवल एक दो दिन चलता है। आज कल हरियाणा में किसी ट्यूबवैल पर एक घण्टे की भी पाबन्दी नहीं है।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आने वाले समय में महेन्द्रगढ जिले में जहां कोई नहर नहीं पहुंचती दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः जहां तक आने वाले समय में बिजली देने की बात है हरियाणा ने हमे ा ही एग्रीकल्चर सैक्टर को प्रैफरैंस दिया है और अब भी दिया जा रहा है तथा आगे भी देते रहेंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मेरा ट्यूबवैल बन्द पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जितनी देर बिजली देते हैं उतनी देर मेरा ट्यूबवैल दिन–रात चलता है लेकिन फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती है। अगर

ट्यूबवैल बन्छ रहेगा तो बुआई कैसे होगी ? मंत्री महोदय ने भाायद खेती का काम किया होगा और उनको पता होगा कि जब एक बार बिजली चली जाए तो खेत में जितना पानी लग जाता है वह सारा सूख जाता है और बिजली दोबारा आने पर फिर उसी में से पानी जाता है। तो आप अन्दाजा लगाएं कि उससे किसान का और दे ा का कितना नुक्सान होता है ? तो आप जितनी देर बिजली दें कम से कम उतनी देर बीच में इन्ट्रप ान तो न हो। क्या इसका कोई इलाज किया जाएगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः बिजली के ठीक ढंग से न मिलने की जो बात है वह अब से कुछ देर पहले की बात हो सकती है लेकिन अब नहीं। अब हमने लाइनों को स्टैन्थन कर दिया है। इसके अलावा करनाल का 132 के0वी0 के स्टे ान भी एक–आध दिन में चलने वाला है। यह स्टे ान चलने के बाद हरियाणा के इस रीजन में बिजली की दिक्कत नहीं होगी और दूसरों में भी नहीं होगी।

चौधरी ि ाव राम वर्माः मंत्री महोदय को मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि भाम को जब खाने का वक्त होता है तो उस समय बिजली नहीं होती क्या इसका कोई प्रबन्ध किया जाएगा ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): भास्त्रों में लिखा है कि खाना दिन से खाया करो। (हंसी)

Persons sent to Judicial Lock up

***1731. Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total number of persons sent to Judicial Lock up in District Jind in connection with the recovery of loans by the Assstant Registrar, Cooperative Societies during the years 1974-75 and 1975-76 separately; and

(b) the total number of Harijans out of those as referred to in part(a) above?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी):–

(क)	1974–75	91
	1975–76	153
(ख)	1974–75	31
	1975–76	44

चौधरी दल सिंहः मंत्री महोदया ने अभी बताया कि 1974–75 में 91 आदमी जेल भेजे गए और उससे अगले साल 153 आदमी भेजे गए तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल में यह नम्बर इतना कैसे बढ़ गया ?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों पर कर्जो का ओवर डियू काफी खड़ा था इसलिये इनको जेल भेजा गया। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। इसमें

कोई सन्देह नहीं कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप पिछले सालों से इस साल हमारी रिकवरी अच्छी हुई।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि जो आदमी 1975–76 में अरैस्ट किए गए हैं उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्रीमती भाारदा रानीः यह तो जवाब के पार्ट 'बी' में 44 दिया हुआ है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः जैसे कि रोज रोज यह बात कही जाती है कि गरीबों के लिए ये–ये रिलीफ दी जा रही है तो क्या इन कर्जों की वजह से गरीब आदमियों की गिरफ्तारी बन्द की जाएगी ?

श्रीमती भाारदा रानीः कर्जे में तो गिरफ्तारी बन्द नहीं हो सकती। अगर चौधरी ि ाव राम वर्मा जी उनको दान दे दें तो गिरफ्तारी बन्द हो सकती है।

श्री अमर सिंहः क्य मंत्री महोदया के नोटिस में यह बात है कि जो हरिजन अरैस्ट हुए हैं उनके कर्जे का पैसा तो कै ि ायर ले गए और उनके अंगूठें लगवा लिये ?

श्रीमती भाारदा रानीः जब किसी को अरैस्ट किया जाता है तो पूरी तरह से तसल्ली करके किया जाता है। जब तक कोई केस सन्देहजनक स्थिति में रहता है तब तक उस केस की

इन्क्वायरी की जाती है उससे पहले किसी को अरैस्ट नहीं किया जाता।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, प्र न सं0 1693 और रहता है अगर आज्ञा हो तो अब पूछ लूं।

Mr. Speaker: Order please. ऐसा फैसला करने से मैं समझता हूं कि मैंबरान को लेट आने की आदत पड़ जाएगी।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस बार तो पूछने दो .....

Mr. Speaker: Question Hour is very important in Parliamentary democracy and we must be punctual. अगर ऐसा फैसला एक दफा किया गया तो फिर यह आद पड़ जाएगी कि मैंबर किसी वक्त भी आ जाएं।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल है .....

Mr. Speaker: Order please. Question Hour is over.

तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Cases Under the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Act, 1973.

***1693. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Local Government be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 389 answered on 13th January, 1976 and to state-

(a) the steps taken by the State Government for expediting the disposal of cases, if any under the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction)A ct, 1973, pending with the Sub Divisional Magistrates in the State and results thereof; and

(b) the total number of cases filed under the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Act, 1973 in the State during the years 197576 and 1976-77 (to-date) together with the number of cases disposed of and pending to-date ?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी पोकर राम गोदारा):–

(ए) हरियाणा नगरी (किराया एवं बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम 1973 के लागू होने पर हरियाणा राज्य में सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) को रैंट कण्ट्रोलर नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए केसिज का भाीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा छः अन्य स्पे ाल कलेक्टरज (रैंट कण्ट्रोल) की नियुक्ति ऐसे स्थानों पर की गई है जहां पर कार्य में वृद्धि पाई गई। इसके परिणामस्वरूप ऐसे केसों के निपटान की गति संतोशजनक पाई गई है।

(बी) एक स्टेटमेण्ट विधान सभा के पटल स्थल पर प्रस्तुत है।

स्टेटमेंट

क्र0	जिला	31.3.75 को पडे हुए लंबित केस	नए दर्ज 1975–76	हुए केस 1976–77	जोड़	निपटाए गए	लंबित मामले
1	जीन्द	160	217	116	493	205	288
2	भिवानी	205	319	95	619	449	170
3	अम्बाला	1309	1118	328	2755	987	1768
4	रोहतक	256	168	120	544	304	240
5	सोनीपत	181	233	92	506	403	103
6	करनाल	261	334	118	713	451	262
7	सिरसा	135	168	31	334	227	107
8	गुड़गांव	320	275	180	775	462	313
9	नारनौल	144	325	136	605	442	163
10	कुरूक्षेत्र	390	191	94	675	317	358

11	हिसार	291	318	111	720	426	294

Houses Built by the Housing Board Haryana at Jind

***1730 Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the total number of houses built by the Housing Board Haryna at Jind till to date;

(b) the type of houses built by the Board as referred to in part (a) above;

(c) the price fixed by the Board for each type of houses as referred to in part (b) above; and

(d) the total number of houses allotted to various persons so far out of these as referred to in part (a) above ?

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital):

(a) & (b) (i) Middle Income Group - 22 (MIG)

(ii) Lower Income Group- 26(LIG)

(iii) Economically Weaker Section- 60 (EWS)

(c) M.I.G. - Rs. 48000

L.I.G.- Rs. 30000

E.W.S.- Rs. 11000

(d) All houses referred in part (a) above have been allotted to registered applicants.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Chief Minister Relief Fund

***545. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise total amount collected for Chief Minister Relief Fund in the State during the financial years from 1972-73 to 1976-77 (to-date) together with the names and addresses of persons institutions who donated more than Rs. 2000/- in the fund, separately; and

(b) the district wise total amount donated to the persons/institutions by the Chief Minister out of the funds as referred to in part (a) above, together with, the names and addresses of such persons/institutions, separately ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):–

(ए) वांछित सूचना अनुबन्ध 'क' और अनुबन्ध 'ख' पर देखने की कृपा करें।

(बी) वांछित सूचना अनुबन्ध 'ग' पर देखने की कृपा करें।

अनुबन्ध 'क'

मुख्य मंत्री सहायता निधि के लिए प्राप्त राि ा

जिला	वर्श 1972–73	वर्श 1973–74	वर्श 1974–75	वर्श 1975–76	वर्श 1976–77
अम्बाला			2632200	13447.22	110410.94
भिवानी			1130.00	12797.20	8335.70
गुड़गांव	1973.90		168.25	45859.47	21732.50
हिसार	2500.00	5750.00	2500.00	15515.15	12950.00
जीन्द	4058.18		726736	53814.85	
करनाल	2312.00	2116.00	1803800	27517.36	20609.00

कुरूक्षेत्र			683.90	4952.90	29023.70
महेन्द्रगढ़	480.50	2452.85	16865	102080.50	1144735
रोहतक		1271.50		39774.00	29806.35
सोनीपत			1178200		17786.00
सिरसा				8278.23	20903.44
मुख्यालय (डोने ान)		220.00		202975.68	9501.00
मुख्यालय (ब्याज)					19221.40
जोडः	11324.58	11810.35	68060.16	527012.56	311727.38

अनुबन्ध 'ख'

जिन व्यक्तियों/संस्थाओं आदि से मुख्य मंत्री सहायता निधि के लिए 2000 रूपये से अधिक राि ा प्राप्त हुई है, की सूची

वर्श	नाम	राि ा
1972–73	निम्नलिखित उपायुक्तों से जिला सहायता निधि के लिए एकत्रित की गई राि ा में से मुख्य मंत्री सहायता निधि का भेजा गया भागः–	
	1. हिसार	2500.00
	2. जीन्द	4058.18
	3. महेन्द्रगढ़	2312..00
1973–74	निम्नलिखित उपायुक्तों से जिला सहायता निधि के लिए एकत्रित की गई राि ा में से मुख्य मंत्री सहायता निधि का भेजा गया भागः–	
	1. हिसार	5750.00
	2. करनाल	2116.00
	3. महेन्द्रगढ़	2452.85

1974–75	निम्नलिखित उपायुक्तों से जिला सहायता निधि के लिए एकत्रित की गई रा ि ा में से मुख्य मंत्री सहायता निधि का भेजा गया भाग:–	
	1. अम्बाला	5322.00
	2. हिसार	2500.00
	3. जीन्द	7267.36
	4. करनाल	18038.00
	5. सोनीपत	11782.00
	अध्यक्ष चैम्बर आफ कामर्स, यमुनानग्र	21000.00
1975–76	निम्नलिखित उपायुक्तों से जिला सहायता निधि के लिए एकत्रित की गई रा ि ा में से मुख्य मंत्री सहायता निधि का भेजा गया भाग:–	
	1. हिसार	2500.00
	2. जीन्द	1289285
	3. करनाल	4538.00
	सहायक रजिस्ट्रार, को–आप्रेटिव	

	सोसायटी, यमुनानगर	2000.00
	सहायक रजिस्ट्रार, को–आप्रेटिव सोसायटी, भिवानी	11250.60
	जीन्द प्राईमरी को–ओप्रेटिव लैंड मोरटगेज बैंक जीन्द	2700.00
	जीन्द सैण्ट्रल को आप्रेटिव बैंक	25000.00
	हिसार डिस्ट्रिकट सैण्ट्रल को आप्रेटिव बैंक लि0, हिसार	10000.00
	मैसर्ज कल्टर हैम्बर इण्डिया लि0, फरीदाबाद	2500.00
	मैसर्ज यूनिवर्सल इल्ट्रीक लि0 फरीदाबाद	2500.00
	मैसर्ज ब्लीस एण्ड मरूप इण्डिया लि0 फरीदाबाद	2000.00
	मैसर्ज गुड ईयर इण्डिया लि0	5000.00
	सहायक रजिस्ट्रार, को आप्रेटिव सोसाइटी, नूंह	2111.00
	रोहतक भूगर मिल्ज लि0	25000.00
	रोहतक प्राईमरी लैंड मोरटगेज बैंक लि0	200000
		4000.00

	रोहतक डिस्ट्रिक्ट होलसैल्ज को आप्रेटिव सप्लाई एण्ड मारकिटिंग सोसाइटी। झज्जर को आप्रेटिव प्राईमरी लैण्ड मार्टगैंज बैंक लि0 करनाल को आप्रेटिव मारकिटिंग सोसाइटी सैन्ट्रल को आप्रेटिव बैंक लि0, करनाल उपायुक्त अम्बाला उपायुक्त नारनौल हरियाणा स्टेट को आप्रेटिव सप्लाई एण्ड मारकिटिंग फैडरे ान लि0 जिला ि ाक्षा अधिकारी, गुड़गांव हरियाणा स्टेट को आप्रेटिव बैंक लि0, चण्डीगढ़	4000.00 2100.00 20000.00 2548.00 100000.00 100000.00 10859.85 100000.00
1976–77	निम्नलिखित उपायुक्तों से जिला सहायता निधि के लिए एकत्रित की गई रा ि ा में से मुख्य मंत्री सहायता निधि का भेजा गया	

	भाग:—	
	कुरूक्षेत्र	2373.70
	सोनीपत	17786.00
	अम्बाला सैन्ट्रल को आप्रेटिव बैंक लि0, अम्बाला भाहर	55000.00
	जनरल मैनेजर एण्ड प्रैजीडैंट एच0एम0टी0 पिंजौर	51563..44
	श्री सरस्वी ड्रामाटिक क्लब, जगाधरी	3000.00
	टी0आई0टी0, भिवानी	2000.00
	भिवानी टैक्सटाईल मिल्ज, भिवानी	2000.00
	कुरूक्षेत्र सैन्ट्रल को आप्रेटिव बैंक	20000.00
	जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी, कुरूक्षेत्र	4750.00 2500.00
	मैसर्ज पानीपत ब्रिक किलन एसोसिऐ ान, पानीपत	19503.44 2500.00
	सिरसा को आप्रेटिव बैंक लि0	2500.00
	मैसर्ज कृपा राम मामन चन्द, कनीना	8334.35

	(महेन्द्रगढ़), मैसर्ज रामकि ान ि ायोचन्द, नारनौल हरियाणा स्टेट को आप्रेटिव सप्लाई मारकेटिंग फैडरे ान चण्डीगढ़ का स्टाफ	

अनुबन्ध 'ग'

मुख्यमंत्री सहायता कोश में से जिन व्यक्तियों/संस्थाओं आदि को दी गई ग्रांट की सूची

जिला	कुल दी गई ग्रांट	कालम 2 का पूरा ब्यौरा		
			नाम (3–ए)	रा ि ा (3–बी)
वर्श 1972–73				
अम्बाला	380	1	श्रीमती भाान्ति देवी विधवा श्री गुरदास मल मकान नं0 3019/2 पटेल नगर, अम्बाला भाहर।	180
		2	श्री अ वनी कुमार, 206, माडल टाउन, अम्बाला भाहर	200
हिसार	2000	1	श्रीमती भंवरी देवी विधवा श्री	180

			मंगतू राम गांव बापौड़ा, भिवानी	
		2	श्रीमती मामकौर विधवा स्वग्रिय श्री तोखा जाट, गांव गौरची, हिसार	1000
		3	श्री केवल राम गांव निगाना कलांत– भिवानी	300
		4	श्री भले राम पुत्र श्री दल सिंह गांव भाजौद, हिसार	300
		5	श्री धर्म पाल हरिजन डुडोम, भिवानी	1100
		6	श्री रमे ा पुत्र श्री सुखी राम हरिजन गांव डुडोम, भिवानी	110
करनाल	800	1	श्री मुरलीधर वर्मा विद्यार्थी कक्षा 9, सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, करनाल	400
		2	श्री रतन सिंह बीए–3, आई0बी0 पानीपत	200
		3	श्री लाजपतराय जैन बी0एड0 विद्याथी कालेज	200

			आफ एजुके ान, कुरूक्षेत्र	
रोहतक	500	1	श्री धर्मपाल पुत्र श्री बख्भी राम गांव जागरी, रोहतक	100
		2	श्री बलदेव राज मैडिकल कालेज, रोहतक	300
		3	श्री सुरजन सिंह गांव गोलागढ त0 झज्जर, रोहतक	100
अन्य	5570	1	श्री सत्यपाल चपडासी, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा	150
		2	श्रीमती फूलवती विधवा स्व0 श्री चुनी लाल (संसद सदस्य) दिल्ली।	600
		3	श्री रमे ा चड्डा (फाईनल वर्श) एम0एल0आर0एम0 मैडिकल कालेजन, मेरठ	300
		4	श्री गोपी चन्द चपडासी मुख्य मंत्री सचिवालय, हरियाणा	100
		5	श्री सुभाश चन्द्रग प्री यूनिवर्सिटी छात्र, डी0ए0वी0	10

			कालेज, चण्डीगढ़	
		6	श्री कैला ा चन्द्र 2– वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़	300
		7	श्री जसकरन भार्मा (नेत्रहीन) चण्डीगढ़	300
		8	श्री रोहता ा सिंह यादव, सहायक, हरियाणा सिविल सचिवालय	200
		9	श्री जोगेन्द्र सिंह, चपडासी, मुख्य सचिव कार्यालय, हरियाणा	500
		10	श्री अमर नाथ भार्मा चौकीदार, हरियाणा सिविल सचिवालय	200
		11	श्री सत्यदेव भाम्र, व्यक्तिगत सहायक मुख्यमंत्री, हरियाणा	1000
		12	श्री बिसन सिंह, गनमैन मुख्य मंत्री हरियाणा	500
		13	निधि का कार्य करने के लिए निम्न कर्मचारियों (मुख्य मंत्री	

			सचिवालय में कार्यरत) को दी गई रा ि ा श्री नरेन्द्र पाल रामपाल सहायक श्री पंचम राम कर्लक	 300 120
		14	श्री विनोद कुमार भामनी, 3—वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़	900
वर्श 1973—74				
अम्बाला	510	1	श्री ज्ञान सिंह मकान नं0 4012, मौहल्ला पलेदार, अम्बाला छावनी।	100
		2	श्री अ वनी कुमार (एक्स नं0 6612719) राम लुभाया होटल माडल टाउन, अम्बाला भाहर।	210
		3	श्रीमती सु ीला देवी पत्नी श्री पूरन चन्द अग्रवाल मकान नं0 6260/12 बनारसी दास बिल्डिंग ईदागह रोड अम्बाला	200

			छावनी	
भिवानी	680	1	श्री केवल राम पुत्र श्री गंगा राम गांव व डा0 नगीना कलां, भिवानी	660
		2	श्री धर्म पाल, हरिजन गांव डडोम	10
		3	श्री रमे ा पुत्र श्री सुखराम हरिजन, गांव डडोम	10
हिसार	500	1	श्री हरि राम छात्र कृशि कालेजर, हिसार	500
करनाल	700	1	श्रीमती आरती देवी विधवा श्री परस राम मकान नं0 1, बैरक नं0 42, राम नगर, करनाल	500
		2	श्री सुमेर चन्द जैन पुत्र श्री फुल चन्द गांव डेरा, करनाल	200
जीन्द	100	1	श्री ब्रह्म स्वरूप कौि ाक, भीला पटी, जीन्द	100
अन्य	3250	1	श्री विनोद कुमार भामनी छात्र 3 वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज,	1200

			चण्डीगढ़	
		2	श्री दौलत सिंह ड्राईवर पर्यटन विभाग, हरियाणा	100
		3	श्री कैला ा चन्द्र छात्र 3, वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ	300
		4	श्री मिलखी राम ड्राईवर, हरियाणा सिविल, सचिवालय	300
		5	श्री गोपाल कृश्ण, चण्डीगढ	200
		6	श्री करतार सिंह चपडासी, हरियाणा सिविल सचिवालय	500
		7	श्री ि ाव लाल गौदारा छात्र बी0एड0जी0वी0 कालेज आफ एजुके ान संगारिया, राजस्थान	200
		8	श्री राम चन्द्र मकान नं0 210 सै0: 24 चण्डीगढ	100
		9	निधि का कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यरत	

			निम्न कर्मचारियों को दी गई राशि :– श्री नरेन्द्र पाल राम पाल सहायक श्री पंचम राम लिपिक श्री पूरन चन्द अरोड़ा	250 9165 835
वर्श 1974–75				
अम्बाला	1200	1	श्रीमती मेल कौर विधवा श्री मंगत सिंह गांव व डा0 जनसुई	200
		2	श्री राम चरन गांव बुदनपुर डा0 पंचकूला	500
		3	श्री राम दास मकान नं0 230/231 तोपखाना बाजार, अम्बाला छावनी	200
		4	श्री एस0एम0 पाल बस स्टैंण्ड कालका	300
भिवानी	200	1	श्रीमती भगवती पत्नी श्री दुली चन्द हरिजन गांव व डा0	200

			गोलपुरा	
गुड़गांव	450	1	श्री ओम प्रका ा भार्मा, वाई0एम0सी0ए0 इन्स्टीच्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद	300
		2	श्री साहिब राम खोखा नं0 आई0बी0 572 एन0आई0टी0 फरीदाबाद	150
हिसार	240	1	श्री करतार सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह हरिजन गांव पन्ना	240
करनाल	625	1	श्री चैतन दास राजपूत पुत्र श्री कि ान चन्द राजपूत बैरक नं0 25 कोठी नं0 6 राम नगर करनाल	225
		2	श्री रामकि ान पुत्र श्री पतराम गांव कामला	100
		3	श्री रतन सिंह नेत्रहीन आई0बी0 कालेज पानीपत	300
रोहतक	20000	1	उपायुक्त रोहतक को भेजी गई रा ि ा जो कि 5.11.74 को हुई	20000

			बस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को वितरित की गई	
अन्य	4240	1	श्री संत राम कलीनर हरियाणा सिविल सचिवालय	300
		2	श्री भीम सिंह चपडासी हरियाणा सिविल सचिवालय	250
		3	श्री विनोद कुमार भामनी फाईनल वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज चण्डीगढ	300
		4	श्री ननकू प्रसाद चपडासी, हरियाणा सिविल सचिवालय	250
		5	श्री कैला ा चन्द्र फाईनल वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज चण्डीगढ	300
		6	श्री सोम दत कांसटेबल नं0 1002, मुख्य मंत्री निवास स्थान।	250
		7	श्री ऐन सिंह चपड़ासी, मुख्य	200

			मंत्री सचिवालय, हरियाणा	
		8	श्रीमती स्वर्ण लता पत्नी श्री विधि चन्द लिपिक, रिहब्लीटैं ान विभाग, हरियाणा	300
		9	श्री भोर सिंह चपडासी, वित्तायुक्त कार्यालय, हरियाणा	200
		10	श्री भोला राम टैलीफोन अटैंडैंट मुख्य मंत्री, हरियाणा निवास स्थान	300
		11	श्री गुरमुख सिंह ड्राईवर, प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हरियाणा	500
		12	श्री ि ालेन्द्र कुमार अग्रवाल, फाईनल वर्श पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़।	300
		13	श्रीमती विद्यावती विधवा स्वर्गीय श्री उत्तम चन्द, मकान नं0 3931, सै0 22, चण्डीगढ	300
		14	निधि का कार्य करने के लिए मुख्य मंत्री सचिवालय में	

			कार्यरत निम्न कर्मचारियों को दी गई रा ि ाः— श्री नरेन्द्र पाल राम सहायक श्री मान सिंह सहायक श्री पंचम राम लिपिक श्री पूरन चन्द लिपिक श्री कन्हैया लाल श्री खान चन्द	 336.61 13.39 11.79 57.56 16.13 54.52
वर्श 1975—76				
अम्बाला	650	1	श्री सुख लाल नेत्रहीन एस0डी0 इन्स्टीचयूट फार ब्लाइंड, अम्बाला छावनी	400
		2	एक्स नं0 6621657 नायक, सुरजीत सिंह संत निरंकारी भवन, यमुना नगर	200
		3	श्री इन्द्र राज नेत्रहीन, छात्र बी0ए0 फाईनल एस0डी0	50

			कालेज, अम्बाला छावनी	
भिवानी	881.40	1	श्रीमती भगवती पत्नी श्री श्रीचन्द गांव व डा0 गोलपुरा	243.80
		2	श्री राम नारायण छात्र कक्षा 9, हाई स्कूल बरालू	150
		3	श्रीमती बि ानबाई विधवा श्री हरनाम दास गांव बलैईया, भिवानी खेड़ा	243.80
		4	श्रीमती कलावंती विधवा श्री देवराम भिवानी	243..80
गुड़गांव	1099. 80	1	श्री साहिबराम खोखा नं0 1—बी/572 एन0आई0टी0 फरीदाबाद	100
		2	श्रीमती भाान्ति देवी विधवा श्री मामचन्द हरिजन, हरिजन कालोनी, सोहना	150
		3	श्रीमती मखलां पत्नी श्री बन्धु खान, तकीया ईदगाह बलिया नगर, फरीदाबाद	250

		4	श्रीमती सावित्री देवी विधवा श्री हरिप्रका ा गांव जनौली, त0 पलवल	249.90
		5	श्रीमती भाान्ति देवी विधवा श्री मामचन्द हरिजन कालोनी सोहना	24990
		6	श्रीमती प्रका ा कुमारी, विधवा श्री साहिबराम आई0बी0 / 572, एन0आई0टी0 फरीदाबाद	100
हिसार	1220	1	श्री करतार सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह गांव व डा0 पन्ना	120
		2	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री काका सिंह हरिजन, गांव चट्ठा	300
		3	मिस राजबाला पुत्री श्री ठाकुर रतन सिंह, बीर चिकनवास, हिसार	900
जींद	104720	1	श्री लाल चन्द हरिजन, गांव अफताबगढ़, त0 सफीदों	747.20

		2	श्री चरणजीत उमरा पुत्र श्री दिवान चन्द उमरा, प्रेम नगर कालौनी, वार्ड नं0 14, गली डा0 तारा चन्द ज्ञान चन्द झंग गेट, जीन्द	300
करनाल	13850	1	श्रीमती आत्मा देवी, वार्ड नं0 12, मकान नं0 33, पानीपत	500
		2	श्रीमती गुरचरन कौर, विधवा श्री जयमल सिंह गांव सुमानबाहु पानीपत	12000
		3	श्री रत्न सिंह माडल टाउन, 374 पानीपत	200
		4	श्री करतार सिंह, चपडासी, जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत	500
		5	श्री रवीदत्त भार्मा, पुत्र श्री मामन राम भार्मा गांव छोछरा	650
कुरूक्षेत्र	650	1	श्रीमती भीला पत्न श्री घसीटा सिंह, गांव मछरौली, डा0 सरीफगढ़	650

रोहतक	549.26	1	श्री संत राम देसवाल, छात्र, बी0ए0 2 नेहरू कालेज झज्जर	300
		2	श्रीमती भीलावंती, विधवा श्री बलवंत राज भार्मा गांव निगाना	249.26
सोनीपत	600	1	श्री रघुबीर सिंह नेत्रहीन गांव मुंडलाण तहसील गोहाना	300
		2	श्री सतपाल सेठ मास्टर प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, सोनीपत	300
अन्य	2480	1	श्रीमती भाकुन्तला छात्र एम0ए0 पार्ट–1 इंगलिश पंजाब यूनिवर्सिटी	500
		2	श्रीमती जसवंत कौर विधवा, श्री मेहर सिंह चपडासी, हरियाणा सिविल सचिवालय	400
		3	श्री सैन सिंह चपडासी, मुख्य मंत्री सचिवालय, हरियाणा	200
		4	श्री करण सिंह, चपडासी, निजी सचिव, मुख्य मंत्री हरियाणा	200

		5	श्री संसार चन्द चपडासी, हरियाणा सिविल सचिवालय	200
		6	श्री गोकल सिंह मकान नं0 3212 सै0 22 चण्डीगढ	200
		7	श्री जसकरण भार्मा एम0ए0 –छात्र चण्डीगढ	200
		8	श्री भगवंत सिंह चपडासी, निजी सचिव, मुख्य मंत्री हरियाणा	300
		9	निधि का कार्य करने के लिए मुख्य मंत्री सचिवालय में कार्यरत निम्न कर्मचारियों को दी गई रा ि ाः– श्री नरेन्द्र पाल राम पाल सहायक श्री खान चन्द लिपिक	 200 80
वर्श 1976–77				
अम्बाला	150	1	श्री इन्द्रराज नेत्रहीन छात्र बी0ए0 फाईनल एस0डी0	150

			कालेज, अम्बाला कैंट	
भिवानी	111300	1	श्री ि ाव कुमार, नेत्रहीन मानहेरू, भिवानी	50
		2	रोहतक दरवाजें के समीप रहने वाले हरिजन परिवों के पुनर्वास के लिए उपायुक्त भिवानी को भेजी गई रा ि ा	10000
		3	श्री रामे वर दास पुत्र श्री देवकरण राम भंदवा, डा0 भद्रा	50
		4	श्री जगदी ा भाम्र, नेत्रहीन गांव उमरावत त0 व जिला भिवानी	200
		5	श्री दीप चन्द गांव नांगल डा0 मानहेरू	400
		6	श्रीमती गोदावरी विधवा श्री बनवारी लाल सुभाश गली, डरमो की पमर, लोहड बाजार भिवानी	100
		7	श्री चन्दगी राम पुत्र श्री मातुराम, हरिजन कमला नगर	500

			नजदीक दादरी गेट, भिवानी	
		8	बाढ पीडितों की सहायता के लिए उपायुक्त भिवानी को भेजी गई रा ि ।	100000
गुड़गांव	100750	1	श्रीमती प्रका । कुमार विधवा श्री साहिब, 1/आई0बी0–572 एन0आई0टी0 फरीदाबाद	350
		2	श्री समसेर पुत्र श्री जुमामेव गांव सुखपुरी तहसील फिरोजपुर झिरका	150
		3	श्रीमती सत्यावती विधवा श्री विनोद कुमार अरजोन्दा फरीदाबाद	250
		4	बाढ पीडितों की सहायता के लिए उपायुक्त गुड़गांवा को भेजी गई रा ि ।	100000
हिसार	75900	1	मिस राजबाला पुत्री ठाकुर रत्न सिंह बीर चिकनवास हिसार	800

		2	श्री गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री रंगी सिंह साकनान चान्दपुरा, डा0 जाखल, त0 हांसी	100
		3	उपायुक्त हिसार की बाढ पीडितों की सहायता के लिए भेजी गई रा ि ।	75000
जींद	12100	1	गांव बडौदा तह0 नरवाना में दिनांक 11.9.76 को बस दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु/घायल व्यक्तियों के परिवारों को सहायता देने के लिए उपायुक्त जीन्द को भेजी गई रा ि ।	12100
करनाल	450	1	श्रीमती रामप्यारी विधवा श्री नरसिंह बैरागी गांव नुरवाला त0 पानीपत	250
		2	श्री चैतन दास पुत्र श्री श्रीकि ान चन्द राजपूत बैरक नं0 25 कोठी नं0 6, राम नगर करनाल	200

कुरूक्षेत्र	105500	1	श्री करन सिंह पुत्र श्री रसीला सिंह गांव पाई तहसील कैथल	500
		2	श्री पन्ना लाल महाजन पेहवा	5000
		3	बाढ पीडितों की सहायता के लिए उपायुक्त कुरूक्षेत्र को भेजी गई रा ि ।	100000
महेन्द्रगढ	75200	1	श्री फुलू राम पुत्र श्री राम सुख गांव व डा0 गुढा तहसील नारनौल	200
		2	बाढ पीडितों की सहायता के लिए उपायुक्त नारनौल को भेजी गई रा ि ।	75000
अन्य	27100	1	मुख्य मंत्री बाढ सहायता कोश त्रिपुरा को भेजी गई रा ि ।	25000
		2	श्री पी0आर0 इन्द्र जिन द्वारा पी0जी0 आई0 चण्डीगढ़ में गुर्दा दान देने पर प्र ंसा के लिए दी गई रा ि ।	1100
		3	श्री ि ावचरण चपडासी मुख्य	200

			सचिव कार्यालय, हरियाणा	
		4	श्री मान सिंह जमादार मुख्य सचिव, हरियाणा	300
		5	श्री सुरजन सिंह पुत्र श्री महासिंह गांव गुजरवाल जिला लुधियाना जो कि पी0जी0आई0 चण्डीगढ में इलाज के लिए दाखिल थे।	500

मुख्य मंत्री बाढ सहायता कोश के बचत खाता में राि । के अभाव के कारण वर्श 1976–77 में उपायुक्त भिवानी, गुड़गांवा, हिसार, कुरूक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ को कुल 450000 रूपये की राि । मुख्य मंत्री सहायता कोश से बोढ पीडितों की सहायता के लिए भेजी गई है। मुख्य मंत्री बाढ सहायता कोश के बचत खाता में राि । प्राप्त होने पर कथित 450000 रूपये की प्रतिपूर्ति मुख्य मंत्री सहायता कोश में कर दी जाएगी।

Nazool Land

546. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state-the village wise areas of Nazool Land in each district of the Haryana State transferred to the persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward Classes during the period from 1st May, 1968 to to-date, together with the village wise names of persons to whom

the above said transfers were made and the area so transferred in each case ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): District wise break up of the Nazool land allotted to members of Scheduled Castes and Backward Classes is shown in the statement laid on the table of the House. The time and labour in collecting information regarding individual allottees will not be commensurate with the possible benefit to be derived therefrom.

Statement showing the information regarding Nazool Land allotted to Scheduled Castes and Backward Classes during the period from 1st May, 1968 to 31st July, 1976

Name of the Distt.		Acres allotted		
		Acres	Kanals	Marlas
1	Hissar	67	3	03
2	Gurgaon	313	1	13
3	Sirsa			
4	Narnaul		7	18
5	Jind	8	2	0
6	Bhiwani	77	3	10
7	Rohtak	459	3	7
8	Sonepat	39	2	15

9	Ambala	344	0	15
10	Kurukshetra	33	5	9
11	Karnal	27	4	8
	Total	1371	2	18

Jails in the State

547. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister fof Transport be pleased to state-

(a) the district wise number and names of Jails in the State as at present together with capacity of each Jail to keep the prisoners, separately; and

(b) the district wise number, names and capacity of Jails in the State where the provisions for keeping the "Better Class Prisoners" and "Detenus" have been made during the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 (to-date) separately ?

परिवहन मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल):–

(क) से सम्बन्धित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से सम्बंधित सूचना देना लोक हित में नहीं है।

विवरणी

जिला का नाम	जेलों की संख्या	जेलों के नाम	कैपेस्टी

अम्बाला	1	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	986
हिसार	2	जिला जेल, हिसार बच्चा जेल, हिसार	700 350
रोहतक	1	जिला जेल, रोहतक	350
करनाल	2	जिला जेल, करनाल उप जेल, पानीपत	180 14
कुरूक्षेत्र	1	उप जेल, कैथल	24
गुड़गांव	3	जिला जेल, गुड़गांव उप जेल, पलवल उप जेल, रिवाड़ी	119 26 14
सिरसा	1	उप जेल, सिरसा	86
महेन्द्रगढ़	2	उप जेल, महेन्द्रगढ़ उप जेल, नारनौल	50 60

भिवानी	2	उप जेल, भिवानी उप जेल, दादरी	50 31
जींद	2	उप जेल, जीन्द उप जेल, नरवाना	50 30
सोनीपत	1	उप जेल, सोनीपत	24
		जोड़	3144

Distillery in Karnal

548. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to refer to state-

(a) whether it is a fact that Letter of Intent for the setting up of a Distillery in Karnal district, has been issued to any party during the years from 1973 to 1976 (to-date); if so, the name of the party and in case of firm or company or institution, the names of partners or shareholders, as the case may be; and

(c) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the latest position of setting up of the said Distillery togetherwith the date of its functioning ?

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्री भयाम चन्द):–

(ए) जीं हां। उद्दे य पत्र 9.11974 को जारी किया गया था।

इस कम्पनी का नाम मैसर्ज माडल डिस्टिलरज एण्ड ब्रियूरज प्राईवेट लिमिटिड करनाल था। इस कम्पनी के प्रोमोटर्ज निम्नलिखत थे :–

(1) श्री आर0पी0 गुप्ता, पुत्र श्री रौनक राम।

(2) श्री एस0 सिंह, पुत्र श्री आर0 सिंह (इन्होने कम्पनी से withdraw कर लिया है)

(बी) यह मद्य ााला अभी तक नहीं लगाई गई है। उद्दे य पत्र की अवधि 8.1.1976 को समाप्त हो चुकी है। लैटर आफ इनटैंट की अवधि बढाए जाने के बारे की गई प्रार्थना विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोशणाएं

(1) श्री राम कि ान आजाद के स्वर्गवास के सम्बंध में–

Mr. Speaker: I have to inform the House with deep sorrow that Sh. Ram Kishan Azad, a Member of the Haryana Vidhan Sabha representing Jundla Assembly Constituency of the Karnal District died on the 22nd July, 1976

(2) सभापति तालिका के बारे में–

Mr. Speaker: Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen :-

1. Sh. Nihal Singh,

2. Rao Dalip Singh,

3. Ch. Ishwar Singh, and

4. Ch. Manphul Singh

(3) याचिका समिति के बारे में–

Mr. Speaker: Under Rule 286(1) of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions :-

1. Smt. Lekhwati Jain (Deputy Speaker) Ex-Officio Chairman

2.Rao Dalip Singh,

3. Sh. Gulab Singh Jain,

4. Ch. Phool Chand (Rohta), and

5. Ch. Phool Chand (Mullana)

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: I have received an application from Ch. Devi Lal M.L.A. asking for leave of absence from the House because he is unable to attend this Session as he has been detained in Sub Jail Mohindergarh under MISA.

Question is-

That permission for leave of absence be granted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: I have received an application from Ch. Hardwari Lal, M.L.A. detenu Central Jail, Ambala, asking for leave of absence from the Vidhan Sabha meetings commencing on the 15th Nov. 1976 under Article 190(4) of the Constitution as he has been detained under MISA. (Interruptions)

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, एक गुजारि ा है कि अगर इजाजत देते हैं तो कोई फर्क पडने वाला नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): वह मैम्बर ही नहीं है, उसे इजाजत कैसे दें ?

चौधरी दल सिंहः अगर मैम्बर ही नहीं है तो स्पीकर साहब को यह मो ान पढना ही नहीं चाहिए।

Mr. Speaker: Order please. This is for the House to decide.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इससे तो यह जाहिर होगा कि गवर्नमैंट एक आदमी के पीछे ही पड गई है।

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, कल कोई आदमी अगर गली में चलता हुआ दरखास्त दे दे कि मेरी लीव ग्रांट की जाए तो वह कैसे ग्रांट हो सकती है ? जब वह मैम्बर ही नहीं है हाउस का तो उसकी लीव कैसे ग्रांट की जाए ? (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please. No debate and no division. This is a right of the House and the decision is to be taken by the House.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, इसमें सवाल यह नहीं है कि आया वे मैंबर हैं या नहीं हैं। सवाल तो यह है कि अगर नान मैम्बर की ऐप्लीके ान आए तो आपके सैक्रिटेरियट ने या आपने उसे ऐन्टरटेन करना है या नहीं करना है इसका फैसला जनाब ने फरमाना है। अगर मैम्बर की ऐप्लीके ान है तो मैरिटस पर कंसिडर होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Order please. I have put up his application before the House. It is for the House to decide.

Ch. Rizaq Ram: The question is whether he is a member or not.

Mr. Speaker: I do not allow this kind of debate on this question.

Question is-

That permission for leave of absence be granted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: I have received an application from Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A. asking for leave of absence from the House because he is unable to attend the Session as he has been detained in District Jail Hissar under MISA.

Question is-

That permission for leave of absence be granted.

The motion was carried.

सचिव द्वारा घोशणाएं

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its last Session held in July, 1976, and have since been assented to by the Governor/*President.

STATEMENT

1. The Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1976.

2. The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1976.

3. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1976.

4. The Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 1976.

5. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1976.

6. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1976.

7. The Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, 1976.

8. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1976.

9. The Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) (Haryana Amendment) Bill, 1976.

10. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, 1976.

11. The Punjab Village Common Lands (Regulation) (Haryana Amendment) Bill, 1976.

12. The Haryana Appropriation No. 3 Bill, 1976.

13. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1976.

14. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill, 1976.

15. The East Punjab Molasses (Control) (Haryana Amendment) Bill, 1976.

16. The Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1976.

17. The Haryana Race Courses Licensing Bill, 1976.

18. The Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1976.

19. The Haryana Veterinary Council Bill, 1976.

20. The Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, 1976.

21. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill, 1976.

22. The Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the Council of States regarding the ratifcation of the Constitution (Forty-Fourth Amendment) Bill, 1976:-

(i) Letter dated the 12th November, 1976, received from the Secretary General, Rajya Sabha;

(ii) The Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976 (both English and Hindi versions), as introduced in Lok Sabha;

(iii) the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976 (both English and Hindi versions), as passed by the Houses of Parliament;

(iv) The Lok Sabha Debate on the Constituion (Forty-fourth Amemndment) Bill, 1976; and

(v) The Rajya Sabha Debate on the Constituion (Forty-fourth Amemndment) Bill, 1976.

भोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा के अनुसार इस बार भी मैं इस दुःखद विशय की चर्चा करूंगा कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ नेता, हमारे कुछ

राजनीतिज्ञ और महत्वपूर्ण व्यकित पिछले दिनों में हमसे विदा हो गए हैं। सबसे अधिक जो गहरे दु:ख की बात है वह यह है कि हमारे सदन के भी एक बहुत अच्छे साथी जो पिछली बार बैठक में हमारे साथ बैठे थे आज हम से गायब हैं। श्री रामकि ान आजाद के बारे में आप सब जानते हैं कि वे कितने अच्छे व्यक्ति थे। वे स्वयं दलित वर्ग में पैदा हुए थे। दलित वर्ग के साथ उनकी बडी भारी सहानुभूति थी। वे सन 1967 में सइ सदन के मैम्बर निर्वाचित हुए और उसके बाद सन 1972 में दोबारा इस सदन के मैम्बर बने। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब रहता था लेकिन स्वास्थ्य खराब होते हुए भी वे इतने लग्न ाील और कर्त्तव्यनिश्ठ थे कि बीमारी की हालत में भी अपने काम में जुटे रहते थे। कई बार तो उनकी सेहत जब अच्छी नहीं दिखाई देती थी तो हम उसको मजबूर करते थे कि तुम जाकर आराम करो लेकिन उनके मन में गरीब भाईयों के लिए पिछडे वग्र के लिए इतनी भरी हमदर्दी थी कि जीते जी वे चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। पिछले दिनों वे करनाल नगर सुधार मंडल के जब अध्यक्ष बनाए गए तो सबसे पहला काम जो उन्होंने अपने हाथ में लिया वह यह था कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए वहां एक आवास बस्ती का निर्माण किया जाए और वे कई बार मुझ से आग्रह करते रहे कि आप स्वयं आकर इसका ि ालान्यास करें उनकी यह इच्छा अध्यक्ष महोदय पूरी नहीं हो पाई। जब तक उन्होंने सब कुछ प्रबंध किया और मैंने भी रजामन्दी जाहिर की उससे पहले ही उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। मैं इस सदन की ओर से उस दिवंगत आत्मा के

संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट करता हूं और सहानुभूति प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये भावनाएं उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाई जाएं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को भाांति प्रदान करें।

15.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, श्री जे0जे0 सिंह, इस इतने महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे कि मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति उनके नाम से अपरिचित नहीं होगा। हमारे हिन्दुस्तान के अंदर कुछ ऐसे बहादुर लोग पैदा हुए जिन्होंने न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में जाकर भी हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई लडी, जैसे कृश्णामेनन ने इंग्लैंड में जाकर, अंग्रेजों के घर में जाकर, इंडियन लीग बनाई और वर्शों तक उसके अंदर काम करते रहे। इसी प्रकार श्री जे0जे0 सिंह ने जो संयुक्त पंजाब के अंदर रावलपिंडी में पैदा हुए थे पहले इंग्लैंड में जाकर काम किया और उसके बाद अमेरिका में जाकर इंडियन लीग की स्थापना की और वर्शा तक, जब तक वह इंडियन लीग रही, वे उसके अध्यक्ष रहे। उन्होंने भारतवर्श का पक्ष बडी मजबूती के साथ बडे तर्क के साथ अमेरिका के सामने रखा। तो आज उनके निधन से भारतवश्र को बडी भारी क्षति हुई है। हमने एक बडे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और दे ा भक्त को अपने बीच से खो दिया है।

श्री टीका राम ''सुखन'' को पंजाब और हरियाणा का हर व्यक्ति जानता है। वे बडे प्रगति ीील व्यक्ति थे। स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने बडा भारी हिस्सा लिया था। उन्होंने बडी यातनायें सही, साम्राज्यवाद की बेडियों को काटने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोडी थीं उनके दिल में कमजोर वर्ग के लिए बडा दर्द था। जब हरियाणा प्रदे ा अलग बना तो उस टाईम पर वह हरियाणा साम्यवादी दल के सचिव थे और अन्तिम क्षण तक वे अपनी बीमारी की अवस्ािा में भी अपनी संस्था के लिए और कमजोर वर्ग की सेवा करने में जुटे रहे। उनके निधन से, हमने गरीबों का एक सच्चा हमदर्द और अच्छा राजनीतिज्ञ खो दिया है।

श्री सुरेन्द्र मोहन घोश, भूतपूर्व सांसद सदस्य को कांग्रेस दल के सभी लोग जानते हैं। वे बडे भारी क्रान्तिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक बार क्रान्तिकारी संघर्श अंग्रेजों के खिलाफ किया। प्रथम युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए जर्मनी से सहायता प्राप्त करने का पूरा प्रबंध किया लेकिन इस योजना का भेद खुल गया और वे गिरफ्तार हो गये और श्री सुभाश चन्द्र बोस के साथ मांडले जेल में बंद कर दिये गये। इस प्रकार से उन्होंने अनेक कार्य किये। उन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भी संघर्श किया और उन्होंने संसद में रह कर भी इस दे ा की सेवा की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, यह सदन उनके लिए भाोक प्रकट करता है। जितने भी हमारे महानुभााव नेता इस संसार से चले गये हैं उन सभी के

प्रति यह सदन भाोक प्रकट करता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी सारी भावनाओं को उनके भाोक संतप्त परिवारों तक भिजवाया जाये। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्माओं को भाान्ति प्रदान करे।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने चार महानुभावों के बारे में भाोक प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने हमारे एक साथी श्री रामकि ान आजाद का भी वि ोशकर जिक्र किया है। इस सदन के सभी माननीय साथी उनसे वाकिफ हैं। वे पहले भी इस सदन के मैम्बर रहे हैं और अब भी हमारे साथ मैम्बर थे। उनहोंने कहा कि वे एक ऐसे वर्ग से संबंध रखते थे जिनकी नुमाइंदगी हाउस में सर्विसीज में और दूसरी जगहों पर बहुत ही कम है। उनके दिल में इस बात की तडप थी कि उनके वर्ग को ज्यादा सहूलियतें प्रदान की जानी चाहिए। उनके निधन से हम सभी को बडा गहरा भाोक है। जो भी जजबात भावनायें मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में प्रकट की हैं, मैं भी उनके साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूं और उनके निधन पर भाोक प्रकट करता हूं और साथ ही उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जाहिर करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को भाान्ति प्रदान करें।

आज श्री टीका राम 'सुखन' कें बारे में भी भाोक प्रस्ताव आया हें वे दूसरी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते थे लेकिन उन्होंने जीवन भर आजादी हासिल करने के लिए संघर्श

किया था। आजाद होने के प चात वे पिछडे वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए कुर्बानी करते रहे। उन्होंने सारा समय इस बात के लिए लगाया, वे कितनी ही बार जेल में गयें, कितनी तकलीफें उठायीं लेकिन यह बात खासतौर पर प्र ांसनीय है कि वे निडरता के साथ अपनी जमीर और आत्मा के मुताबिक उम्र भसर लडते रहे। जिन असूलों के एिल वे खडे हुए थे, उनको उन्होंने आखिर तक निभाया और गरीब आदमियों की सेवा करते रहे। उनके निधन से दे ा और गरीब लोगों को बडा भारी दुःख पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं सहमति प्रकट करता हूं।

श्री जे0जे0 सिंह के बारे में तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं मगर अखबारों मे ंसारी बातें पढते हैं कि जिस तरह से दे ा की आजादी के लिए उन्होंने संघश्र कियश वह सभी को पता हैं दूसरे दे ा में भी उन्होंने दे ा की आजादी के लिए सरगर्मी जारी रखी, वह भी किसी से छुपी हुई नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि वे हर तरह से दे ा की आजादी के लिए लडते रहे। उनके निधन से दे ा को बडी भारी हानि हुई है। इन भाब्दों के साथ जो सदन में भाोक प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सदन में जिनके बारे में भाोक प्रस्ताव रखा है उनमें से दो आदमियों के साथ मेरा काफी सम्पर्क रहा

है, एक श्री रामकि ान आजाद जो इस विधान सभा के सदस्य थे और दूसरे श्री टीका राम 'सुखन'। इन दोनों व्यक्तियों के साथ मैंने किसी न किसी क्षेत्र में थोडा बहुत काम किया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफी काम करते थे। उन्होंने काफी कुछ अपने ढंग से काम किया। मृत्यु के आगे किसी की चलती नहीं है चाहे कोई तगडा हो या कमजारे हो लेकिन जिस तरह से वे अचानक चले गये वह दु:ख की बात है। हमें तो यह सोचना है कि जिस तरह से वे काम करते थे उसी तरीके से हमें भी करना चाहिए।

दूसरे जिन महानुभावों का जिक्र आया है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफी काम किया है। उनको बाद तक याद किया जाता रहेगा। यह जो भाोक प्रस्ताव हमारे सामने आया है, मैं अपने आपको उसके साथ जोडता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को भाांति दे और उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की भाक्ति दे।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, यह जो भाोक प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस ने सदन के सामने रखा है, मैं अपने आपको उसके साथ बाबस्ता करता हूं। जहां तक मुझे रामकि ान आजाद की याद का संबंध है वे बडे अच्दे व्यक्ति थे लेकिन मुझे इस बात का बडा भारी दु:ख है कि वे बगैर पैं ान लिए ही चले गये। मैं उनकी प्री मिच्योर मृत्यु समझता हूं।

जहां तक श्री टीका राम 'सुखन' का ताल्लुक है उनसे मेरा काफी सम्पर्क रहा है। सन 1935 में लाहौर में मैंने वाई0एम0सी0ए0 हाल में उनकी स्पीच को सुना थां उस टाईम पर सर सिकंदर हयात खां चीफ मिनिस्टर होते थे। उनके भतीजे श्री मुजफ्फर खां के लडके महमूद जो यंग कम्युनिस्ट थे, उसको प्रिजाइड कर रहे थे। उन दिनों एक तो बुखारी साहब हुआ करते थे जो बडे भारी ओरेटर समझे जाते थे या सुखन साहब समझे जाते थें सुखन साहब एक बहुत बडे सी0आई0डी0 अफसर के लडके थे। जब उनकी ऐसोसिए ान भारत नौजवान सभा से हुई थी और जब वे इस सभा के नजदीक आये तो उनका कई बार टैस्ट लिया गया। भारत नौजवान सभा ने उन पर खवुद इनती वाच रखी थी कि कहीं यही सी0आई0डी0 का आदमी न हो क्योंकि वे सी0आई0डी0 अफसर के लडके थे। लेकिन ऐन उस वक्त जब इनका बाप सी0आई0डी0 में एक बहुत बडा अफसर था, यह गिरफ्तार हुए और लाहौर किले में रखे गये। उनको टार्चर करने की यह हालत थी कि उनके बाल बहुत लम्बे थे क्योंकि उनको बाल लम्बे रखने की आदत थीं एक बहुत बडे कामरेड होते थे जो मेरे साथ लुधियाना जेल में रहे उनका नाम तो मुझे अब याद नहीं है, वे उनके साथ थे। उनके बाल पकड कर एक दूसरे के साथ बांध दिये गये। उनके बाप अपने लडके के लिए कुछ कर सकते थे लेकिन he was loyal to his Government and he was loyal to his party. उस बेचारे के बिाल तीन दिन बाद उखड गये और बाद में बहुत दिनों तक वे अस्पताल में रहे। उस आदमी का हरियाणा से

भी बहुत सरोकार है क्योंकि जब तक हरियाणा नहीं बना था तब से ही वह हरियाणा की कम्युनिस्ट पार्टी का काम करता था जिसका मैं 17 साल तक कार्ड होल्डर रहा। हमने उनके साथ बहुत बडे बडे जलसे बाइसिकलों पर कवर किये हैं उन जैसे आदमियों को इस बात का कोइ अफसोस नहीं था कि उन्होंने इतनी कर्बानियां क्यों कीं। एक बार में गलती से उनके साथ पैं ान का जिक्र कर बैठा। मेरे से यह गलती हो गयी कि मैंने यह कह दिया कि आप भी एप्लाई कर दो इस पैं ान के लिये जो फ्रीडम फाइटर्ज को मिल रही है। उसका जो जवाब था, वह यहां पर कहने की बात नहीं है क्योंकि यह ठीक मौका और वक्त नहीं है। वह तो प्राइवेट तौर पर सुनाने की बात है। उन्होंने यह कहा कि कुर्बानियों की भी क्या कीमत ली जाती है ? वे नफरत करते थे इस बात पर कि उनसे कोई पैं ान लेने के लिये कहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि टीका राम सुखन की बहुत सी यादें पैं ान के साथ बाबस्ता हैं। मैं उनके अकस्मात निधन पर इस भाोक प्रस्ताव में अपना हिस्सा डालता हूं।

इसके बाद श्री जे0जे0 सिंह के बारे में लीडर आफ दि हाउस ने ठीक तौर पर फरमाया कि श्री कृश्णामैनन लंदन में और जे0जे0 सिंह अमेरिका में हामरे अन अपवायेंटिड ऐमबैसेडर थे जबकि फ्रीडम मूवमैंअ चल रही थी और वे लोग जो आज यहां पर बैठे हैं, ये सब उस समय स्टूडैंटस थे, कालेजों में थे या स्कूलों में थे लेकिन आलमोस्ट ये सारे मैम्बर जो यहां बैठे हैं, उस समय

स्टुडैंटस थे। श्री जे0जे0 सिंह का कन्ट्रीब्यू ान अमेरिका में इंडिया लीग के प्रेजीडैंट के रूप में बहुत भारी था।

घोश साहब के बारे में पार्लियामैंट में जो आदमी हैं, पार्लियामैंट से जिनका थोडा बहुत वास्ता होता है, वे तकरीबन सारे के सारे यह जानते हैं कि वे उन लोगों में से थे जो आखिर तक नै ानली इन्टैग्रेटिड रहे कभी किसी ने उनको सैक्रटेरियन या पार्टी के हिसाब से नहीं देखा। सबने देखा कि घोश वहीं के वहीं रहे वे नहीं बदले। जब वे हाउस में दाखिल होते थे तो सारे एम0पी0 उनकी इज्जत में खडे हो जाते थे। सारे सैंट्रलहाल में सिर्फ दो ही आदमी ऐसे थे एक थे राजा महेन्द्र प्रताप और दूसरे घोश साहब जिनकी इज्जत में जब भी वे सैंट्रल हाल में से गुजरें तो कोई एम0पी0 यह अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वह बैठा रहे। वे तमाम के तमाम आदमी सुखन साहब, घोश, जे0जे0 सिंह जैसे तो थे, धीरे धीरें इस दुनियां से उठ रहे हैं। हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने वाले वे आदमी दुनियां से खत्म हो रहे हैं। उनका इस दुनियां से चले जाना, मेरे लिये जाति तौर पर एक अफसोस है। इन भाब्दों के साथ मै। अपने आपको लीडर आफ दी हाउस ने जो प्रस्ताव पे ा किया है, उससे बाबस्ता करता हूं।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकी (हसनपुर–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो यह प्रस्ताव पे ा किया है मैं भी इसमें अपने आपको भाामिल करता हूं। इसमें राम कि ान आजाद के बारे में जिक्र है। वे एक बहुत अच्छे वर्कर

थे, हमारे सफाई कर्मचारियों के खास तौर पर वे एक नेता थे। सन 1952 से जबकि वह पंजाब के सफाई कर्मचारियों के प्रेजीडैंट थे, वे पंजाब के अंदर सफाई कर्मचारियेां के लिये हर जिले में काम करके उनकी उन्नति करवाना चाहते थे और उनकी उन्नति के लिये वे काम करते रहे। सन 1966 में हरियाणा बना और जब सन 1969 में हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई थी सफाई कर्मचारियों की इंकवायरी के लिये, तो उसमें वे भी मैंबर थे और मैं भी उसमें एक मैंबर था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा मेें उस कमेटी के अंदर हरियाणा के सफाई मजदूरों की जांच के लिये, जिस लग्न के साथ उन्होंन काम किया, वह वे लोग ही जानते हैं। उनके दिल के अंदर उनके लिये बडा भारी दर्द था। जिस रोज उनकी मृत्यु हुई उस रोज मैं यहां पर मौजूद था। 22 तारीख को जब वे पी0जी0आई0 में दम तोड रहे थे तो मैंने उनके लिये कांग्रेस पार्टी के आफिस में टेलीफोन किया और वहां पर जो भी मिनिस्टर या एम0एल0ए0 मौजूद थे, उन्हौंने उनकी डैड बौडी को करनाल पहुंचवाया। उस समय यहां पर पोसवाल साहब, प्यारा सिह जनरल सैक्रेट्री और माडू सिंह मलिक मौजूद थे। दूसरे दिन वहां पर जितने भी हमारे नेता थे, एम0एल0ए0 थे या दूसरे लोग थे, उनके दाह संस्कार में भाामिल हुए। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे एक बहुत अच्छे आदमी हमारे सदन कै थे। आज जो मुख्यमंत्री जी ने उनके लिये सहानुभूति प्रकट की है, उसके लिये मैं भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को यह

दु:ख सहन करने की भाक्ति दे। इसके अलावा तीन औरा व्यक्तियों के नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में हैं, मैं उनके लिये भी अपना भाोक प्रकट करता हूं और उनके लिये भी यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवारों को भी इस दु:ख को सहन करने की भाक्ति दे।

Mr. Speaker: Hon'ble Members since we met last, we have lost some more eminent persons who distinguieshed themselves in the service of the State and the country in various walks of life.

Shr Ram Kishan Azad, M.L.A. died of hear attack on July 22, 1976. He was first elected to Haryana Vidhan Sabha in 1967 and re elected in 1972 form Jundla Constituency. Sh. Azad worked for the Bharat Sevak Samaj, Punjab Safai Mazdoor Federation and loved to serve the weaker and down trodden sections of the society. He was also Chairman of the Improvement Trust, Karnal.

Sh. J.J. Singh, former Persident of the Indian League in the United States, passed away on the 7th August, 1976. Sh. Singh left India in 1924 and went to U.S.A. in 1926. In 1927, he was elected President of the Indian league of America nad held that position till 1959 when the League was dissolved. He served the cause of Indian Freedom Movement in a reamarkable manner.

Sh. Tika Ram 'Sukhan'l Secretary, Haryana State Communist Party died on the 1st September, 1976. He was an old revolutionary who worked hard in the national freedom

struggle. He also edited the 'Naya Daur' and the 'Naya Zamana'.

Sh. Surendra Mohan Ghosh, fromer M.P. also passed away on the 7th September, 1976. Sh. Ghosh entered policies at an early age and played a significant part in the struggle for national freedom. In 1924, he was deported to Mandalay jail in Burma alongwith Neta Jee. Sh. Ghosh became a members of the Constituent Assembly in 1946 and was elected to the Lok Sabha in 1952. Later he remained a member of the rajya Sabha upto 1967.

I fully associate myself with the deep feelings that have been expressed about the passing away of the great personalities.

I shall no doubt convey the sympahties silence for two minutes while standing as a mark of respect to the memory of the deceased.

(At this stage, the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the decesased).

मेज पर रखे कागज पत्र

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, beg to lay on the Table-

The Haryana Ceiling on Land Holdings (Third Amendment) Ordinance, 1976, (Haryana Ordinance No. 11 of 1976)

The Punjab Gram Panchayat (Third Amendment) Ordinance, 1976, (Haryana Ordinance No. 12 of 1976)

A copy each of the following documents :-

(i) The Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976 (English and Hindi version)

(ii) Rashtrapati Bhavan, New Delhi, communication dated the 26th August, 1976.

(iii) Rashtrapati Bhavan, New Delhi, communication dated the 21th October, 1976.

The Political Department, Haryana Notification No. G.S.R. -163/HA3/75/S. 8/76 dated the 2nd July, 1976, regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1976 as required under section 8(1) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowance Act, 1975.

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. -183/HA 26/72/S. 31 Amd. 3/76 dated the 4th August, 1976, regarding the Haryana Haryana Ceiling on Land Holdings (Third Amendment) Ruels, 1976 as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holidngs Act, 1972.

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. -222/HA 26/72/S. 31 Amd. 4/76 dated the 15th October, 1976, regarding the Haryana Haryana Ceiling on Land Holdings (Fourth Amendment) Ruels, 1976 as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holidngs Act, 1972.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the Year ended 31st March, 1974, as required under section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

The 9th Annual Report on the Haryana Financial Corporation for the Year ended 31st March, 1976, as required under section 38(3) of the State Financial Corporation Act, 1951.

मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, beg to lay on the Table-

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. -221/HA 18/72/S. 25/76 dated the 12th May, 1976, regarding the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Rules, 1976, as required under section 25(3) of the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Rules, 1976.

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. 10/H.A. 26/72/S. 31/Amd (1)/76 dated the 23rd January, 1976 regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First Amendment) Rules, 1976, as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. 67/H.A. 26/72/S. 31/Amd (2)/76 dated the 5th April, 1976 regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Rules, 1976, as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

The Excise and Taxation Department Haryana, Notification No. G.S.R. 149/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (1)/76, dated 18th june, 1976, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1976, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Development and Panchayat Department, Haryana Notificaiton No. G.S.R. 24/H.A. 30/70/S. 22/Amd. (1)/76, dated the 27th February, 1976, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendment) Rules, 1976, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 147/P.A. 3/61/S. 115/Amd. (1)/76, dated the 11th June, 1976, regarding the Panjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Non Official Members (Payment of Allownaces) (Haryana First Amendment) Rules, 1976, as required undersection 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961.

The Town and Country Planning Department Notification No. G.S.R. 107/HY.A., 8/75/S. 24/76, dated the 7th March, 1976, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

A copy each of the following Notification issued Section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939:-

(i) Transport Department Notification No. G.S.R. 190/C.A. 4/39/S. 68/Amd. (3) 75, dated 16-12-75.

(ii) Transport Department Notification No. G.S.R. 108/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (4) 76, dated 7-5-76.

(iii) Transport Department Notification No. G.S.R. 109/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (5) 76, dated 7-5-76.

(iv) Transport Department Notification No. G.S.R. 110/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (6) 76, dated 7-5-76.

(v) Transport Department Notification No. G.S.R. 111/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (7) 76, dated 7-5-76.

(vi) Transport Department Notification No. G.S.R. 112/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (8) 76, dated 7-5-76.

(vii) Transport Department Notification No. G.S.R. 113/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (9) 76, dated 7-5-76.

(viii) Transport Department Notification No. G.S.R. 114/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (10) 76, dated 7-5-76.

(ix) Transport Department Notification No. G.S.R. 115/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (11) 76, dated 7-5-76.

(x) Transport Department Notification No. G.S.R. 116/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (12) 76, dated 7-5-76.

(xi) Transport Department Notification No. G.S.R. 125/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (13) 76, dated 7-5-76.

(xii) Transport Department Notification No. G.S.R. 144/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (14) 76, dated 7-5-76.

(xiii) Transport Department Notification No. G.S.R. 108/C.A. 4/39/S.S 24&41 68/Amd. (4) 76, dated 7-5-76.

वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी कि त) पे ा करना

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 1976-77.

वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी कि त)पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पे ा करना

Chiarman, Estimates Committees (Sh. Nihal Singh): Sir, I beg to present the report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 1976-77.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन प्रस्ताव

हरियाणा उत्तर प्रदे ा (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 के संबंध में

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move-

That the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, referred by the President of India for expression of views thereon, be taken into consideration.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, referred by the President of India for expression of views thereon, be taken into consideration.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव हरियाणा और उत्तर प्रदे ा की सीमाओं के परिवर्तन करने के संबंध में इस बिल के द्वारा यहां हाउस में पे ा हुआ है, मैं उसके बारे में सरकार के सामने अपने विचार रखना चाहता हूं। स्पहीकर साहब, इस बिल को पढने से ऐसा मालूम पडता है कि इसमें हरियाणा सरकार और यू0पी0 सरकारों के आपस की जमीनों के तबादले का सवाल है और जिस पर दीक्षित जी का अवार्ड भी है जिसके अनुसार कुछ भूमि जो हरियाणा सरकार की यू0पी0 की तरफ है वह यू0पी0 सरकारा की मलकीयत हो जाएगी और जो भूमि यू0पी0 सरकार की हरियाणा की तरफ है, वह हरियाणा सरकार की मलकीयत मानी जाएगी। लेकिन इसय बिल का असल मुद्दा है वह पूरे तौर पर साफ नहीं है कि असल हालात क्या हैं ? स्पीकर साहब, अब तक यमुना के दोनों तरफ जो देहात हैं उनकी जमीनों का फैसला रिवाज के मुताबिक है और जो रिवाज चले आ रहे हैं वे बडे पुराने रिवाज हैं कि जो जमीन पानी के बहाव में किसी भी किसान की दूसरी तरफ चली जाएगी तो वह भूमि उस मालिक की नहीं रहेगी बल्कि उस मालिक को उसका नुक्सान उठाना पडता है और यू0पी0 सरकार की दूसरी तरफ जिसमें वह भूमि चली जाएगी वहां की हो जाएगी या फिर ववह भाामलात देह में जमीन भाामिल हो जाएगी। इसी तरह यू0पी0 से आने वाली जमीन का यही रिवाज था और अगर कोई भूमि फालतू हो जाएगी तो वह भाामलात देह गिनी जाएगी।

स्पीकर साहब, यह बडे दु:ख की बात है कि अब हमारी सरकार जो समझौता करने जा रही है उससे यू0पी0 सरकार को बडा फायदा हो रहा है और जिन लोगों की जमीनों जा रही हैं उनको बिना कोई मुआवजा दिये यह फैसला किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। इससे आगे स्पीकर साहब, आपके नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं कि गुड़गांव में एक गोवर्धन ड्रेन है जिसका पानी यू0पी0 वालों ने रोक दिया है जिसकी वजह से गुड़गांव जिले को बडा नुक्सान हो रहा है और इस ओर सरकार की कोई तवज्जाचे नहीं है। और भी कई समस्यायें हैं जो कि हमारी यू0पी0 वालों से उलझी हुई हैं। गुड़गांव जिले में आगरा कैनाल की जितनी नहरें हैं उनका पानी हमारे इलाके में लगता है मगर यू0पी0 सरकार की उस पर मलकीयत है और वह उसका आबयाना लेती है। इस तरह कई ऐसे मामलों में आपस में झगड़े चलते रहे हैं। पोसवाल साहब भी जब मंत्री थे उस वक्त भी यह कोि ा ा की गई थी कि इन सारी बातों का फैसला हो जाए, सीमाओं का फैसला हो जाए पर सभी कोि ा ों नाकाम रही और आज यह बिल उसी के लिये यहां लाया गया है।

स्पीकर साहब, आज फ्लड की वजह से सारा गुड़गांव जिला बरबाद हो रहा है और इस वक्त पानी का सारा कंट्रोल यू0पी0 वालों का है। बजाये इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान जाए यह इन बातों को छोड़कर आज सीमाओं का फैसला करने को लग रही है जबकि यह दोनों फैसले इकट्ठे किये

जाने थे। यह बड़े दु:ख की बात है। इससे पहले भी स्पीकर साहब, सरकार के सामने यह सवाल आया था और यह निर्णय किया गया था कि हम पैकेज डील के द्वारा फैसला चाहते हैं। अगर यू0पी0 वाले हमारी बात नहीं मानते तो हमें भी यह बात नहीं माननी चाहिये जिससे कि यू0पी0 वालों की दिलचस्पी थी उसे अपना लिया। जैहर नाले पर झगडे हुए दीक्षित साहब सालि ा मुकर्रर हुएं करनाल और सोनीपत के इलाके की हदबंदी का फैसला किया गया, संबंधित लोगों से नहीं पूछा गया, वहां के नुमाइंदों से कोई विचार नहीं किया गया और सरकार ने एकाकी में यह फैसला किया। इस तरह का फैसला एकाकी तौर पर कोई इंसाफ नहीं है।

स्पीकर साहब, मैं फिर आपके द्वारा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा देहातों को बडा नुक्सान हुआ है और वह नुकसान सरकार की अपनी कमजोरी, गलत पालिसी की वजह से हुआ है। इस ऐक्ट के मुताबिक नवम्बर और दिसम्बर में या जनवरी 1975 में गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने सर्वे किया उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हदबंदी की जानी है लेकिन बहुत से देहात ऐसे हैं जहां पर कि सरकार ने 1972 के बाद कोई सर्वे नहीं करवाया। बहुत सी जमीन हरियाणा की यू0पी0 की तरफ चली गई। अगर इन्हौंने सर्वे करके मिसलें तैयार की होतीं तो उस रिकार्ड के मुताबिक वह जमीन इधर होती लेकिन यह तो उस जमीन को भी इस ऐक्ट के तहत यू0पी0 को देने जा रहे हैं जो थोडी बहुत इधर बची। इसका कारण यह है कि न इन्होंने रिकार्ड

तैयार करवाया और न इनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे यह देख कसें कि 1973 के साल में हमारे पास इतनी जमीन बरामद होकर आई और 1974 में इतनी आई इसलिये गवर्नमैंट आफ इंडिया के सर्वे रिकार्ड के अनुसार ये आज इस ऐक्ट को लागू करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक हर साल बुर्द बरामदगी की मिसाल तैयार होनी चाहिये और सारा रिकार्ड कम्पलीट होना चाहिये और उसक मुताबिक सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। इन्होंने ऐसा कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया तो इससे ज्यादा लापरवाही कोई हो नहीं सकती। आज जिन लोगों की जमीनें सन 73 से बरामद हुई हैं उनका रिकार्ड तैयार न होने की वजह से आज हम उनकी जमीन यू0पी0 की सरकार को या वहां के लोगों को सौंपने जा रहे हैं। क्या सरकार उस जमीन का मुआवजा दे सकती है या कोई और जवाब दे सकती है। जब यह कानून है कि हर बुर्द बरामदगी की मिसल तैयार करके रिकार्ड में लाया जाए कि कितनी जमीन हमारी कट कर गई और कितनी जमीन उधर से इधर आई है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है फिर भी आप यह फैसला करने चल पडैं। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने आपके रिकार्ड के मुताबिक सर्वे किया है और उसके मुताबिक आज लाखों एकड जमीन यू0पी0 को जाने लग रही हैं। तो इससे ज्यादा लोगों के साथ बे इंसाफी हो नहीं सकती। यह नहीं यह भी देखें कि यह ऐक्ट कब से लागू होना है, उसकी तारीख सैंट्रली गवर्नमैंट से मुकर्रर करनी है और वह भी तब होगी जब यह ऐक्ट पास हो जाएगा। यह तो बिल

है। यह बिल यहां भी आया है और यू0पी0 में भी गया है उसके बाद पार्लियामैंट के दोनों हाउस इसको पास करेंगे और उसके बाद प्रेजीडेंट की मंजूरी आनी है फिर उसके बाद तारीख मुकर्रर होगी कि फलां तारीख से यह एक्ट लागू होगा। जब तक यह ऐक्ट लागू नहीं होता उस वक्त तक जो जमीन दरिया के इस तरफ है उसके मालिक हरियाणा के लोग हैं। जिनकी जमीन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 50 साल पहले परली तरफ चली गई थी और अब वह वापिस इधर आई हुई है चाहे वह 75 में ही आई हो फिर भी उसके मालिक इधर के लोग हैं। लेकिन सरकार ने उन लोगों का दिल दु:खी किया। 18 अक्तूबर को गवर्नमैंट आफ इंडिया से एक डिप्टी सैक्रेटरी आया, मेरठ जिले का डी0सी0 औरा हमारे सोनीपत जिले का डी0सी0 तथा राजस्व मंत्री भी आए इन्हौंने फैसला किया कि सन 1975 के बाद यू0पी0 कीद जो जमीन इधर आई है उस पर यू0पी0 के लोगौं को कब्जा करवा दो। ऐक्ट तो पास नहीं हुआ लेकिन इन्होंने यह फैसला पहले ही कर दिया कि यू0पी0 के लोगौं को यह जमीन दे दी जाए। आज दरिया के परली तरफ यू0पी0 की आर्मड पुलिस तथा दूसरी पुलिस थानेदार और सिपाही बैठे हैं। वे न घरों से लडकियों को बाहर निकलने देते हैं और न किसी को खेतों में जाने देते हैं। वे लोगों की रोज मारपीट करते है। इन हालात को देख कर लोगों ने दावे दीवानी किये और सीनियर सब जज सोनीपत ने यह कह कि इस तरह से जबरदस्ती कब्जा न किया जाए ऐसा उनहोंने आर्डर दिया। लेकिन उस आर्डर को सरकार ने देखा तक नहीं और अब एक

महीने से हरियाणा की पुलिस भी वहां तैनात कर दी गई है। इधर हरियाणा की पुलिस पडी है और उधर यू0पी0 की पुलिस पडी है। जमीन तो उन लोगों की है जिनकी बरामद हुई है चाहे सन 75 से ही हुई है लेकिन है तो उन लोगों के कब्जे में। फिर भी इस सरकार की दरियादिली देखो कि इसने यू0पी0 की पुलिस बुला कर अपने इलाके में डाल दी। कभी भी ऐसा नहीं सुना कि दूसरे प्रानत की पुलिस दूसरे इलाके में आकर लोगों की बहु बेटियों की बेइज्जती करे। इसके अलावा अपनी पुलिस को भी वहां तैनात कर दिया कि किसी आदमी को खेतों में न जाने दो। लोनें ने अपनी फसलों को तैयार किया हुआ है लेकिन यह पुलिस उनको आगे घुसने नहीं देती तो यह हालत आपके सामने है। स्पीकर साहब, न मालूम कब जोकर इसकी मलकियत ट्रांसफर हो लेकिन सरकार ने उससे पहले ही जबरदस्ती लोगों से कब्जे छुडवाने के लिये अपनी सारी ताकत लगा दी है ताकि यू0पी0 सरकार को या यू0पी0 के लोगों को ये कब्जे दिलवाए जाएं। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं और हाउस के माननीय सदस्य वहां जाकर यह देख सकते हैं कि यू0पी0 पुलिस के वहां कैम्पस लगे हुए हैं और राइफलों और बन्दूकों से लोगों को परे ाान किया जा रहा है और जबरदस्ती दूसरे लोगों का कब्जा करवाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यह तो पुलिस राज बन गया है। अग्र आप दे ा में कानून की दुहाई देते हैं तो यह बिल लाने की क्या जरूरत थी। अन्त में एक बात और कह कर मैं अपना स्थान लूंगा। कानून के मुताबिक जो जमीन सन 1975 में बरामद हुई उसके मालिक इस

तरफ के लोगं हैं, इसमें कोई सन्देह वाली बात नहीं है लेकिन इस जमीन ाके अप दूसरे लोगां को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर बिल के मुताबिक आप यू0पी0 को इस जमीन की मलकियत देना चाहते हैं तो क्या आप बगैर मुआवजे के इस तरह से दे सकते हैं ? यह आपकी सरकार की जमीन नहीं हैं कि जैसे चाहा कर दिया। यह तो लोगों की अपनी पुरानी मलकियत है। आप इसको मानून के जरिये लेकर यू0पी0 की सरकार को देना चाहते हैं। क्या आप बगैर मुआवजे के वह जमीन उसको देना चाहते हैं, क्या यही आप लोगों का समाजवाद है जिसमें गरीब आदमियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। ? जो लोग कानून से इतने वाकिफकार नहीं हैं, जिन लोगों में सरकार से लडने की भाक्ति नहीं है, उन लोगों की जमीनैं आप छीनना चाहते हैं क्या आपका विधान यही कहता है ? स्पीकर साहब, आप सुनकर हैरा होंगे कि इन देहातों में एक एक बिसवेदार की जमीन 40 चसाल पहले रली तरफ चली गई और अब दो तीन साल पहले वह बरामद हुई तो अब अगर वे अपनी जमीन के मालिक बन गए हैं तो इनको क्या एतराज है। पहले जो सौ सौ बीघे के बिसवेदार थे आज उनमें किसी के पास दो बीघे जमीन है तो किसी के पास पांच बीघे हैं। इसी तरह से हेंड़ा और बसन्तपुर गांव हैं। इन गांवों की जमीन अगर निकाली जाए तो मु कल से तीन चार सौ बीघे रकबा रह जाता है। यह हालत है और सरकार फिर उनके कब्जे की जमीन को पुलिस की इमदाद से जबरदस्ती छिनवाना चाहती है और हैरानी की बात है कि मंत्री महोदय खुद

सोनीपत के रैस्ट हाउस में बैठकर इस पर मोहर लगाते हैं कि यू0पी0 की पुलिस आ जाए और यहां बैठ जाए।

(राजस्व मंत्री पंडित चिरंली लाल भार्मा): ऐबसोल्यूटली रौंगं

चौधरी रिजक राम: अगर रौंग है कि आप उस दिन सोनीपत में नहीं थे जब यह फैसला हुआ तो भी सजा हो मैं मानूंगा। आज भी आपकी पुलिस वहां पडी हुई है। आज भी यू0पी0 की पुलिस आपके इलाके में बैठी है। वे हमारी बहू बेटियों को बाहर नहीं निकलने देती। उस पुलिस को आप विदड्रा करेंगे और जब तक यह कानून पास न हो तब तक कोई इलाका उनको जबदरस्ती ट्रांसफर नहीं करेंगे यह बचन आप दे दें। स्पीकर साहब, बडी हैरानी की बात है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया के एक डिप्अी सैक्रेटरी का हुक्म इन्हें खुदा का हुक्म हो गया। हमारी सारी सरकार वहां कांपती थी कि कहीं गवर्नमैंट आफ इंडिया में यह न कह दे कि हरियाणा की सरकार टालमटोल करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस बैठा दो और कब्जा दे दो, इन्होंने ऐसा कर दिया। आज भी अगर यह कह दें कि कानून के मुताबिक जब तक मलकियत तबदील न हो जाए तब तक हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तब हम मान जाएंगे। (विघ्न) इन भाब्दों के साथ स्पीकर साहब, मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): स्पीकर साहब, अपोजी ान से माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम जी ने इस रैफरैंस पर बोलते हुए बडे तनजन तरीके से हरियाणा सरकार की दरियादिली की बात की और ऐसा जाहिर किया जैसा कि हरियाणा सरकार को हरियाणा की जनता से जो जमुना से इधर बसती है कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वह यू0पी0 के जेरे अहसान है और हमने काफी इलाका दान दे दिया इस तरह के कंप्लीमैंटस आनरेबल मैम्बर ने पे ा किए। ये खुद मंत्रिमंडल में रहे हैं। स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि हमारे पांच जिले यू0पी0 से मिलते हैं इधर से अम्बाला और कुरूक्षेत्र, फिर करनाल और सोनीपत, उसके बाद गुड़गावं गुड़गांव एक तरफ से मथुरा से मिलता है और दूरी तरफ बुलन्द ाहर और अलीगढ वगैरा से मिलता है। इन पांचों जिलों में जहां तक अम्बाला और कुरूक्षेत्र का ताल्लुक है, इनकी बाउंडरीज आलरेंडी फिक्सड हैं, पर्मानैन्टली फिक्सड हैं और कोई डिसप्यूट नहीं था। इसी तरह से गुड़गांव में मथुरा की तरफ कोई डिसप्यूट नहीं है क्योंकि बाऊंडरी आलरेडी फिक्सड थी लेकिन सोनीपत और करनाल में और इसकी दूसरी तरफ मुज्फरनगर और मेरठ का जो इलाका है, यहा डिसप्यूट था। यहां एल्यूबियन और डिसएल्यूबियन का डिसप्यूट बहुत पहले से चला आया है। इसी तरह गुड़गांव में डिसप्यूट था। ये डिसप्यूटस आज के नहीं हैं बल्कि सन 33–34 से चले आए हैं। सन 43 में हमारे गुड़गांव के कुलैक्टर अख्तर हुसैन थे और बुलन्द ाहर के कुलैक्टर मिस्टर हार्डी थे। दोनों सरकारों ने

पंजाब और यू0पी0 दोनों कुलैक्टर्ज की एक कमेटी कांस्टिच्यूट की। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी मगर वह रिपोर्ट रैटिफाई नहीं हुई या उसके ऊपर ऐक्ट अपौन नहीं हुआ। वे झगड़े अब तक चलते आए हैं। जहां तक बैरा बाकीपुर और बसन्तपुर आदि गांव का संबंध है, जो कि इनके हल्के के हैं, इनके बारे में चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि बुर्दी और बरामदगी की मिसलें तैयार नहीं हुई। अगर तैयार होती तो ये इलाके यू0पी को नहीं जाते। इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बुर्दी और बरामदगी की मिसलें तैयार हुई हैं और होती रही हैं। इसके ब ारे में उनकी जो ि ाकायत है वह ठीक नहीं है। (विघ्न)72 के बाद तैयार हुई या नहीं हुई, 74 के बाद हुई या नहीं, 75 में हुई या नहीं हुई, इसके बारे में मैं अर्ज करूं कि जो गवर्नमैंट की इंस्ट्रक ांज हैं, जो रूल्ज हैं उनके मुताबिक बाकायदा बुर्दी और बरामदगी की मिसलें तैयार हुई हैं। मैं खुद वकील रहा हूं और मैंने इस बारे में इनके गांव वालों के कई केस लडे हैं। यह ठीक है कि वहां जमीन बुर्द और बरामद होती रही है क्योंकि जमुना वहां अपना कोर्स बदलती रहती है। फिर उनहोंने कहा कि कोई जमीन 1862 में बुर्द हुई और अब पिछले दिनों 5,6 साल पहले बरामद हुई। यह बात हो सकती है क्योंकि जमुना के कोर्स बदलने से जैसा मैंने पहले कहा इस तरह के डिसप्यूटस चलते रहते थे। गुडगांव जिले में यह डिसप्यूटस इस हद तक पहुंचे हुए थे कि हमे ाा झगडे चलते रहते थे। यू0पी0 वाले हमारी तरफ आकर भारारत करते थे और हमें मुर्वे इल्जाम ठहराते थे। बार बार दोनों की पुलिस में एक

तरह का झगडा होता था। दोनों सिस्टर स्टेटस हैं और बाउंडरी फिक्स करने का सवाल है। यह राईट आफ ओनरि ाप ट्रांसफर करने का सवाल नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त भाायद इस बिल को गलत समझे हैं। अब कौन सा रकबा किधर हो सवाल यह है। आखिर we are branches of the same tree. यह ठीक है कि सिस्टर स्टेटस में जैसे कि यू0पी0, पंजाब और हरियाणा है, कई बार झगड़े हो जाया करते हैं लेकिन इनका फैसला भी तो होना ही चाहिए। जब यह सिलसिला चलता रहा तो हमारी सरकार ने और यू0पी0 सरकार ने निर्णय लिया कि बजाये इसके कि रोजाना आपस में जमींदार लडें, सरकार कर्मचारी लडैं, आर्बिट्रें ान से इसका फैसला कर लिया जाए और हमने और यू0पी0 के चीफ मिनिस्टर ने मिलर कर ऐग्री अपौन करके उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री उमा ांकर दीक्षित को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में आर्बिट्रेटर मंजूर कर लिया और ये सारे झगडें उनके सुपेर्द कर दिए। मिस्टर के0वी0 सुन्द्रम, जो हमारे चीफ इलैक ान कमि नर रहे हैं, बहुत ईमानदार और काबिल अफसर हिन्दुस्तान के रहे हैं और उन पर किस किस्म के पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने भी इन इलाकों का मौका देखा हे। हमारी सरकार की तरफ से भी अपना केस पे ा करने में कोई कमी नहीं रखी गई है। मैं समझता हूं कि हमारे अफसरान ने और हमारे चीफ सैक्रेटरी ने इस केस मकें अपनी ऐफि ाऐंसी का सही सबूत दिया है।

1600 बजे।

1960 तक रिकार्ड के आधर पर हमने अपनी मांग को पे ा किया जिससे वह झगडा खत्म हुआ। मैं अर्ज कर रहा था कि अख्तर हुसैन और हार्डी की एक कमेटी मुकर्रर की गई थी। उसमें 3784 एकड रकबा को हम कहते थे कि यह हमें मिलना चाहिए, इस पर हमारा क्लेम है। मिस्टर हार्डी कहते थे कि दो सौ या अढाई सौ एकड रकबा यू0पी0 को मिलना चाहिए। उनकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी लेकिन रेटीफायी नहीं हुई थी। दो सौ या अढाई सौ एकड रकबा यू0पी0 को मिलना चाएि। उनकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी लेकिन रेटीफायी नहीं हुई थी। दो सौ या अढाई सौ एकड लैंड का झगडा था। उस डिसप्युट का भी निर्णय लिया गया। अब गुडगांव जिले का जो नार्दर्न और सदरन जोन है, जहां बसतपुर गांव है उसका नक ा देखने से पता चलता है कि यू0पी0 गवर्नमैंट यह कहती थी कि यहा जो 20 हजार एकड का रकबा है जहर नाले तक यह हमारा है। वे जहर नाले को ही बाउन्डरी मानते थे लेकिन हम कहते थे कि जमना का मेन कोर्स जो है वह दरिया है। सुन्दरम साहब खुद दो तीन बार वहां मौके पर ग्रये और वहां पर अफसरान की मीटिंग हुई मैं उन मीटिंग्ज की तारीख भी बता सकता हूँ। 11–12 जून को, 15 जुलाई को, 13 अगस्त को और 8–9 और 10 सितम्बर को मीटिंग्ज हुई। सुन्दरम साहब खुद 12 जून और 2–3 सितम्बर को मौके पर गये। इस तरह से यह सारा केस डिटेल में आन दी बेसिज आफ रेविन्यू

रिकार्ड लडा गया। हमारे रेविन्यू अफसरों ने, चीफ सैक्रेटरी और गुड़गांव जिले के कुलैक्टर ने रिकार्ड को तला ा करके कमेटी के सामने पे ा किया। मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदे ा को जरूरत से ज्यादा फायदा हुआ है। 20 हजार एकड का रकबा मिला है क्योंकि यू0पी0 वाले तो जैहर नाले तक ही बाउन्डरी मानते थे। 13—14 गांव हैं जिनकी जमीन 20 हजार एकड के करीब बनती है। दीक्षित एवार्ड से यह सारा रकबा मिला है। यह परमानैन्ट तौर पर हमें मिला है। अब यह जहर नाला बाउंडरी नहीं है जो मेन स्ट्रीम जमना का है जिसके बारे में हम मुकद्दमें लडते रहे हैं, कतल भी हुए हैं, सिर पिटाई होती रही है वह बाउन्डरी है। अब दोनों तरफ से आराक ाी भी खत्म हुई। प्यार और मोहब्बत की मुरली बज गई है, ऐसा करने से हरियाणा को क्या नुक्सान हुआ है ? मेरे फाजिल दोस्त ने मुझे भी कमप्लीमैंटा पे कर दी कि रेविन्यू मिनिस्टर साहब सोनीपत में थे, मैंने उनको बुलाकर कह दयिा था कि ऐसा करो। इसमें कोई सदाकत नही ंहै। मेरे फाजिल दोस्त का टेलीफोन आया था, मैंने उनकी बात सुनी। मेरे पास भी डेरा बासीपुर और मदनपुर के कुछ जमींदार आयें कि यह रकबा हमें बरामद हुआ है, हम इसको का त करना चाहते हैं। मैंने चीफ सैक्रेटरी साहब को टेलीफोन किया कि किसी प्रकार की क ाीदगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस पर दीक्षित एवार्ड हो चुका है। मार्च 1975 में दीक्षित एवार्ड हुआ था। केवल उसकी इम्पलीमैंटे ान में ढील हो रही है। हमने भी उसको इन प्रिंसिपल मान लिया है और यू0पी0 वाले कुछ खतो खिताबत कर रहे हैं, भाायद उन्होंने रिप्रैजन्टे ान

भी किया था लेकिन इस सब खतो खिताबत के बाद उन्होंने भी इन प्रिंसीपल इस एवार्ड को मान लिया। अब तो केवल इम्पलीमैंट होना है। यह इम्पलीमैंट भी बाई ऐक्ट आफ पार्लियामैंट होना है क्योंकि परमानैंट बाउन्डरी का सवाल है। इसकी इम्पलीमैंटे ान हमारे अपने हाथ में नहीं थी बाई ऐक्ट आफ पार्लियामैंट होनी थी। दोनों स्टेटस को भी रैफरैंस जानी थी तो इसलिए इसमें डिले हुई तो चीफ सैक्रेटरी साहब ने चौधरी राम नारायण, कुलैक्अर सौनीपत और यू0पी0 के कुलैक्टर को राउन्ड दी टेबल बात करने का कोई वाया मीडिया निकालने के लिए कहा लेकिन यहां पर चौधरी रिजक राम ने कह दिया कि हरियाणा ने या रेविन्यू मिनिस्टर साहब ने प्लेट पर रख कर जमीन दे दी यह बिल्कुल गलत बात है। यह सरासर हिकायत के खिलाफ है। मैं बडे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वाकायात को तोड मरोड कर पे ा किया गया है। मैं उनका जाति तौर पर विरोधी नहीं लेकिन जिस तरीके से अपोजी ान के लीडर की हैसीयत से उनहोंने अपने फरायज को अदा करने की कोि ा ा की है, यह ठीक नहीं है मैं उनको खराज तहसीन अदा करता हूं। खूबसूरती तो इस बात में है कि फैक्टस को खुद ही मान लिया जाये। मैं अपने फाजिल दोस्त की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जनता के हक की हिफाजत करने के लिए और अपने पक्ष को पे ा करने के लिए बेहतरीन खिदमात अन्जाम दी हैं। काबिल से काबिल वकीलों की मदद ली है। हमारे जो फाइनैं ाल कमि ानर हैं वे भी बडे काबिल हैं। उनको मैं सारे

हाउस की तरफ से कम्पलीमैंटस पे ा करना चाहता हूं। यह सब उनकी मेहनत का नतीजा है। हमें अपने चीफ सैक्रेटरी और फाइनैं ाल कमि ानर पर गौरव है। यू0पी0 वाले जैहर नाले को ही जमुना की बाउन्उरी मान रहे थे लेकिन हमने उसको नहीं माना और उसके कारण ही हमें 13–14 गांव परमानेन्ट तौर पर मिले हैं। बीस हजार एकड जमीन है यानी एक लाख बीघे जमीन है .... (विघ्न).

चौधरी रिजक रामः बुरे बाकी गांव के बारे में क्या पोजी ान है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः बुरे बाकी गांव से मेरी भी हमदर्दी है। वे मेरे भी कलाइन्ट रहे हैं। यह गांव चौधरी साहब के अपने इलाके में है।

चौधर रिजक रामः फिर वहां पर पुलिस क्यों बैठा रखी है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः पुलिस को जाकर तो आप कहते हो कि सख्ती करो। मुकदमें बनाओं तो फिर वे सोनीपत में आयेंगे (हंसी) चौधरी साहब हमें तो हमे ाा इस चीज को फिक्र रहा है कि हमारे आदमी न मारे जायें। जहां तक ला एण्ड आर्डर का सवाल है responsibility devolves on the shoulders of the Governmnet to see that award has to be implemented. यह जो निर्णय लिया गया है यह आर्बीट्रेटर का एवार्ड है It has to be

acted upon and if it is delayed by a few months इसका मतलब यह नहीं है कि उस डिले को लेकर हमर सिर पटाई करैं। मैंने अपने फाजिल दोस्त की स्पीच को बडे गौर से सुना है। मैं बडे अदब से सारे हाउस को कहना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि दीक्षित एवार्ड से हरियाणा को जरूरत से ज्यादा फायदा हुआ है। हमें जरूरत से ज्यादा चीज मिली है। ये झगडे हमे ाा के लिए खत्म हो गय। हमारी एक जरूरत से ज्यादा यूं मिली है कि हमे ाा हमे ाा के लिए झगेडे खत्म हो गए। हमारी एक इंच भी जगह नहीं गई है।

चौधरी रिजक रामः फिर इसको छोड दो।

पंडित चिरंजी लाल भार्माः छोडने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो फैसले में पायी है।

श्री अध्यक्षः बात यह है कि चौधरी रिजक राम और पंडित चिरंजी लाल जी का फैसला तो सोनीपत में ही होगा।

पंडित चिरंजी लाल भार्माः मैं तो यहीं रणभूमि समझता हूं। यहीं पर फैसला कर लेंगे। इस रैजोल्यू ान को मंजूर कर लेना चाहिए ताकि पार्लियामैंट में जल्दी से जल्दी पास हो सके।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, referred by the President of India for expression of views thereon, be taken into conisideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause. As there are no amendments, I am putting all the clauses together.

Clauses 2 to 36

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 36 be agreed upon.

The motion was carried.

The Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be agreed upon.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 be agreed upon.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be agreed upon.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title of the Bill be agreed upon.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move-

That the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, agrees with the same.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, agrees with the same.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, agrees with the same.

चौधरी रिजक राम (पाई): स्पीकर साहब, अभी रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने तकरीर करते हुए फरमाया कि इस बिल के जरिये मलकीयत कोई ट्रांन्सफर नहीं होनी और इस बिल के जरिये सिर्फ सीमा मुकर्रर की जा रही है। उनका कहने का अभिप्राय जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि जो हमारी मलकीयत है और यू0पी0 की तरफ गयी हुई है, वह हमारी ही रहेगी और उसमें कोई तबदीली नहीं होगी और इसी तरह से जो अमल बरामदगी

होगी उसका भी सवाल है। उसके लिये अगर आप गौर से पढें तो क्लाज 2 की (1) में यह दिया हुआ है:

(i) Transferred territores means,

(i) in relation to the State of Haryana, the transferred by this Act from that State to the State of Uttar Pradesh, and

(ii) in relation to the State of Uttar Pradesh, the territories transferred by this Act from that State to the State of Haryana;

फिर स्पीकर साहब, क्लाज 14 है जिसें आगे यह लिख गया है:

(1) Subject to the other provisions of this part, all land and all stores, articles and other goods belonging to the State of Haryana or Uttar Pradesh in the transferred territories shall, as from the app

तो जो मंत्री महोदय यह फरमाते हैं कि न ही कोई टैरीटरीज ट्रांसफर होनी हैं और न ही कोई जमीन ट्रांसफर होनी है। पिल्लर्ज लग जायेंगें और सीमा मुकर्रर हो जायेगी। कोई जमीन इधर से उधर या उधर से इधर स्टेट की ट्रांसफर नहीं होगी। लोगों को वाहिद मलकीयत यू0पी0 सरकार को देनी है या वहां से लोगौं को देनी है और फिर भी कहें कि हमारे यहां से कोई जमीन ट्रांसफर नहीं होनी है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो आप उनको मुआवजा नहीं देते दुसरे यह चीज

प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप उस समझौते को इम्पलीमैंट कर सको। तो मैं आपके जरिये से सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप न तो उनको कोई पुल ही देते हो और न ही कोई और सहूलियत देते हो। क्या बरसात के मौसम में यह मुमकिन है कि वे बरसात के मौसम में इधर से उधर जाकर का त कर सकें। आप बहुत डींग मारते हैं कि हमने 20000 एकड के करीब जमीन ले ली। 13 गांवों के करीब जहर नाले के बारे में जो बोर्डर डिस्पयूट था, उसको आपने खत्म कर दिया। उसमें आपके चीफ सैक्रेटरी फाइनैंि ायल कमि नर और किसी हद तक पंडित जी की भी सराहना ठीक है। यह सराहइना का काम भी है लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप बाकी इलाके में इस बिल को इम्पलीमैंट कैसे करोगे ? यह बात रैवन्यू मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि बरसात के मौसम में बोर्डर प्वायंट पर पानी चलता है। हमारे लोग परली तरफ ऐसे बरसात के मौसम में गुजर नहीं सकते। जो इस रास्ते में आरजी पुल भी बनाते हैं, वे भी टूट जाते हैं। आज हरियाणा के लोगों को वहां पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पडता है। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे यह झगडा मिट जाये। इस तरह करने से तो जो यू0पी0 के लोगों की मलकीयत वाली जमीन बनती है वह इधर आ जाने से बरसात के मौसम के के दिनों में यू0पी0 के लोगों के का त नहीं की जा सकती। फिर झगडा तो वहीं का वहीं रह गया। यह कोई हल नहीं है जिस तरह से आप हल निकालना चाहते हैं जब तक कि आप ऐसा कोई तरीका नहीं निकाल सकें कि हमारे लोग

आसानी से उधर जाकर का त कर सके। आप एक पैसा तो वहां पर खर्च नहीं करना चाहते ताकि वहां पर कोई पुल ही बना दें। फिर आप ही बतायें कि यह फैसला आप क्या करने चले हैं ? मै। यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा फैसला है जो बहुत की गलत फैसला है और इससे अधिक अन्यायपूर्ण फैसला हो ही नहीं सकता। इससे लोगों को बहुत डिफीकल्टी हो रही है। फिर रैवेन्यू मिनिस्ट साहिब ने यह कह दिया कि अमल बरामदगी की मिसल बढी है। हमारे मुख्यमंत्री साहब भी यहां बैठे हैं। वे यह देख लें कि सोनीपत जिले में अगर कोई अमल बरामदगी की मिसल बढी हो तो जो सजा वह दें वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं वरना यह सरकार सरकार कहलाने की हकदार नहीं। कोई मिसल नहीं बनाई और कोई रिकार्ड नहीं और इस रिकार्ड न होने की वजह से वह सारी जमीन जो यहां के लोग कई साल पहले से का त करते आ रहे थे, वह उनके पास चली गयी। पुलिस वाले वहां पर बैठा दिये और जबरदस्ती उनका कब्जा करवा दिया। इसलिये मैं मुख्य मंत्री साहब की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि दोनों तरफ के लोगों के इन्ट्रैस्ट को ध्यान में रख कर आप कोई ऐसा फैसला करा दो जिससे कि लोगों के हक न मारे जायें और जो पुलिस आपने वहा ंबिठा रखी है, चाहे यू0पी0 की पुलिस है या आपी हरियाणा की पुलिस है, वह भी उनके साथ धींगामु ती न कर सके और कानून की अदालत के हुक्म की तामील हो सके जिसके उनहें मानना भी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अदालत का जो फैसला हो उसको सरकार न माने। जो

भी फैसला हो उस पर अमल करना चाहिए। इन भाब्दों के साथ स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में कुछ ध्यान देकर लोगों के जो हक की बात है उसको पूरा करेंगे।

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी): माननीय अध्यक्ष महोदय चौधरी रिजक राम ने जमीन की बरामदगी की बात कही। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि उनको इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि कुछ सौ एकड भूमि जो कि कुछ लोगों ने जोत रखी थी, फैसले के मुताबिक कुछ डिस्पयूट की हो जाती है। अन्यथा इस फैसले का कितना लाभ हुआ है, इसका अन्दाजा अगर उनको लगाना है तो मेरे क्षेत्र में देखें। जिला गुड़गांव को देखें कि वहां 16–17 गांव जिनकी कई हजार एकड जमीन जैसा वह कहते हैं अगर इस रिवजा को मानते रहते तो अध्यक्ष महोदय, जमुना का कटाव कुछ इस प्रकार का था कि ज्यादा जमीन हमारी ही उन लोगों को मिलती, हमारी ही जमीन यू0पी0 को जाती और हमारे लोगों का कुछ फायदा नहीं होता। मेरे क्षेत्र में फिक्सड बाउंडरी है। वहां के लोग इस पार बसे हैं लेकिन उनकी जमीन दूसरी पार है। वे वहां जाकर का त करते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था जहां फिक्सड बाउंडरी नहीं थी। 16–17 गांवों के लोग उस तरह जाते फसल बोते लेकिन जब काटने का टाइम आता तो यू0पी0 के लोग लाठियां और कुल्हाडियां लेकर आज जाते थे और आए दिन वहां एक तमा ाा

बना रहता था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप मेरे बोलने से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी सिम्पथी किस तरफ है। अध्यक्ष महोदय, इस डिस्पयूट के सैटल हो जाने से हमारी जमीन ही हमको मिली है। वे लोग आकर रोज झगडा करते थे और जिसके जाने का खतरा रहता था। इस फैसल से हमको जमीन मिल गई। अगर रिवाज को मान लेते तो नि चत रूप से हमारे अधिकार में वह जमीन नहीं रहती यू0पी0 वालों को मिल जाती। अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि हमारा रिकार्ड तैयार नहीं था, हमारे अफसरों ने मेहनत नहीं की यह बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो यह फैसला हमारे हम में नहीं होता। हमारे अफसरों ने बहुत मेहनत की है। सारा पुराना रिकार्ड, पुराने फैसले, पुराने डिसक ंज हमारे हक में जाते थे और वही हमारे अफसरों ने प्रस्तुत किए। अगर आज का रिकार्ड प्रस्तुत होता तो हरियाणा का हक घट जाता। हमें तो अपने आफिसर्ज को धन्यवाद देना चाहिए कि इस मामले में मेहनत करके अपने साथ न्याय करवाया और हरियाणा के लोग जो रिवाज के मुताबिक हरियाणा में रहना पसन्त करते थे और हमे ाा से हरियाणा में रहते थे लेकिन आज उनको खतरा पैदा हो गया था कि कहीं वे यू0पी0 में न चले जाएं। वे लोग इस फैसले से बहुत प्रसन्न हैं उन्होंने प्रसन्न मन से इस फैसले को स्वीकार किया है और राहत की सांस ली है। इस फैसले से ला एण्ड आड्डर की सिचुऐ ान को राहत मिली है। जिन लोगों की जमीन उधर चली गई हैं उनको भी इस फैसले को बहुत प्रसन्न मन से स्वीकार कर लेना चाहिए।

चौधरी ि िव राम वर्मा (नीलोखेडी): स्पीकर साहब, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे सारी स्थिति जो है उसके बारे में पूरा ज्ञान नही है। जो कुछ यहां सुना है उसी के अनुसार सुझाव देना चाहता हूं। (व्यवधान) सरकार के अनुसार हरियाणा को ज्यादा फायदा हुआ है। चौधरी रिजक राम ने कहा कि किसान को नुकसान हुआ है इस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदे ा और हरियाणा की सीमा का जो निर्धारण किया गया है। वह जमुना के बीच की जो गहरी धारा है उससे जोडा गया है। यह झगडा हमे ाा के लिए खत्म हो गया है लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों के सामने कुछ कठिनाईयां रहेगी। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए आप कम से कम एक पुल सोनीपत के सामने और एक पुल करनाल के सामने जमुना के ऊपर बना दें तो लोगों की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी और हरियाणा की तरक्की भी होगी। लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और उनकी कठिनाइयां पुल बनने से काफी हद तक हल हो जाएंगी।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल भार्मा): जहां तक पुल बनाने का सवाल है मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि एक पुल पलवल के साथ बनाने जा रहे हैं गवर्नमैंट आफ इंडिया से इस बारे में फैसला हो चुका है और 190 लाख रूपया खर्च होगा। एक पुल बल्लभगढ में बनाने का फैसला हो चुका है, एक पुल सोनीपत में बनाना है और एक पुल सनौली पर पहले ही बन चुका है। तीसरी

बात मैं कहना चाहता हूं that this Bill deals only with the question of boundaries, otherwise the question of ownership will continue to be settled in the same manner. This was a dispute between the two States because of fluctuating boundaries. इस फैसले से अब वह एक परमानैंट फिक्सड बाउन्डरी हो जाएगी।

Mr. Speaker: Question is-

That the House having considered that Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1976, agrees with the same.

The motion was carried.

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (चवालीसवां सं ोधन) विधेयक 1976 के अनुसमर्थन के सम्बंध में।

Transport Miniser (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

"That this House ratifies the amendments to the Constituion of India falling with in the purview of the proviso to cluase of article 368 thereof, proposed to be made by the Constituion (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (Forty second Amendment) Act, 1976."

Mr. Speaker: Motion moved-

"That this House ratifies the amendments to the Constituion of India falling with in the purview of the proviso to cluase of article 368 thereof, proposed to be made by the Constituion (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (Forty second Amendment) Act, 1976."

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर महोदय, मैं इस रेजोल्यू ान को वैलकम करने के लिए खडा हुआ हूं। लेकिन हर क्लाज पर, चूंकि ने ानल डायालोग डिजायर्ड है, अगर मैं अपना सुझाव नहीं दूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा। सबसे पहले अमैंडमैंट प्रिऐम्बल में है और यह क्लाज नम्बर 2 है। इसमें दो वर्ड सैकुलर और सो ालिस्ट ऐड हुए हैं। मेरी अर्ज यह है कि वर्ड सैकुलर और सो ालिज्म इटसैल्फ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पडता सिचुए ान में जब तक कांस्टीटयू ान के अंदर सैकुलरइज्म की डैफिनि ान और सो ालिज्म की डैफिनी ान न दी जाए जो कि नहीं दी गई। सो ालिज्म को 1917 से रिसपैक्टेबल बना दिया। इस सो ालिज्म के नाम से हिटलर और मुसोलिनी ने फासिस्ट स्टेट कायम की। सो ालिस्ट वर्ड 1917 से थ्रू आउट दि वर्ल्ड ऐबयूज हुआ है। तो मेरी अर्ज है कि इसमें डेफिनि ान को भाामिल होना चाहिए। सो ालिज्म मीन्ज की मीन्ज आफ प्रोडक ान और ओनरि ाप स्टैट में वैस्ट करेगी यह अल्टीमेकट सो ालिज्म की डैफिनी ान है।

दूसरा लफ्ज जो सैकुलरइज्म है वह आज जाए तो बडी डिफिकलटी पैदा करेगा। वह कोर्टस पर छोड दिया कि सैकुलरइजम क्या है। जिन लोगों ने प्रताप सिंह दौलता वरसिज जगदेव सिंह सिद्धान्ती के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला पढा होगा वे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन्टरप्रेटे ान के मुताबिक ओम का झण्डा हाथ में ले के, हलाक का झण्डा हाथ में ले के, सारी सिखी के झण्डे हाथ में लेकर घूमा जाए तो भी आपके सैकुलरइज्म को कोई फर्क नहीं पडता। अब सैकुलरइजम की डेफिनिप ान जो 1934 में और फिर 1937 में पंडित जी ने दी थी, मैं चाहता हूं कि मुल्क उसको कबूल करे। पंडित जी के पास जब 1937 के इलैक ान के ईव पर प्रपोजल लाई गयी कि मुसलिम लीग के साथ कांग्रेस वजारत बना ले, कोलि ान गवर्नमैंट बना ले वरना मुल्क का डिवीजन होगा तो उन्होंने अकड़ते हुए कहा था कि एक डिवीजन की बजाये दस डिवीजन हों लेकिन यह बात कि मुसलिम लीग मुसलमानों की पार्टी पोलिटिक्स में वजूद रखे वह नहीं मानते ऐग्जेक्ट वर्डिंग उनकी यह है। It is in consonance with the concept of secularism. बड़े अफसोस की बात है कि मेरी बहन इन्दिरा जी ने पंडित जी के कन्सेप्ट आफ सैकुलरइज्म को छोड कर सी0पी0आई0 का कन्सेप्ट पकड लिया जो 1947 में भी पाकिस्तान के हामी थे, मुस्लिम लीग के हामी थे। यह सैकुलरइज्म का क्या हुआ ? Coalition Govenment with Muslim League in Kerala is in conconance with the concept of secularism of Pandit ji. तो मेरा सुझाव यह है कि सैकुलरइज्म

डिफाइन होना चाहिये और इसकी कन्सेप्ट जो पंडित जी की थी या सर छोटू राम की थी जिन्होंने मंगल सिंह को या जाने वाले जो अभी जिन्दा हैं हिन्दु और सिक्ख की कुली ान के मिनिस्टर बन गये उन्होंने भी यही कहा था कि मैं मुस्लिम लीग के साथ कोलि ान बना लूं। It is inconsonance with my secularism. इन्दिरा जी का सैकुर इज्म नेहरू के सैकुलरइज्म से बैटर होना चाहिये, कम से कम नहीं होना चाहिये और रूलिंग पार्टी को केरल में मुस्लिम लीग के साथ अपनी कोली ान गवर्नमैंट फौरन तोड देनी चाहिये। सी0पी0आई0 करती फिरे, करती फिरे, यह पहले भी करती रही है।

ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं इस अमैंडमैंट को वैलकम करता हूं। मैं इन्दिरा जी को मुबारिकवाद देता हूं कि उन्होंने न सिर्फ अपोजी ान की मुखालफित का मुकाबला किया बल्कि जो उनकी डिमांड थी कि कांस्टीचुएन्ट असैम्बली बुलाई जाए और दो तीन साल के लिये इस मामले को खटाई में डाला जाए, उसको भी रिजैक्ट करके यह अमैंडमैंट जल्दी लाई। उनको तथ जो दूसरी सो ालिस्ट फोरसिज इसको लाने के लिए जिम्मेवार हैं मैं उन सबको बधाई देता हूं। रूलिंग पार्टी वाले तो बधाई के पात्र हैं ही क्योंकि 2/3 मैजोरिटी न हो तो पास कैसे होगा। अब मैं आखिर में यह अर्ज करना चाहता हूं, जनसंघ वाले ध्यान सें सुन लें, किसी को तो कन्सर्न है नहीं इसमें (हंसी) स्पीकर साहब, सिवाये तीन क्लाजिज के बाकी तमाम क्लाजिज जो इस

कांस्टिच्यु ान अमैंडमैंट बिल में आई हैं, वे तमाम वह क्लाजिज हैं जो किसी ने किसी वक्त, पिछले 25 साल में पार्लियामैंट में अपोजी ान ने मांग की। सी0पी0आई0 जब इकट्ठी थी और जनसंघ सभी ने किसी न किसी वक्त इनकी मांग की थी इसलिये यह अमैंडमैंट, ने ान ने कांस्टीच्यु ान में की है। रूलिंग पार्टी के भी और अपोजी ान ने भी वेलकम किया है। वैस्टर्न प्रैस, सो काल्ड डैमोक्रैटिक प्रैस, इस अमैंडमैंट को उछाल रहा है कि यह एक फार्म में ऐमरजैंसी को परमानैंट करने का तरीका है। अगर ने ान एज एहाले उसको चाती है तो वह होगा ही। प्रिएम्बल में जो लफ्ज सो ालिज्म है, मैं सरदार भगत सिंह, सुखन या जो इन्कलाबी चले गये हैं, वे पहले आदमी थे, उन्होंनें भी कांस्टीचुए ान के लिये टारगैट रखा था उन्होंने हिन्दुस्तान का फयूचर सो ालिस्ट रिपब्लिक आफ इण्डिया रखा था, स्पीकर साहब, मुझे खु ाी है आज उनकी आत्मा को भाान्ति मिलेगी कि जिस मतलब के लिये उनहोंने फंसी खाई वह पूरा हुआ।

स्पीकर साहब, अगली क्लाज है जी। 4 यह बहुत इम्पार्टैंट क्लाज है जहां तक राइटिस्ट का ताल्लुक है यह क्लाज इस बात से ताल्लुक रखती है कि सावरैनिटी जो है वह लैजिसलेचर में लाई करती है या जुडि ियरी में। इस ब्लाज नम्बर 4 और 5 के जरिये और सबसीकुएन्ट क्लाजिज जो आई हैं वह क्लीयर करती हैं कि सावरैनिटी पार्लियामैंट के पास लाई करेगी और judiciary cannot be allowed to be a third House.

स्पीकर साहब, आप वकील हैं आपको मालूम है कि आर्टीकल 41 कहता है कि जो प्रोनाउन्समैंट सुप्रीम कोर्ट की होगी it will be a law and that law is on the same footing. जो लेजिसलेचर्ज अनैक्ट करतें है। अब 41 आर्टीकल की एडवान्टेज उठाते हुए जुडीि ायरी ने क्या किया कि तमाम लैजिस्लेटिव और एग्जैक्टिव पावर्ज जो हैं, उनको एज्यूम करने लगी। वजीर भी बनने लगे और असैम्बली भी बनने लगीं। आर्टीकल 226 और 227 इतने वाइड थे कि उनको स्कोप वाइडन करके वह एक थर्ड हाउस बन गई जो लोकसभा और राज्य सभा से ऊपर होकर वीटो कर देता। वह किस बात पर ऐसा करते थे ? आर्टीकल 41 को यूं का यूं रखा लेकिन यह बात आनरेबल मैम्ब्र जरा भाान्तिपूर्वक समझ लें। हमैं तो कम से कम समझना ही चाहिये, ले मैन चाहे न समझें। यह कैसे कर पाये ? आपको याद होगा कि प्रिएम्बल में दो चीजें आई। We the people of India will have a Soverign Democratic Republice. पहले यह था। What for ? To have justice, not this legal Justice, but justice social, economic and political. यह हमारा टारगेट था। उससे इसमें क्या चीज आ गई जो फैटर करती है जो फैटर कर गई वे तीन चीजें हैं इक्वलिटी, लिबरटी और फ्रैटरनिटी। यह जनरे ान तो बाद में पैदा हुई लेकिन जो फोर फादर थे वे पैदा हो गये 20वीं सदी में उनके दिमाग में जो सलोगंज फ्रंन्चरेवोल्यु ान के थे जो यूरोप के रेनेसेन्स के थे, 1917 का इन्कलाब भी आ चुका था। टैगार और सरदार पटेल, व दूसरे लोग उनसे इन्फल्युएन्सड नहीं थे, लेकिन पंडित जी उससे

बहुत ही ज्यादा इन्फल्युऐन्सड थे, दोनों में यह कम्प्रोमाइज था। We will have justice Social, economic and political लेकिन जो राइटिस्ट विदइन कांग्रेस थेवे इस पर चैक लगाना चाहते थे जिसको स्वर्ण सिंह ने बडी खूबसूतरी से कहा है that this prinicple of having checks and balances will be givenup. वह चैक जो प्रिएम्बल के अंदर दूसरी चीज लिखी थी जिसके मायने थे कि उनको पूरा करने के लिये फन्डेमेन्टल राइटस का चेपटर पहले रख दिया और डायरैक्टिव प्रिंसीपल जो सो ाल, इकानामिक और पोलिटिकल जस्टिस के हैं उसको बाद में रख दिया। इससे फैन्डेमेन्टल राइटस के चैप्टर को डायरैक्टिव प्रिंसिपल से सुपीरियरेटी हासिल हुई। जिसके मायने यह थे कि हम सो ाल, इकनामिक और पालिटिकल जस्टिस कर नहीं सकते जब तक फन्डेमैंटल राइटस वाला चप्टर हमारे रास्ते में हायल होता है। मैं दाद देता हूं उस खूबसूरती की जिस खूबसूरती से सरदार स्वर्ण सिंह ने जो इस कमेटी के प्रेजीडैंट थे ने आर्टीकल 41 को टच नहीं किया and even today the pronouncements of the Supreme Court will continue to be a law. कि वह चीज जिसके जरिये जुडि ियरी अपनी ताकत खेंच लेती थी उस पर कर्ब लगाना भुरू कर दिया और वह पहली कर्ब क्लाज 4 के फार्म में आई। वह कर्ब क्या है कि जब अभी डायरेक्टिव प्रिंसीपल के क्लै ा में कोई वकील रिट लेकर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा खड़ा होगा that it is violative of the fundamental right, in that case that fundamental right. चैक नहीं कर सकेंगे। Clasuse 4 provides

for establishment of the superiortiy of the directive principles over the fundamental rights. इसके बाद अगली क्लाजिज जो है वह बडी इम्पार्टेंट हैं, यह नयी चीज है और वेस्टर्न प्रेस में जो इस वक्त हिन्दुस्तान की बडी आकवर्ड पोजी ान है। बडी खु ाी की बात है कि जो डेफिनि ान रखी है इससे मुल्क का ढांचा बदल कर रख दिया है। क्लाज 5 यह की ऐन्टी ने ानल ऐक्टिविटी या किसी ऐसोि ाए ज्ञन की ऐन्टी ने ानल ऐक्टीविटी को चेक करेगा। जब कभी इस किस्म का कानून पार्लियामैंट पास करेगी तो वह कानून किसी भी कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज नहीं हो सकेगा बीकाज आफ फन्डामैंटल राइटस। फन्डामैंटल राईटस के चैप्टर को अगर सुप्रीम कोर्ट की डिगनिटी को टच किये बगैर इन दो क्लाजिज को ऐड करके, जब मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल स्टेट की सिक्योटी का सवाल होगा, डायरैक्टिव प्रिंसिपल की इम्पलीमैंटे ान को सवाल होगा वहां पर फन्डामटल राइट के बेसिज पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वायलेट नहीं करेगा। स्पीकर साहब, अगली अमैंडमैंट जो है वह भी जुडि ायरी की पावर को करटेल करने के बारे में हैं। ये अमैंडमैंटस 6, 23, 24, 25, 36, 38, 58, 45, 44 हैं। मैंने तमाम अमैंडमैंटस को एक जगह रख लिया है। यह इस बात पर हैं कि जो लैजिसलेटिव पावर्ज हमारी हैं उनको जुडि ायरी अपनी तरफ ले रही थी उनको यह मालूम हो गया कि जुडि ायरी यह समझें कि जैसे ऊपर की दो क्लाजिज हैं– First giving proper place to fundamental rights chapter that it is not superior to directive

principles. It is not superior to the national unity and integrity. इससे, बडे अचदे तरीके से जुडि ियरी को अपनी जगह पर रख दिया गया है। बहुत सारे भाई बाहर भी पूछते थे। इन नट ैल इन तमाम का नतीजा यह होगा कि हाई कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे और ऐग्जेक्टिव अपना काम करेंगी। इसमें आर्टीकल 226 की पावर्ज करटेल कर दी। Fundamental rights' chapter is a different thing. आर्टीकल 226 और 227 के तहत जो पावर्ज सुप्रीम कोर्ट या जुडि ियरी इस्तेमाल करती थी उनको कम कर दिया। एक एक क्लाज में जाने की जरूरत नहीं है यह कर दिया गया है कि जो कानून हम पास करेंगे वह सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेन्ज हो सकेगा लेकिन यहां हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी तब होगा जब इस कानून के साथ सैंट्रल कानून जुडा हुआ होगा। इसके अलावा दूसरी बात यह कर दी कि इल्लीगैलिटी की बिना पर हाई कोर्ट में जाया करते थे अब आर्टीकल 226–227 के तहत कोई रिट लाई नहीं करेगी इल्लीगैलिटी की बिना पर। The Court shall have to be satisfied in " Kachi Pesi' कि कोई मैटिरियल इनजटिस हुआ है। इससे 40 परसैंट, 50 परसैंटस रिटस कच्ची पे ी में ही खत्म हो जाया करेंगी। इसके इलावा एक और चीज कर दी एक वर्ड ड्राप कर दिया जिसने तबाही मचा दी और वकीलों की चांदी हो गई थी। जो सियाने लायर्ज थे कांस्टीच्यू ान जब बना, मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा था कि तुम वकीलों के लिये बहि त बनाने लगे हो यह कांस्टीचुए ान क्या है ? On any

other matter which the High Court considers to be fit for consideration in any Court. यह एनी अदर मैटर ड्राप कर दिया जिसके मायने हैं 75 और 80 परसेंट के करीब रिटस तो गई। जो मेरे सामने भाई बैठे हुये हैं मैं इन सबकी इज्जत करता हूं जो हमारी ब्युरोक्रेसी है लेकिन इस ब्युरोक्रेसी में इतना इनडिसपलिन आ चुका था कि सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी को नीचे के लोग कुछ समझते ही नहीं थे और रिट का एक ऐसा फै ान बन गया कि हम लोग जो सुबह से भााम तक अपना काम करते हैं मजदूर लोग और दूसरी तरफ बाबू लोग चाय का प्याला लेकर धूप में बैठे रहते हैं और अगर डिप्टी सैक्रेटरी उनको बुलाता है तो वह झट हाईकोर्ट में रिट लेकर चले जाते हैं अब सर्विस मैटर्स की रिटों के बारे में भी सेपरेट चेप्टर रखा है। इनके लिये अब हाईकोर्ट में कोई नहीं जा सकेगा। इन्कम टैक्स के लिए बडे वकील सिबल दौलता के घर रेड हो जाए तो भी हाईकोर्ट में रिट लेकर चले जाते थे। सर्विस मैटर्स पर या इन्कम टैक्स मैटर्स पर अब कोई रिट नहीं हो सकेगी। इनके लिये ट्रिब्युनल बनाने का प्रोवीजन कर दिया गया है। तो इस तरह यह अमैंडमैंटस रखी गई उनमें एक चीज और कर दी। जजिज की अप्वायंटमैंट को वाइडन कर दिया कि यह जरूरी नहीं कि वकील ही हो लेकिन बाद में कुछ अमैंडमैंट गोखले साहब ने मानीं और जो रिप्रिंट है उसमें दिया गया है कि कुछ दिन के लिये वकील होना जरूरी है। इसके इलावा अगर वह आदमी सर्विस में था तो सुप्रीम कोर्ट में तो जज बन सकता था लेकिन हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता

था। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी जूरिस्ट के नाम से बैठ सकता था लेकिन हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकता था लेकिन अब यह हो गया है कि यहां भी जूरिस्ट के नाम बिठा सकते हैं। इसके इलावा जो क्लाज 11 है वह फन्डामैंटल डयूटीज की ऐडी ान है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, यह फिर फन्डामैंटल राइटस पर एक कर्ब है। फन्डामैंटल राइटस तो थे लेकिन डयूटीज नहीं थीं। सो ालिस्ट कन्ट्रीज में जैसे कि योरूप के हैं, रूस में नहीं हैं, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तमाम सो ालिस्ट कंट्रीज ने अपने कांस्टीचुए ान में फन्डामैंटल डयूटीज को रखा हमने यह प्रिंसीपल उनसे बारो किया। I welcome this clasue 11 also. स्पीकर साहब, इसके बाद मैं क्लाज 13 पर आता हूं। हमारे जनसंघ वाले भाई कहते हैं मैंने खुद बार में सुना है कि हिन्दुस्तान में प्रैजीडैंि ायल फार्म आफ गवर्नमैंट आ रही है और हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी खत्म हो रही है। क्लाज 13 वैस्टर्न प्रैस पर जबरदस्त चपत मारती है जो कि गास्प मांगरिंग कर रहा है कि प्रैजिडैंि ायल फार्म आफ गवर्नमैंट आ रही है लेकिन इस क्लाज से President has been placed on a proper place and he has been told that superiority lies in Parliament. राजेन्द्र प्रसाद एक आनैस्ट और त्यागी महात्मा प्रैजीडैंट थे। इसी तरह से आनैस्ट और त्यागी प्राईम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू थे लेकिन जब हिन्दु कोड बिल पास होने लगा तो राजेन्द्र प्रसाद जी अड गए। नेहरू जी ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने और अपनी जिद पर अडे रहे। परिणाम यह हुआ कि हिन्दु कोड

बिल की पहली इंस्टालमैंट तो आ सकी लेकिन दूसरी इंस्टालमैंट नहीं आई। इसलिए इस क्लाज 13 में यह डिफाईन कर दिया गया है कि– President shall always be bound with the advice of the Ministers and the Prime Minister of India. इससे यह बात भी खत्म हो गई है कि प्रैजीडैं ान रूल आएगा, संजय गांधी पावन में आ रहा है, फलां प्रजीडैंट बनने जा रहा है, इसको चेंज कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं। यह जो क्लाज 13 है, यह हमे ाा के लिए इस प्रौपेगन्डे का जवाब क्लोज करती है कि डैमोक्रेसी की जगह प्रैजिडैं ान फार्म आफ गवर्नमैंट ले सकती है।

फिर क्लाजिज 28 और 14 हैं। सर्विस के जो मैंटर हैं उनमें अब रिटस हाई कोर्टस में नहीं हो सकेगी बल्कि, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल्ज में भी फर्क होगा और मरोड के साथ बाबू उनमें नहीं जा सकेगा। बडी हैरानी की बात है कि कत्ल के केस तो पांच पाचं साल से पडे रहते हैं मगर डेढ पैसे का क्लर्क जो रिट करता है अपने सुपीरियर्ज से लडने झगडने के बाद उसका फैसला जल्दी से हो जाता है क्योंकि– After all this judiciary and judicial system still belongs to middle class and upper middle class. पीजैंटरी जो कत्ल करती है और जेलों में पडी है उसकी सुनवाई बहुत देर तक नहीं होती। इसके अलावा स्पीकर साहब, सैकिंड अपरचुनिटी जो पैनल्टी के लिए सरकार मुलाजिम को मिला करती थी वह विदड्रा कर ली गई है। क्लाज 14 में भी यह अच्छा किया गया है। मुझे एक बात याद है। जस्टिस फाल ाा और दुल्लत का एक एक बैंच था। सीकरी साहब

उस वक्त ऐडवोकेट जनरल थे। उन्होंने उनसे कहा कि चूंकि ये कांफडैं ाल रूल्ज हैं इसलिए इन्हें अदालत में पे ा नहीं किया जा सकता लेकिन इसके बावजूद भी दुल्लत साहब ने उन्हें उन रूल्ज को कोर्ट में पे ा करने को कहा। नतीजा यह हुआ कि कांफिडैं ान रूल्ज कांफिडैं ाल रूल्ज नहीं रहे। आज क्लाज 14 में यह तय कर दिया गया है कि गवर्नमैंट के कांफिडैं ाल रूल्ज को कोई कोर्ट में तलब नहीं कर सकेगा और न ही ट्रिब्यूनल कर सकैंगे। तो इन दोनों अमैंडमैंटस को मैं वैलकम करता हूं।

श्री ओम प्रका ा गर्गः स्पीकर साहब, दौलता साहब ने अभी कहा कि डेढ पैसे का क्लर्क कोर्ट में चला जाता है। मैं समझता हूं कि यह डेढ पैसे वाली बात ठीक नहीं है इसे इन्हें विदड्रा करना चाहिए।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः विदड्रा कर लेता हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब तो यह था कि जो काम तो न करे लेकिन लडाई झगडा करके अपने सुपीरियर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट कर दे वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, लोक सभा की मियाद पांच साल से बढा कर 6 साल कर दी गई है। इसी तरह से असैम्बलीज की मियाद भी पांच साल से बढ कर 6 साल हो गई है। मैं इसको अपोज करता हूं।

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अगर दौलता साहब, इसको अपोज करते हैं तो ये फरवरी में छुट्टी कर जाएं।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप गारंटी दे दें कि इलैक ान होगा। हम और तुम दोनों एक ही तरीके से आए थे। (हंसी) यह कहने की बजाये यह क्यों नहीं कहते कि दौलता साहब को वहां बैदा दो। (हंसी)

स्पीकर साहब, मुझे प्राईम मिनिस्टर के रीऐक ान का पता है। मैं पार्टी मीटिंग में हाजिर तो नहीं था लेकिन गिली साहब के ऐडज्वायनिंग कमरे में जरूर बैठा था। जब मिस्टर महाजन ने लोक सभा की टर्म सात साल करने को कहा तो प्राईम किनस्टिर ने कहा कि 20 साल क्यों न कर दें ? प्रोग्रस्सि व लोग जो हैं वे स्पीकर साहब, इन इलैक ांज से बिल्कुल नहीं डरते, न प्राईम मिनिस्टर डरती थी लेकिन डैमोक्रेसी में चूंकि ला आफ मैजोरिटी है इसलिए वह सात साल की बजाये 6 साल की टर्म मान गई। इसके लिए भी वह बहुत रिकटैंट थीं उनका विचार था कि अगर कल इलैक ान हो गए तो सी0पी0आई0 मार्कसिस्ट और दूसरी अपोजी ान पार्टी बहुत घाटे में रहेंगी। तो हकीकत यह है कि हम तो खामख्वाह बदनाम हुए हैं कि हम इलैक ान से भागना चाहते हैं। रि ायन कांस्टिच्यू ान में राईट आफ रीकाल का प्रोविजन है। एक बार जो मैम्बर बन जाए उसे वे टर्म खत्म होने से पहले किसी समय भी वापस बुला सकते हैं। यही राईट अगर

हमारे पास होता तो श्री अचिन्तराम जी के लडके श्री कृश्ण कांत को हम कब का बुला लेते। खैर, मैं तो यह समझता हूं कि जहां सिस्टम आफ रीकाल नहीं हैं वहां shorter the period better it is. 1919 के ऐक्ट के अनुसार यह पीरियड तीन साल हुआ करता था। 1935 में यह पांच साल बना था अब 6 साल हो गया है। कुछ लोग आर्गुमैंट देते हैं कि चूंकि लोक सभा और राज्य सभा को बराबर लाना था, असैम्बली को पार्लियामैंट के बराबर करना था इसलिए यह किया गया लेकिन यह बडा गलत आर्गुमैंट है। अगर ऐसा ही करना होता तो राज्य सभा की टर्म ही पांच साल की जा सकती थी। कांग्रेस के अंदर एक ऐसी लौबी है जो प्राईम मिनिस्टर को मिसलीड करती है। यह दे ा की साथ बेइंसाफी है। इसलिए मैं इस अमैंडमैंट को बडी हैल्दी अमैंडमैंट नहीं समझता।

इसके बाद स्पीकर साहब, एक और अमैंडमैंट है जो भाई फूलचन्द और दूसरे लोगों के लिए है। वैसे तो जनसंघ वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा तो भला तभी है यदि तुम नसबंदी न कराओ। अगर नसबंदी कराओगे तो तुम्हारी सीटें कम हो जाएंगी। यही चौधरी चांद राम जी कहते थे कि हम हरिजनौं के पास वोट नहीं तो और है क्या ? To meet this propaganda of un patriotic people there is an amendment. इसमें यह किया गया है कि 1976 के सैंसस को बेस मानकर इस बात को अगले बीस साल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा और आबादी की बिना पर कांस्टिचुऐंसीज की

डिलिमिटे ान नहीं होगी। ये तीन अमैंडमैंटस हैं और बडी हैल्दी अमैंडमैंटस हैं और ये उस प्रोपैगैन्डे के जवाब में हैं जो माइन्योरिटी मैं और डिप्रैस्ड लोगों में किया जाता था। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस कांस्टीचुए ान में जो अमैंडमैंट आई हैं उसके लिये मैं खासतौर पर कामरेड नाथपाई जी को याद करता हूं जो कि सो ालिस्ट मैम्बर थे। He was the first person to move in the Parliament for establishment of the parliamentary superiority. यह बहुत कम लोगों को मालूम है और इस वक्त इन्दिरा जी की जो कांग्रेस कहलाती है वह उसके साथ थी लेकिन यह कांग्रेस का जो इज्जत पसन्द ऐलीमैंट था वह पहलवान बम्बई, कलकत्ता और गुजरात वाले खिलाफ थे। Indira Gandhi had to yield on a non-official resolution and the same was withdrawn. आज नाथपाई की वह आत्मा और तमाम अपोजी ान के मैम्बरों की जो 30–32 साल से पार्लियामैंट से यह डिजायर करते रहे, रूलिंग पार्टी के उस प्रोग्रैसिव तबके ने जिसकी रहनुमाई इन्दिरा गांधी करती है उस रिएक ानरी लाबी को डिफीट देकर जो तीन साल तक कांस्टीचुएन्ट असैम्बली की मांग करके इसको खटाई में डालना चाहती थी, आज उनकी डिफीट है। मैं इस कांस्टीच्युए ानल अमैंडमैंट बिल को वैलकम करता हूं।

17.00 बजे।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आज सदन में चवालीसवां सं ाोधन बिल पे ा है। इस सं ाोधन को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। हम इसको रैटीफायी करने जा रहे हैं। अभी दौलता साहब ने इस बिल के हरेक हिस्से का स्पश्टीकरण दिया और बडे विस्तार से दिया कि इसका री एक ान क्या होता है ? मैं इस बिल के वैधानिक स्पश्टीकरण में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है यह लोगों की भावनाओं का, लोगों की आवाज का, लोगौं की आ ाओं का, लोगों की आकांक्षाओं का मुजसमा है। पिछले सालों से लोग इस बात को चाह रहे थे कि संविधान में कुछ तबदीली आये। मिस्टर टैनीसन ने सदियों पहले एक भोर कहा था, ऐसा मालूम होता है कि वह भोर आज के दिन के लिए ही कहा हो The old order changes yielding place to new lest one good custom should corrupt the world. इसका मतलब यह है कि एक समय में एक कस्टम बहुत बढिया था लेकिन समय बदलने के बाद वही कस्टम, वही रिवाज दुनियां के विना ा के कारण बन जाते हैं। इस कारण से उन कस्टमज के अंदर चेंज आनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा संविधान भी 27 साल पहले बना था। उस समय हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू बहुत फ्राख दिल हुआ करते थे। सदियों की गुलामी के बाद आजादी आयी थी। उन्होंने तो सबसे जरूरी एक ही बात रखी कि जनता को मौलिक अधिकार दिये जायें। उन्होंने तो फन्डामैंटल राइटस पर ही जोर दिया लेकिन उस समय फैसला किया गया था कि

गाडी हमे ाा दो पहियों से चलती है, एक पहिये से कभी नहीं चलेगी। हमारी गाडी 27 साल तक एक ही पहिये से चलती रही। लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों का बहुत दुरूपयोग किया। उन्होंने यह समझ लिया कि धर्म के नाम पर लोगों को भडका कर अपने साथ कर लेंगे। ये सब लोग पूंजीपति ही थे। उनका दे ा के आर्थिक प्रोग्राम से कोई किसी प्रकार का संबंध नही ंथा। वे लोग अंग्रेजों के वक्त में भी उनसे मिलर का बडी सम्पति बनाते रहे। वे तो यही समझते थे कि अब भी उनका इस दे ा पर कब्जा रहे। कुछ लोग धर्म के नाम पर दे ा को अपने काबू में रखना चाहते थे। संविधान में एक ही बात अब और रखी गई है वह है सैकुलर और सो ालिस्ट। ये लफज पहले नहीं थे। पहले इन लफजों की बहुत जरूरत नहीं समझी गई थी। 27 साल के समय ने यह बता दिया कि धर्म के नाम लेने वाले जनता को, तमाम दे ा को बहकाना चाहते हैं। इसलिए इस बात को सहन नहीं किया जायेगा। मैंने अभी बताया था कि एक पहिये पर गाडी चलती रही और एक ही पहिये का प्रयोग किया। मुझे याद आ गया मिस्टर फ्रैनकलीन ने कहा है कि गाडी का सबसे खराब वह पहिया सबसे ज्यादा आवाज करता है तो यह पहिया आवाज करता रहा। कुछ आदमियों ने यह समझा कि हमारा मौलिक अधिकार गाली देना है, झूठे इलजाम लगाना है, चलती गाडी में रोडे अटकाना है लेकिन इस सं ाोधन के बाद फंडामैंटल डियूटीज को ऐसा बना दिया गया कि गाडी का दूसरा पहिया भी साथ ही चले। अब यह गाडी दोनों पहियों से चलेगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि हमारे सक्रीपचर्ज में हमे ाा कर्त्तव्य का जिक्र किया गया है। गीता में सब जगह ही कर्त्तव्य का जिक्र किया गया है कि जो डियूटीज को सरन्जाम नहीं देते वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक न दे ा आगे बढ सकता है न वे स्वयं आगे बढ सकते हैं और न ही दे ा के अंदर आर्थिक इन्कलाब आ सकता है। हरेक आदमी ने यह समझ लिया था कि हमें तो वह हकूक मिले हैं, लेकिन अपनी डियूटीज की अदायगी की बिल्कुल ही चिन्ता नहीं करता था। मिस्टर एमरसैन ने और दूसरे बडे बडे विद्वानों ने आज के दिन के लिए ही अपनु अनुभव और विचार रखे थे। हमें आज के मौजूदा युग की बात को याद रखना है। एक आदमी फूंस की झोंपडी में रहता है, दो वक्त खाने को रोटी नहीं मिलती है। उसका रहने का ढंग बिल्कुल खराब है, फटे हुए कपडै हैं। जहां वह रहात है उसके आसपास इतना कीचड और सडांद है कि वहां टिक नहीं सकता। कुछ सफेद कपडों वाले धर्म की बात को लेते हैं लेकिन वे इस बात का ख्याल नहीं करते कि इनकी हालत को कैसे सुधारा जाए ? कभी कहते हैं कि हमारे फन्डामैंटल राइटस आफ प्रापर्टी हैं। बिड़ला और टाटा की जेबों मकें जो धन गया, वह सब समाज का गया है। जो चीज वे बनाते हैं, वह समाज खरीदता है। आज बडे दे ावासियों ने बनायी है, समाज ने बनायी है, उनकी अपनी बनायी हुई नहीं है। वे लोग आज कहते हैं कि हमें राइट आफ प्रापर्टी होना चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं। उसमें अब वे कामयाब नहीं हो सकते। हरेक

दे ावासी को आज रोटी कपडा और मकान की आव यकता है। आज समाज इस बात की गारंटी चाहता है कि रोटी, कपडा और मकान मिले। वह रोजगार भी चाहता है। हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी चाहती हैं कि हरेक आदमी जो पिछड़े हुए इलाके के हैं उनको ऊंचा उठाया जाये, उनको उनके हकूक दिये जायें, उनको आगे बढने का मौका दिया जाये। इस अमैंडमैंट से पहले रेक मौके पर रूकावट डाली जाती थी। कभी राइट आफ प्रापर्टी के नाम से भडकाया गया, गुमराह किया गया, कभी किसी और बात का बहाना बना कर भडकाया गया। यही व्यक्ति अपने आपको बडा सज्जन पुरूश कहते थे। उनका काम क्या होता है ? दे ा की चलती हुइग गाडी को रोकना, एन्टी ने ानल पालिसी चलाते थे। आज सं ाोधन होने के बाद उनके लिए कानून हो गया है कि धर्म के नाम से लोगों को भडकाओगे या राइट आफ प्रापर्टी की बात करोगे तो वह चलेगी नहीं। ऐसा हमने कितनी ही दफा देखा हैं आप कभी गोहाना से महम जायें तो रास्ते में सडक के बीच में एक कोठडा बना हुआ है उसको देखते हुए मुझे दस साल हो गये हैं लेकिन वह सडक के बीच कोठडे को नहीं उठाया गया है क्योकि वह हाई कोर्ट से स्टे लेकर चला गया। वह कोठडा सडके के बीच में है। अब आप देखिए जहां इतनी बडी समड बनती है, लाखों लोगों को फायदा होना है उसमें वह रूकावट डाले हुए है। वह कहता है कि यह मेरा राइट आफ प्रापर्टी है, इसलिए मेरे कोठडे को यहां से नहीं उठाया जा सकता। जब ऐसी ऐसी बातें अदालत में पहुंच जाती हैं और अदालत से उनको स्टे मिल जाता

है तो जो पब्लिक की भलाई के काम हैं वे सब रूक जाते हैं। अब इस तरमीम के होने से इस किस्म की कोई रूकावट नहीं आयेगी।

हमारे यहां एक चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। उनको भगवान का रूप देते हैं। उनहोंने लिखा है कि जो भी काम मानवता के हित में हो उसे ही नीति कहते हैं। जो लोगों की भलाई के लिए काम किया जाये वही सही नीति है। हमारी प्रधान मंत्री जी की जो नीति है वह आम लोगों की भलाई की है, आम लोगों को ऊंचा उठाने की है। उनकी यह नीति नहीं है चन्द आदमियों को ही फायदा पहुंचाया जाये। उनका दृश्टिकोण बहुत ही अच्छा है। वे चाहती हैं कि हरेक आदमी को अच्छा रहन सहन मिले। जैसा कि अभी दौलता साहब ने हाई कोर्ट की बात की कि हरेक आदमी हाई कोर्ट में पहुंच जाता है क्योंकि डेमोक्रैसी में, प्रजातंत्र में हाई कोर्ट से सुप्रीम हमारी संसद है। लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे सुप्रीम हैं। इस विधान सभा में लोगों ने चखुन कर अपने नुमाइंदे भेजे हैं। इन नुमाइंदों को हमे ाा ख्याल होता है कि जनता क्या चाहती है। जनता का नुमाइंदा जानता है कि कौन से कानून से लोगों की भलाई हो सकती है। एक आदमी जिसका जनता के साथ कोई सम्पर्क नहीं है उसका जनता की तकलीफों का क्या पता हो सकता है? ठीक है उसको कानून का ज्ञान हो सकता है लेकिन जो लोगों की समस्यायें हैं उनके बारे में सही ज्ञान नहीं हो सकता। अब तो कानूनों को भी बदल दिया गया। जो ताजराते हिन्द पहले होती थी उसको भी बदल दिया गया। लोगों की

समस्याओं को देखकर ही कानून को बदला गया है। आज जो समस्याएं 10 साल पहले थीं, उनकी जगह अब नई नई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। आज हम लोगों को पता लग रहा है कि लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या आ ाएं हैं और क्या समस्याएं हैं। लोगों की भलाई किस बात से हो सकती है। जो कुछ लोग यहां बैठे हैं, वे जब हम कानून बनाते हैं तो यह कह देते हैं कि यह तो संविधान के मुताबिक नहीं है। यह कानून चाहे कितना ही बढिया हो, कितना ही लोगों की भलाई के लिए हो लेकिन यह भाई उसको एकदम खराब कह देते हैं कि यह ठीक नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों की आ ाओं को साथ लेकर इस सदन में आते थे, और फिर कोई कानून बना देते थे, उसको हमें वापिस लेना पडता था। तो यह एक बहुत बडी समस्या थी, जिसको हल करने के लिये यह तरमीम हम कर रहे हैं। इसलिये मैं इस तरमीम का, इस सं ाोधन का वैल्कम करता हूं और तहेदिल से समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

Sh. Gulab Singh Jain (Hissar): Madam, Deputy Speaker, the House is discussing the forty fourth Amendment Bill to the Constitution which has to be ratified by this House. My learned friend, Sh. Daulata, Has dealt with the amendments claus wise which have been passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha. I would not waste the valuable time of this House in repeating these amendments clause by clause. Madam, in India the golden periodn hositorically, as

you know, was the Gupta period and Mauryan period. Thereafter, during the Moghul period also India fought for the prosperity. At about years 1700 A.D. British people infiltrated into India. At that time India was a very rich and prosperious country. Illiterarcy was un known. I had read in a book that Mustfabad alone had larger number of millionaires than in the entire England. But unfortunately because our Centre went weak, the people disintegrated and the Britishers sucked our wealth for more than 100 years and it reduced us to obejct poverty. We waged a war against the Britishers. The Congress Party waged a war against the foreign yoke. No other party was there to fight against the Biritshers and we did not replance the white rule just only to rule. This was done first to improve the condistions of the millions of the people of this country and to remove those sufferings. That was the goal that the Contress Party set before us. Firstly, the goal before the Congress Party was to free this country from the foreign yoke and thereafter to make this country propserous and to make the most down trodden people feel that they are free and the poverty is removed. The Constitution, Madam, which is framed is not a mena by itself. We are not meant for the Constitution but the Constitution is meant for us. The main object of the Constitution is to represent the genral will of the people and if we find that there are any obstacles in it they have to be removed to achieve the object. I am sorry to find my learned friend on the Opposition absenting themselves from the discussion. In the Lok Sabha and also in the Rajya Sabha, my friends in the Opposition, did not partake in the debate on the most important legislation which has been brought before the people. They should have partaken in the debate and given their suggestions. Our Prime Minister has cirticised their

behaviour. I have read the deliberations of the seminar which took place in Delhi. It was called by the opposition people and some decisions were taken there which I have read with interest. One of the things that they said is that this Parliament has no power to amend the constitution. Madam, Deputy Speaker, I would place before this House the views of the two great eminent leaders who gave the constituion to us i.e. Dr. Ambedkar and late Pandit Jawahar Lal Nehru. Dr. Ambedkar had said :-

"The Constituent Assembly has not only refrained from putting seal of finality and infallibility upon this Constitution by denying to the people the right to amend the Constitution but has provided a most facile procedure for amendign the Constitution."

Similarly, the late Pandit Jawahar lal Nehru had siad-

"There is no permanence in constitution. There should be a certain flexibilty. If you make anything rigid and peremanent, you stop a nation's growth, the growth of a living vital organic people. Therefore it has to be flexible. What we may do today may not be wholly applicable tomorrow. Therefore while we make a Constitution which is sould na as basic as we can, it should also be flexible and for a period we should be in a position to change it with relative facility."

Another allegation which has been levelled against this amendment is about the judiciary. We do not want to come in conflict with the judiciary. We have given power to the judiciary with an open mind. But when the judiciary exceeds

its powers and assumes the power of a third Chamber, we have to put a restraint on it. This is what my friend, Mr. daulata, has brought out in the House. Pandit Jawahar Lal Nehru had warned in his speech that Parliament would not tolerate any attempt by the Superem Court to function itself as a third chamber. A very peculair situation had been created by the judgements of the Suprement Court in the Golak Nath and Keshava Nand Bharati cases whee they said that Parliament cannot touch the fundamental rights. Fundamental rights are the private right of an individual and the development of the country cannot be allowed to be stopped by just asking for the fundamental rigths. We have to take recourse to the amendment because the directive principles have a supermacy over the fundamental rights and this is what the present amendment is going to do and rightly so. I congratulate the members of Parliament and our Prime Minister for bringing this amendment Bill so that the country can progress.

Another very important amendment which this Constitution Amendment Bill has brought and which is to play a very vital part is to check the anti national activities. Madam, Deputy Speaker, you know it very well that there were cdertain forces which were preaching disintegration of the country. The D.M.K. party in the South and the Akali friends in Punjab, you know, were making claims which were not conducive to national interest and we were finding ourselves helples to take any action against them. With theis amendment the Government has been empowered to take action against such elements. Our Prime Minister has defined what the anti national activites will be. Some of the frinds on

the Opposition say that by virtue of this clause proper and valid actitivities of the Opposition will be curtailed. Our Prime Minister has given a solemn assurance on the floor of the House of the Lok Sabha and the Rajya Sabha that the Congress Party does not intend to do any such thing. She said that the anti national activities will be -

(a) Preaching dismemberment of India;

(b) Inciting communal and provincial hatred;

(c) Preaching violence; and

(d) Indulging in destruction of national installations.

These are the anti national activities which this amendment proposes to curb and the executive has been empowered to take action against the elements who preach such actitives, which are against the interests of the country as a whole.

Madam, Deputy Speaker, the Opposition has levelled wild charges against the Congress Party. The say that these amendments have been broght to prepetutate the rule of the Congress. If Congress party had wanted so, it would not have invited persons like Dr. Ambedkar, who was a staunch opponent of the Congress party, to frame and write the Constitution. He was the father of the Constitution. Constitution to the country was given where real power vested with the people. then allegations have been made as Mr. Daultata also said theat the life of eht Parliament has been increased from five years to six years to perpetuate the congress rule. Our Prime Minister has cleared said that we do

not want to increase the period of our rule. The term or Parliament is being extended only because we want to consolidate the gains of emergency so that for one yera more the present Parliament goes oni to work for the well being of the people. It is not that we want to rule for a longer period. It is for the benefit and the well beingh of the people that the life of the Parliament has been increased. There is nothing wrong in increasing the life of Parliament to six years from five years.

Madam, Deputy Speaker, these amendment spell out the high ideas of socialism, secularism and integrity of the nation and have been made so that nothing can frustrate and stand in the way of socio economic reforms being brought about by the Prime Minsiter Indira Gandh. When these amendments have been brought forward with these high ideals, thee is nothing which should be taken objection of and every body must support these amendments and, as we see, the man in the street, the common man supports these amendments and only a handful of people are crying against these amendments. With these words, I strongly support the constitution amendment Bill and recommend to the House that the Constitution (forty forth amendment) Bill be ratified as is required by the Constitution.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहिबा, कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरूआ ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई इस बात के लिए वह संविधान कमेटी में कुछ सुधारों की सिफारि ा करे और उस सिफारि ा के मुताबिक जो रिपोर्ट उन्होंने दी, लोकसभा के अंदर बिल लाया

गया और बिल के लाने के बाद और बिल के पास होने के बीच में जो समय मिला इस 44वें अमैंडमैंट पर सारे राश्ट्र भर में जो गोश्ठियां हुई उन सभी जगहों पर इस अमैंडमैंट को वैलकम किया गया है सिवाए कुछ अपोजी ान के भाइयों के। जो आपत्तियां इस अमैंडमैंट के बारे में उठाई गई हैं। मैं थोड़े से भाब्दों में उनके ऊपर चर्चा करूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विरोधी भाइयों का सबसे बडा एतराज यह है कि यह जो विधान है इसको बदला ही नहीं जा सकता और दूसरी बात वह कहते हैं कि अगर बदला जा सकता है तो फंडामैंटल राइटस को नहीं बदला जा सकता। तीसरी बात वे कहते हैं कि अगर फंडामैंटल राइटस को भी बदल दिया जाए तो कांस्टीच्यू ान का जो बेसिक स्ट्रैक्चर है उसको तो बिल्कुल ही बदला नहीं जा सकता। चौथी बात वे कहते हैं कि अगर सारा कुछ पार्लियामैंट बदलना चाहती है तो उनका सबसे बडा एतराज है कि मौजूदा पार्टी जो इन पावर है उसको मैनडेट हासिल नहीं है कि वह विधान को बदल सके। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक एक करके उनके एतराजों का जवाब दूंगा। उनका सबसे पहला एतराज यह है कि विधान को बदला नहीं जा सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान में यह कोई पहली अमैंडमैंट नहीं है। इसका नम्बर 44वां है। इसके मायने हैं कि पहले 43 अमैंडमैंट हो चुकी हैं और कांस्टीच्यू ान में एक आर्टिकल है। जिसके अधीन एक प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है उस प्रोसीजन का अडोप्ट करने के बाद विधान में तरमीम लाई जा सकती है। इसलिए यह आपति उनकी निराधार हो जाती है कि

विधान में तबदीली नहीं हो सकती। दूसरे दुनिया का कोई ऐसा रिटन कांस्टीच्यू ान नहीं है जिसमें तरमीम न हुई हो। हालात के मुताबिक रिक्वायरमैंटस के मुताबिक विधान को बदला गया है, कानून को बदला गया है। कानून दे ा के लिए है दे ा कानून के लिए नहीं है। अमेरीका के अदंर जब ये फैसला हुआ कि हमने सलेवरी प्रथा को खत्म करना है तो वहां एक विवाद उठा था। वहां के लार्ड सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां से स्टे ले लिया कि सलेवरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सलेवरी मेरी निजी प्रापर्टी है।

उपाध्यक्षाः मुलाना साहब जरा भाार्ट रखिये।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): ठीक है डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके बाद जब अमरीका के अंदर यह ऐक्ट आया वहां पर एक सिविल वार हुई जिसके नतीजे के तौर पर यह संविधान बदलना पडा। दूसरी बात यह कि फंडामैंटल राइट को न बदला जाए। इसके लिये पहले यह सोचना होगा कि राइटस क्या हैं उसके बाद फंडामैंटल राइटस क्या हैं यह देखना है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है कि राइटस दो प्रकार के होते हैं। एक नुचुरल और दूसरे सिविल राइटस नेचुरल वे हैं जो कि कुदरती हैं जैसे पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद जिन्दा रहने का अधिकार है। इसी प्रकार हमारे सिविल राइटस हैं। कई दे ाों में यह कानून है कि फलां जुर्म की सजा मौत है कि इस जुर्म के करने पर मौत की सजा दी जाएगी। कई ऐसे दे ा हैं कि जिन के अंदर मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अगर हम इस चीज को

बदलने में समर्थ हैं तों फंडामैंटल राइटस को भी बदला जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी तरह सिविल राइटस हैं। आपको पताच है कि हिन्दू कोड बनने से पहले स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था कि उनको प्रापेर्टी मिलेगी लेकिन अब उन्हें यह लिमिटेड राइटस दिये गये हैं और पूरा अधिकार दिया गया है कि जो प्रापर्टी उनकी होगी वह उनको ही दी जाएगी। अगर हम राइटस को बदल सकते हैं तो फंडामैंटल राइटस को भी बदल सकते हैं। अगली बात यह कही गई कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है कि वही पार्लियामैंट है, वही सिस्टम है, वही डैमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमैंट है, वही एडल्ट फैंन्चाइज है। फिर वे कहते हैं कि Parliment is not cometent to amend the Constitution and if it is competent, it has got no right or mandate to amend the Constitution. डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको यादा होगा कि हमारी महबूम प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन 1971 में जब इलैक ान लडा था तो इलैक ान मैंनीफैसटो में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि बैंक ने ानेलाइज करने के बाद और प्रिवी पर्स समाप्त करने के बाद यह 2/3 मैजोरिटी लाना जरूरी था और विधान में तबदीली भी जरूरी थी। पार्लियामैंट को तोड कर हमारी प्रधानमंत्री 2/3 मैजोरिटी इसलिये लाना चाहती थी कि हमें विधान में तरमीम करनी है और यह तरमीम जरूरी थी जिससे कि समाज के ढांचे को बदला जा सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरा वे कहते हैं कि मैनडेट टर्म बढाई गई है यह उचित नहीं है लेकिन पार्लियामैंट की टर्म अगर बढाई गई है तो वह भी विधान के मुताबिक बढाई गई है। विधान के मुताबिक अगर वह मियाद बढा दी गई है तो वह संविधान के खिलाफ नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे आगे कहते हैं। कि पार्लियामैंट की अवधि 6 साल नहीं बढाई जा सकती। दुनियां के अंदर बहुत सी ऐसी पार्लियामैंटस हैं जिनकी टर्म 6 या 7 साल की हैं। सो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है जो तरमीमें हमारे संविधान के अंदर लाई गई हैं वे हालात के मुताबिक बडी ही जरूरी थीं।

यह जो तरमीम 226 आर्टिकल में की गई है। क्या उस मामले में रिट पैटी ान हो सकेगी जिसमें या तो फंडामैंटल राइटस इनवाल्वड हों या एनी अदर मैटर हो तो वह एनी अदर मैटर को निकाल करके बडा भारी सुधार किया गया है। दूसरा इससे आगे जिस तरह यह कहते हैं कि प्रिएम्बल में हमारा दे ा सैकुलर है लेकिन इस बात के पीछे कानूनी ताकत क्या थी कि हम कह सकें कि हम सैकुलरइज्म को एन्फोर्स कर सकेंगे। डायरैक्टिव प्रिंसीपल आफ स्टेट पालिसी जो सरकार का निर्णय है कि हम यह करना चाहता हैं उसके पीछे कोई कानूनी भाक्ति नहीं थी। फंडामैंटल राइट एक इन्डीविजुअल का होता है और डायरैक्टिव प्रिंसीपल आफ स्टैट पालिसी सारे समाज के लिये होते हैं। तो इस

समाज के भले के लिये डायरैक्टिव प्रिंसीपल आफ स्टेट पालिसी को प्राथमिकता दी गई है। अगर इंडीविजुल का राइट खत्म होता है और समाज का राइट उसके सामने खडा होगा तो उस वक्त समाज के राइटस को पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सी बातें लोकर इन्होंने तरमीमें पास की हैं। पार्लियामैंट के अंदर जो इन्होंने आपत्ति की कि पार्लियामैंट इसके लिये कम्पीटैंट नहीं है, कानून के मुताबिक, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामैंट बिल्कुल कम्पीटैंट है और पार्लियामैंट के सिवाय कोई विधान में तरमीम लाने के लिये कम्पीटैंट नहीं है। इन भाब्दों के साथ क्योंकि लीडर आफ दी हाउस ने भी बोलना है, इस रेजोल्यू ान की मैं ताईद करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी (यमुनानगर): उपाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत भाुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। 44वें सं ाोधन बिल पर बहस चल रही है जो पार्लियामैंट के दोनों सदनों में अभी पास होकर आया है। किसी भी दे ा का संविधान दे ा की जिन्दगी की गाडी होती है और वह गाड़ी चलने वाली होती है इसलिये दे ा की जिन्दगी जनता की जिन्दगी होती है। संविधान जो जनता की जिन्दगी का स्वरूप होकर चले वही जनता की जिन्दगी को चला सकता हैं ऐसा विधान हर दे ा में माना गया है और हमारे दे ा के विधान की भी यही बात थी। उसका फैडरल करैक्टर और यूनिटरी स्पिरिट थी और इसी

बुनियाद पर जब हम सन 47 में आजाद हुए सन 50 में हमारा विधान बना। अब तक जो सं ाोधन भी हमारे विधान में आए और जब कभी भी जनता के हित के लिए एक व्यक्ति वि ोश के हित का उल्लंघन होता था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज किया, हमारे विधान के सं ाोधन को अवैध माना लेकिन हमारा सन 50 में जो विधान बना उसमें सबसे पहले सं ाोधन सन 51 में आया भांकरा प्रसाद के केस में और उस सं ाोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस सं ाोधन को वैध माना। उसके बादू दूसरा सं ाोधन सन 64 में सज्जन सिंह के केस में हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट न ला (कानून) की भाक्ल लेकर किया। कोई भी कानून जो फंडामैंटल राइटस को ब्रीच करता हो या उनके खिलाफ चलता हो उस पर कांस्टीच्यू ान में अमैंडमैंट करने का अधिकार पार्लियामैंट को नहीं है और चूंकि जो भी अमैंडमैंट की गई वह कानून है इसलिये पार्लियामैंट को नहीं है और चूंकि जो भी अमैंडमैंट की गई वह कानून है इसलिये पार्लियामैंट ऐसा नहीं कर सकती। इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी के हित के लिये उसको अवैध कर दिया। वहीं से हमारे दे ा में एक बहुत बडा झगडा भुरू हुआ। 17 साल तक कोई सं ाोधन अवैध नहीं माना गया। पार्लियामैंट को धारा 368 इमें पावर दी गई और धरा 368 देखी जाए तो उसके बीसवें पार्ट में साफ लिखा है कि 'अमैंडमैंट आफ दि कांस्टीच्यू ान' धारा 368 खुद पार्लियामैंट को अधिकार देती है कि वह सविधान में सं ाोधन कर सकती हैं और उसको कोई भी कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता चाहे वह सुप्रीम कोर्ट

है या हाई कोर्ट है। तो उस धारा के अंदर सं ाोधन हुआ। उसकी वजह क्या थी ? वजह यह थी कि जिस वक्त इसका रूप बना उस वक्त दो किस्म के इसको बनाने वाले लोग थे। मैं लीगल आदी तो नहीं हूं लेकिन थोडा बहुत पढ पढाकर समझता हूं। तो उसमें कुछ लोग तो इसे उदार तरीके से बनाना चाहते थे और कुछ चाहते थे कि यह प्रतिबन्धित तरीके से हो। आखिर में यह फैसला हुआ कि विधान को उदार तरीके से बनाया जाए और उस भाक्ल में यह चीज आई कि जो फंडामैंटल राइटस हैं वे चैप्टर तीन में पहले रख दिये गये और डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज जो आम समाज की बोलती और जागती तस्वीर है जिनके जरिये हमने आम समाज को हकूक देने हैं उनको चैप्टर चार में डाल दिया गया। इसी वजह से हमारी अमैंडमैंट को अवैध करार दिया गया और कहा गया कि जहां पर डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज फंडामैंटल राइटस को ब्रीच करते हों वह अमैंडमैंट अवैध मानी जाएगी और वह अमैंडमैंट करने का पार्लियामैंट को अधिकार नहीं होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि आज हम किसी की जमीन लेकर या किसी व्यक्ति वि ोश की जमीन लेकर अगर 30–40 आदमियों को जमीन वाले बनाना चाहते हैं और वह व्यक्ति वि ोश फंडामैंटल राइट की बिना पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर रिट करता है तो हम उस डायरिक्टव प्रिंसीपल को लागू नहीं कर सकते थे जो ज्यादा आदमियों के हक में बोलता था इसलिये कि फंडामैंटल राइट का ब्रीच होता है। यह पोजी ान आज तक हमारे दे ा में चली आई और 1973 में

के ावा नन्द भारती का केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय गोलक नाथ के केस से उलट दिया, उसमें बेसिक स्ट्रकचर की बात जोड दी, एक नई बात पैदा कर दी, बेसिक स्ट्रकचर जो कांस्टीच्यू ान में कहीं था ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रजातन्त्रवाद के तीन स्तम्भ होते हैं पहले नम्बर पर वाइड अवेक लैजिस्लेचर और पार्लियामैंटरियन दूसरी डैडीकेटिड एग्जीक्यूटिव और तीसरी इंडिपैंडैंट जुडीि ारी लेकिन ये तीनौं विंग जब तक जतना की आवाज की, दिक्कतों की जांच करके नहीं चलेंगे चाहे वह जुडी ारी हो वह कार्य ठीक नहीं चलेगा। ला स्टैटिक नहीं है और ला कभी स्टैटिक नहीं रहा, ला हमे ाा प्रगति ील रहा है, ला ने तो हमे ाा आगे बढना हैं लेकिन हमारी जजमैंट जो आई और जो लीगल ल्यूमनरीज वहां पर बैठे थे उन्होंने जनता की आवाज को तोला नहीं। उन्होंने उनकी आवाज तोली जिनके पास साधन थे, जो बडे बडे लोग थे उनकी ही आवाज सुनी लेकिन आम जनता जो तडप रही थी कलप रही थी जिसकी भलाई के लिए यह सब कुछ बनाया गया था। उसकी कभी किसी नें प्रवाह नहीं की। आज हम अपनी प्रधानमंत्री को मुबारक बाद देते हैं जिन्होंने डट कर इसका मुकाबला किया कि हमको अपने संविधान को एक नया मोड देना हैं इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो 44वां सं ाोधन आया है यह हमारे दे ा के लोगों के लिए एक लैंडमार्क है। यह नई चीज हमने दुनियां के सामने रखी है जिससे हम आगे चल कर हम अपनी जिन्दगी की गाडी तेजी से चला सकते हैं और आम जनता को रास्ता दिखा

सकते हैं। मैं इतना कह कर इस अमैंडमैंट का अनुमोदन करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): उपाध्यक्ष महोदया, काफी देर से इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। भारतवर्श के संविधान में यह 44वां सं ाोधन किया गया है यह आज ही हमारे सामने कोई नई बात नहीं आई बल्कि इस पर अनेक बार अनेक भाक्लों में और अनेक अवसरों पर वाद विवाद हुआ है, चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, आप यह भी जानती हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई जिसमें हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरूआ साहब और भी कुछ विधिवेता उसमें भाामिल किये गये और उन सबने बडे तरीके के साथ, बडी सूझ बूझ के साथ तमाम संविधान को देखकर अपनु सुझाव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने प्रस्तुत किये। उपाध्यक्ष महोदया, आपको याद होगा कि गत वर्श जब कांग्रेस का वार्शिक अधिवे ान चण्डीगढ में हुआ तो उस अधिवे ान में भी इस विशय पर विस्तार के साथ चर्चा हुई थी। उसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में उसके बाद हिन्दुस्तान के जो भी बडे से बडे कानून दां या विधि वेता हैं, एडवोकेटस हैं उन सबके सम्मेलनों में इन सब विशयों पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो कोई कानून दां नहीं हूं, कोई विधि वेता भी नहीं हूं। मैं तो वह बात कहूंगा जो हिन्दुस्तान का एक ले मैंन, एक गली में चलने वाला साधारण आदमी झोपडीं में रहने

वाला आदमी, मजदूर, किसान और हरिजन पिछडे वर्ग से ताल्लुक रखने वाला आदमी इस संविधान के सं ाोधन को जिस भावना से स्वीकार करता है वह बात मैं सदन के सामने रखूंगा। मैं इसको ऐसा समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के प चात हिन्दुस्तान के इतिहास में यह एक महान क्रान्तिकारी कदम हैं (तालियां) जिस प्रकार राश्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खून का एक कतरा बहाए बिना भाान्ति और अहिंसा के द्वारा दे ा की आजादी हासिल की थी उसी प्रकार आज की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी राश्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चलते हुए और नव भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू के सिद्धान्तों को मानते हुए अहिंसक तरीकों और संवैधानिक तरीकों से दे ा में आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाना चाहती है। यह जो सं ाोधन आया है इसकी दे ा के कुछ प्रतिक्रियावादी लोग नुक्ताचीनी करते हैं और इस दे ा में ही नहीं उपाध्यक्ष महोदया, विदे ाों में भी इसके आलोचक हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार इस बात पर हैरानगी प्रकट की है और हमें भी बडा आ चर्य होता है। कि वे राश्ट्र वे भाक्तियां जिन्होंने पाकिस्तान के ताना ााह अयूब खां का समर्थन किया जिन्होंने याहिया खां का मसर्थन किया, जिन्होंने माओ और चाउएन लाई का समथ्रन किया, वह आज यह नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान से आज लोकतन्त्र खत्म होने जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है उनको लोकतंत्र से प्यार कब से हो गया। वे कब से प्रजातंत्र के हामी हो गए यह बात हमारी समझ में नहीं आती। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) यहां के आदमी जो

कुछ विदे ाी भाक्तियों के संकंत पर चलते हैं या जिनकें स्वार्थ निहित हैं, अध्यक्ष महोदय, वे इन सं ाोधनों की नुक्ताचीन करते हैं। इसके अलावा तमाम हिन्दुस्तान का जनमानस इनका हार्दिक स्वागत करता है और क्यों स्वागत करताच है, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, आप स्वयं इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि राश्ट्र और समाज बडा या एक व्यक्ति के अधिकार बडें ? हमारे संविधान में अब तक फंडामैंटल राईटस की आड में, बुनियादी अधिकारों की आड में, समाज के अधिकार को, राश्ट्र के हित में किए जाने वाले काम को बार बार रोका गया और हमारे भाइई जो क्रिटिक हे। वे कहतें हैं कि क्योंकि हमारे संविधान के अदंर बुनियादी अधिकार माने गए हैं इसलिए इनमें कोई सं ाोधन नहीं होना चाहिए लेकिन हमने यह भी तो माना है कि हम हिन्दुस्तान के करोडों नंगें, भूखे लोगों को रोजगार देंगे, खाने पीने के लिए देंगे और उनको रहने के लिए आवास का इंतजाम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कब हो सकता है। इस बात को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। आप हरियाणा की ही बात ले लीजिए या किसी और प्रदे ा की बात ही ले लीजिए। किसी इलाके में जहां कहत पडता हो, लोगों को खाने के लिए अन्न न मिलता हो, पीने को पानी न मिलता हो, उस इलाके में जनता को पानी देने के लिए यदि सरकार नहर बनाने की योजना बनाती है तो एक व्यक्ति हाई कोट्ट में चला जाता है और बुनियादी अधिकारों की आड में रिट दायर करता है और मुख्य मंत्री, मंत्री या अधिकारियों के खिलाफ मैलाफाइडी लगाकर स्टे हासिल

कर लेता है और पांच साल तक स्टे चलता है। आप अंदाजा लगाएं, अध्यक्ष महोदय, उन पांच साल के अर्से में उस इलाके का कितना भारी नुक्सान हुआ है। यदि नहर उसी साल बन गई होती तो उन गरीबों के खेतों में पानी लगता, पैदावार होती, राश्ट्रीय सम्पत्ति बढती, मसजा का जो कमजोर अंग है उसको रोजगार मिलता। हमारे कई भाई बडा मजाक उडाते हैं कि इन्दिरा गांधी ने नारा दिया था सन 1971 के संसद के चुनाव के समय कि दे ा से गरीबी हटायेंगे। कहां गरीबी हटी ? गरीबी छू मंतर से नहीं हटेंगी। गरीबी हटाने का जो तरीका हो सकता है अगर उसको अख्तियार किया जाता है तो फंडामैंटली राईटस बीच में आ जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती है। इन सब आपत्तियों को दूर करने के लिए अध्यक्ष महोदय, यह सं ाोधन कि या गया है। मैं एक एक धारा के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझता लेकिन अगर आप इसकी एक एक क्लाज को देखेंगें तो आप समझ पाएंगे कि जो दे ा का निहित स्वार्थ है उसके निहित स्वार्थों को तोड कर, हिन्दुस्तान की जो भाचरी बहुमत वाली जनता है, जो गरीब रही हैं, जो नंगी रही है, उसको साधन जुटाने के लिए ये सब सं ाोधन लाए गए हैं इसमें डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज की बात भी आई है। जैसा मैंने अभी कहा राश्ट्र बहुत बडी चीज है। समाज बहुत बडी चीज है एक व्यक्ति का अधिकार, उसका बुनियादी अधिकार उसके रास्तें में अहल नहीं होना चाहिए। तो इसमें सं ाोधन किया गया कि निदे ाक सिद्धान्तों के रास्ते में बुनियादी अधिकारों की बात नहीं आएगी और जब कभी किसी

विकास के लिए राश्ट्र के हित में, समाज के हित में कोई निर्माण का काम किया जाएगा तो किसी प्रकार की रिट किसी अदालत में लाई नहीं करेगी। इस प्रकार एक रास्ता खोल दिया है संविधान के इस सं ाोधन ने।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान जनता के लिए होता है, जनता संविधान के लिए नहीं होती। हमने वह संविधान बनाना है जिसके बहुसंख्यक जनता का हित हो, हिन्दुस्तान का विकास हम कर सकें, हिन्दुस्तान को खु ाहाल कर सकें और हिन्दुस्तान से गरीबी और बेकाचरी को दूर कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रस्तावना के अंदर भी कुछ जोडा गया है। पहले इसमें सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र (सौवरेन, डैममोक्रेटिक रिपलब्लिक) लिखा हेाता था लेकिन अब इसमें सो ाालिज्म और सैकुलेरिज्म को और जोडा गया है। यह बहुत जरूरी होता था लेकिन अब इसमें सो ालिज्म और सैकुलेरिज्म को और जोडा गया है। यह बहंत जरूरी बात है। अभी मेरे मित्र दौलता साहब बोल रहे थे कि सो ालिज्म को डिफाइन नहीं किया गया, उसकी परिभाशा नहीं की गई। मैं यह सुनकर बडा हैरान हुआ कि अगर दौलता साहब जैसे आदमी भी यह बात कहें कि आज तक हिन्दुस्तान में सोि ालिज्म को डिफाइर्नन नहीं किया तो और लोग क्यों कहेंगे। सन 1931 में कराची में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह सिद्धान्त स्वीकार किया था कि

हिन्दुस्तान के अंदर समाजवाद कायम होगा और सन 31 से लेकर आज तक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ सो ालिज्म के ऊपर लिखे हैं, बडी बडी डिबेटस हुई हैं और बार बार हमारे हिन्दुस्तान के नेताओं ने एक बात कही है कि हिन्दुस्ताचन का समाजवाद हमारा अपना समाजवाद होगा, कोई विदे ाी समाजवाद नहीं होगा। हम किसी भी राश्ट्र की, किसी दूसरे दे ा की नकल नहीं करेंगे। जो हमारे दे ा की जनता के अनुकुल होगा वह समाजवाद हम दे ा में लाएंगे। मैं तो समाजवाद की एक ही परिभाशा समझता हूं जैसा इस संविधान के सं ाोधन में इस बात को माना है कि समाज और राश्ट्र के हित में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, किसी एक स्वार्थी व्यक्ति के अधिकार को लेकर समाज और राश्ट्र के अधिकार को चोट नहीं पहुचाई जाए। इसी का नाम समाजवाद है। (तालियां) तो समाजवाद के ऊपर बडी भारी चर्चा हुई है। दौलता साहब ने फिर कहा कि इसमें डिफाईन कर दिया जाता कि जितनी सम्पत्ति है, मकान हैं इन सबकी मालिक सरकार होगी। हमारी प्रधान मंत्री जी ने, हमारे नेताओं ने बार बार इस बात को स्पश्ट किया है कि हिन्दुस्तान की स्थिति ऐसी है कि यहां मिक्सड इकौनोमी चलेगी, यहां मिश्रित अर्थ व्यवस्था चलेगी, यहां एक तरफा अर्थ व्यवस्था नहीं चलेगी। इस बात को हमने माना है। बार बार इस बात पर बहस हुई है। तो यह गलत बात है कि आज तक सो ालिज्म की व्याख्या नहीं की गई है या उसकी परिभाशा नहीं बतलाई गई है।

जहां तक सैकुलरिज्म की बात है, यह तो भ्रुरू से ही हमारा सिद्धान्त रहा है। इसके लिए ज्यादा व्याख्या की आव यकता नहीं है। धर्म निरपेक्षता की बात मैं समझता हूं गांधी जी ने एक सूत्र रूप में कही थी कि "सर्व धर्म समभाव" सब धर्मों के प्रति समान आदर हो। मान लो कोई हिन्दु है तो उसे चाहिए कि वह सब धर्मों का, चाहे वह सिख धर्म है, ईसाई ध्र्मा है या कोई और धर्म है, समान आदर करे। हिन्दुस्तान में जितने धर्म है, उनके बारे में अगर गांधी जी के सूत्र को मानकर हम चलें, और अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। धर्म निरपेक्षता की बात कहने वाला इस महान व्यक्ति के अलावा और कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने की अपना बलिदान ही इस बात के लिए दिया हो।

इसके अलावा एक बात और संविधान में जोडी गई है। पहले राश्ट्रीय एकता की बात थी अब अखंडता की बात और जोडी गई है। इस बात से मेरा ख्याल है किसी को मतभेद नहीं हो सकता कि हमारे दे ा की अखंडता कायम रहें। एक बात और दौलता साहब कह गये कि जुडि ियरी के अधिकारों को करटेल किया गया है। मैं यह कहता हूं कि ये जितने भी सं ाोधन किये गये हैं ये संसद दोनों सदनों ने पास किये हैं। जुडि ियरी के अधिकासरों को करटेल नहीं किया गया बल्कि रेगूलेट किया गया है। पहले तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि एक ही जज बहु मत के फैसल को बदल देता था। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि आजादी से पहले हम एक ही नारा बुलन्द किया करते थे

कि हिन्दुस्तान में उत्तरदायी सरकार हो, रिसपौन्सिबल सरकार हो। किस के प्रति उत्तरदायी ? जनता के प्रति। जनता का सही प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था है तो वह पार्लियामैंट है। जनता की राय जानने के लिए इससे बडी और क्या कसौटी हो सकती है। संविधान के द्वारा यह सिद्ध करने की कोि ा ा की गई है कि संसद जो है, पार्लियामैंट जो है वह सुप्रीम है, सर्वोच्च है। उसके फैसले को कोई चैंलेन्ज नहीं कर सकता। उसको हर प्रकार का अधिकार है, चाहे वह फंडामैंटल राइटस का है चाहे कोई अन्य है। वह किसी भी प्रकार का सं ाोधन करे, क्योंकि यह जनता द्वारा चुने गये मैम्बरों की संस्था है, वह पार्लियामैंट है। वह चन्द जज नहीं है चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, चाहे हाई कोर्ट में बैठा है। हमें पता है कि वह किस प्रकार से जज बन बर आया है और किस प्रकार से पार्लियामैंट का मैंबर बन कर आता है। लाखों आदमियों की राय लेकर, बालिग मताधिकार से चुनाव लड कर वह संसद में आता है। वह जनता का सच्चा प्रतिनिधि है। वह राश्ट्र का भाग्यविधाता है। उसको यह देखना है कि कैसा संविधान हमारे दे ा को चाहिए।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि वह संविधान सभा जिसने संविधान बनाया जतना का इतना प्रतिनिधित्व नहीं करती थी जितना आज की संसद करती है क्योंकि उसका मैं भुक्तभोगी हूं। मैं रियासत का रहने वाला हूं। ब्रिटि ा इलाकों कें अंदर से तो असैम्बली से नुमाइंदे ले लिए उस कांस्टीयूएंट

असैम्बली में लेकिन झगडा इस बात पर पड गया कि रियासतों के नुमाइंदे कैसे लिए जाये। रियासतों में असैम्बलीज नहीं थी। एक नैगोि ाएटिंग कमेटी बनायी गई। उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर पट्टाभि सीतरमैया आदि मैम्बर थे। उस नैगोि ाएटिंग कमेटी ने यह फैसला किया कि पचास प्रति ात राजाओं के नुमाइंदे लिए जाये और पचास प्रति ात प्रजामंडल के लिए जायें। ग्वालियर के अंदर अधिवे ान हुआ। इस फैसले का जिन लोगों ने डट कर विरोध कियाव, मुखालफित की उनमें बख्भाी गुलाम मोहम्मद और मैं भी भाामिल था। उसमें श्री वृश भान भी थे और प्रजांडल के और लोग भी थे। उन्होंने बडी जोदार आवाज में यह बात कही थी कि जो राजा महाराजा ब्रिटि ा साम्राज्यवाद के स्तम्भ बन कर रहे आज वही हिन्दुस्ताचन का संविधान बनायेंगे। वह बात उस समय हमारी पार नहीं गई और राजाओं के नुमाइंदे भी उसमें बैठे, प्रजा के नुमाइंदे भी बैठे और उन्होंने संविधान बनाया।आज संसद में राजाओं को प्रतिनिधित्व नही ंहै, किसी निहित स्वार्थ वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज वि ाुद्ध जनता की चुनी हुई पार्लियामैंट है जिसने यह सं ाोधन किया है। कौन इसको चैलेन्ज कर सकता है ? कौन इस बात से इंकार कर सकता है कि यह ठीक नहीं किया ? जहां पर जुडि ियरी, न्यायापालिका की बात कही गई है अध्यक्ष महोदय, आप इस बात के गवाह हैं हिन्दुस्तान की जनता भी गवाह है कि हिन्दुस्तान की ऐग्जेक्टिव ने, कार्यपालिका ने जितना आदर और सम्मान न्यायापालिका को दिया है इतना किसी भी मुल्क ने नहीं दिया है।

राश्ट्रपति जो अपने दस्तखत से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुकित करता है वह खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर मुल्जिम की तरह से पे ा हो गया। उसको हक हासिल था कि कोई कमी ान जाकर उनके बयान ले लेता लेकिन वे खुद वहां गये और उन्होंने कहा कि मैं न्यायापालिका का सम्मान करता हूं। वे स्वयं अदालत के सामने पे ा हुए और बयान दिये। हिन्दुस्तान की साठ करोड जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जज के सामने पे ा हुआ। इससे साफ जाहिर है कि हमने हमे ाा न्यायापालिका का आदर किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज के साथ यह बता कहता हूं कि आजादी के तीस साल के इतिहास में न्यायापालिका ने ऐग्जेक्टिव पर हजारों बार चोट की है परन्तु ऐग्जेक्टिव ने एक बार भी कोई चोट नहीं की है। कोई एक भी मिसाल निकाल कर दिखाये। इससे ज्यादा आदर जुडि ायरी का कौन करेगा ? यह गलत प्रोपैगेंडा करते हैं। हां यह ठीक है कि उनको थोडी सी नकेल डाली है। उनके अधिकार को रेगुलेट किया गया है। यह ठीक नहीं था कि एक आदमी वकील के पास जाये और उसको फीस के सौ रूपये देकर वह अदालत से स्टे आर्डर ले आये चाहे कोई नहर बननी हो, सडक बननी हो, कालेज बनना हो या कोई बडा भारी डैम बनना हो, वह स्टे आर्डर रोक देता था। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। हम अपने गवर्नमैंट सर्वेंटस का बडा आदर करते हैं, अपने हाथ पैर समझते हैं, उनके काम का आदर करते हैं लेकिन एक कर्मचारी या अधिकारी अपने अफसर को गालियां देताच है, समय पर नहीं आता, काम नहीं करता। हर तरह से नुक्ताचीनी करता है,

रोज लीडरी में रहता है, यूनियन बनाकर सचिवालय के बाहर खडा हो झण्डा लेकर नारे लगाता है, उसके खिलाफ ऐक ान लें तो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से कैसे अनु ाासन रह सकता है, कैसे डिसिप्लन रह सकता है ? इन सब बातों को रोकने के लिए न्यायापालिका के अधिकारों को नियमित किया गया है, रेगुलैट किया गया है, करटेल नहीं किया गया।

अब यह भी फैसला कर दिया गया कि कोई भी सैंट्रल कानून होगा, केन्द्रीय कानून होगा वह हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। वह केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट का भी सात जजों का बैंच सिम्पल मैजोरिटी में यह फैसला नहीं कर सकेगा कि यह सरकार ने संविधान में सं ाोधन गलत किया है वह टू थर्ड मैजोरिटी से वह अपना निर्णय दे सकेगा। इसी प्रकार अगर कोई प्रादे ाक कानून है उसको हाई कोर्ट मैं चैलैंज किया जायेगा और वहां भी कम से कम पांच जजों का बैंच बैठेगा। वहां पर भी दो तिहाई मतों से निर्णय किया जायेगा। तो इस प्रकार की बातें इस सं ाोधन में ली गई हैं जिनकी मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता। एक बात और है कि फंडामैंटल राइटस के साथ कोर्टस को आर्टिकली 226 में यह भी अधिकार था कि – High Courts can entertain writs for any law violative of fundamental rights as also for any other purposes. इस any other की आड में पता नहीं कितनी ही गडबडें हो गई। कोई छिंकने की, मूतने की, हगन की बात हो गई वह भी हाई कोर्ट में

पहुंच जाती थी। मैं तो एक दिन मजाक कर रहा था, किसी ने आकर कहा कि मेरे लडके की भाादी है लेकिन मेरा बाप बीमार है, बडी मु ि कल है। कभी भाादी से पहले वह चल न बसे मैंने उससे कहा कि हाई कोर्ट से स्टे आर्डर देने के लिए तैयार बैठे हैं। वहां से अब इस बात को निकाल दिया गया है। तो मैं सरकार कर्मचारियों की बात कर रहा था उनके फैसलों के लिए भी अब अलग से ट्रिव्यूनल बनायें जायेंगं और वे ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में, इंसार करेंगें, न्याय करेंगे, न्याय करेंगे और उस ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी अदालत के अंदर चैलैंज नहीं किया जा सकेगा। उस फैसले की कहीं अपील नहीं की जा सकेगी। इसी प्रकार टैक्सों के मामले में, असैसमैंट के मामले हैं। किसी पब्लिक इम्पोटैंस के मामले की जांच है। इंकवायरी है। यह सब बातें अब ट्रिब्यूनल के सुपुर्द की जायेंगी। वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जायेंगी। एक बात दौलता साहब ऊपर ले मन से कहे गये कि एक साल की जो मियाद बढायी गयी है जो आयु बढाई है संसद की और विधान सभाओं की यह अच्छा नहीं किया। वह गले के ऊपर से बोले रहे थे अंदर तो यही बात थी कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन में इस बात में कोई संगति नहीं समझता कि राज्य सभा और विधान परिशदों की लाईफ तो 6 साल रहें और जो पब्लिक के सही चुने हुए नुमांयदे हैं, उनकी आयु 5 वर्श रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह निर्णय भी ठीक लिया गया है कि हरेक हाउस की जो लाईफ है, वह 6 साल रहे। इसमें कुछ और बातें भी हैं। कुछ सब्जैक्टस को

कनकरैंट लिस्ट में ले लिया गया है, जैसे एजुके ान है, वाईल्ड लाईप की प्रौटैक ान है और कुछ मामलात हैं और सब्जैक्टस इनमें हैं जो राश्ट्रीय महत्व के मामले हैं। अगर वह कनकरैंट लिस्ट में ले लिये जायें तो इससे सारे मुल्क को फायदा होगा। इससे कोई नुक्सान नहीं होगा। एक अध्यक्ष महोदय, जहां पर अधिकारों को रैगुलेट करने की बात कहते हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि आर्टीकल 368 में जो संविधान में किये गये सं ाोधन को चाहे बुनियादी अधिकारों के आधार पर चैलेन्ज किया जाये, चाहे किसी बात के आधार पर चैलेन्ज किया जाये, कोई रिट वहां पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कौर्ट में सुन नहीं पायेंगे। अगर कोई प्रोसीजरल कमी रह गई है तो वह जरूरर सुन पायेंगे तो इसमें कोई हमें नुक्सान नहीं है क्योंकि प्रोसीजन तो फिर भी पूरा किया जा सकता है और कोई भी कदम उठाया जाये, कोई भी निण्रय लिया जाये, तो वह प्रोसीजन पूरा करके ही करना चाहिये। एक इसमें है आर्टीकल 103 में कि पार्लियामैंट और असैम्बली के मैम्बरों की डिस क्वालीफिके ान रिमूव करने के लिये आजकल राश्ट्रपति इलैक ान कमी ान की कन्सलटे ान से ही डिस क्वालीफिके ान रिमूव कर सकता है और जो इलैक ान कमी ान की रिक्मैंडे ान हैं, वे राश्ट्रपति के लिये मानना जरूरी है। अब राश्ट्रपति को पूरा अख्तियार इस बात का दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति की डिस क्वालीफिके ान इलैक ान कमी ान से कन्सल्ट करके, उससे पराम र्ज़ करके उसको दूर कर सके। एक अमरजैंसी के बारे में है। आज सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि

जब से यह आपात स्थिति दे ा में लगायी गयी है, कितना भारी लाभ सारे दे ा को हुआ है। दे ा कं अंदर अनु ाासन की, अपने कर्त्तव्य को पूरा करने की भावना जागृत हुई है। प्रोडक ान बढी है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई है। आपने आज से दो चार दिन पहले पढा होगा कि वि व बैंक के अध्यक्ष श्री मैकनमारा ने यह वक्तव्य दिया है कि आज हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति में इतना अधिक सुधार हुआ है जितना दुनिया के किसी मुल्क की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। (थम्पिंग) इससे बडा कम्पलीमैंट और क्या हो सकता है ? आज उस स्टरलिंग और डालर की जिनका सारी दुनिया के आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व था, कोई पूछ नहीं। हिन्दुस्तान के रूपये की, हिन्दुस्तान की मुद्रा की आज ज्यादा कीमत है डालर और स्टरलिंग के मुकाबले में। यह सब आपात स्थिति के परिणाम हैं। लेकिन अभी तक हमारे संविधान में यह प्रावधान था कि राश्ट्रपति जब जरूरत समझे या ऐसे हालात पैदा हो जायें तो सारे दे ा में एक साथ एमरजैन्सी लागू कर सकता है। लेकिन अब इसमें यह सं ाोधित कर दिया गया है कि मुल्क के किसी हिस्से में भी अगर ऐसे हालात पैदा हो जायें तो राश्ट्रपति उस हिस्से में भी एमरजैंसी लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यह सारे सं ाोधन हैं। मैं यह समझता हूं कि इसमूें एक भी ऐसा सं ाोधन नही ंहै जो जनता के हित में नहीं है, जो राश्ट्र के हित में नहीं है जो राश्ट्र को आगे न ले जाने वाला हो, जो समाज के गरीब वर्ग और कमजोर वर्ग के हित में न हों। मैं तो यह समझता हूं कि

हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो आज तक बडे बडे बहादुराना और सराहनीय कदम उठाये हैं, उनमें सबसे ज्यादा मजबूत और सराहनीय कदम यह है कि संविधान में सं ाोधन करके आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक क्षेत्र में लाने के लिये और दे ा के लिये आर्थिक आजादी हासिल करने के लिये किया है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से इसको अनुमोदित किया जाये। (थम्पिंग)

Mr. Speaker: Question is-

"That this House retifies the amendments to the Constittuion of Inda falling with in the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fourty fourth Amendment) Bill, 1976, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (Forty Second Amendment) Act, 1976."

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

18.15 बजे।

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 16th November, 1976).